राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ३] द्वितीय विधान सभा के तृतीय सत्र, १६५८ का ७६वां दिवस [संख्या ४४

शनिवार, २६ अप्रेल, १६५८

विधान सभा की बैठक प्रातः ८ बज कर ८ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

———

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

———

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ७४३

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री रामकरणसिंह।

(अनुपस्थित)

रावराजा श्री सरदारसिंह।

पुरेजात द्वारा संरक्षित संपत्ति

७४४. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या राजस्व मंत्री निम्न-लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान की प्रोपर्टी पुरेजात के अन्तर्गत कहां कहां है और यह किस की देख-रेख में है ?

(ख) इस प्रोपर्टी पर किस किस का अधिकार है ? क्या नरेशों का भी है ?

(ग) पुरेजात की क्या २ आमदनी और क्या २ खर्च है ?

(घ) उक्त प्रोपर्टी कितनी वेल्यूएशन की है ?

(ङ) क्या यह सही है कि इन मकानात की बाबत किसी अदालत में मुकदमे भी चल रहे हैं ? अगर हां, तो कहां २ और किस नेचर के ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) राजस्थान की प्रोपर्टी पुरेजात जहां जहां है उसकी एक लिस्ट सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) ऊपर लिखी हुई पुरेजात प्रोपर्टी जो मुन्सरिम पुरेजात राजस्थान कटरा, इलाहा-बाद के जेर निगरानी है, यह सब राजस्थान सरकार की है और राजस्थान सरकार के ही अधिकार में है।

(ग) पुरेजात की प्रोपर्टी से किराया, मालगुजारी, लगान, लीज मनी, ग्राउन्ड रेन्ट तहबाजारी, खीची मन्डी, ठेका घाट, कीमत फल इमली, ठेका घास, ठेका रेता और हक बहारूम की वसूली होती है। सन् ५६–५७

Page No.2

(श्री दामोदरलाल व्यास)

में ५२,४०५ रुपया की इन्कम हुई है। खर्चा सन् ५६-५७ में ४६,५१४ रु० हुआ है। खर्चे का विवरण : वेतन ऑफिसर्स, वेतन मिनिस्टीरियल्स, वेतन क्लास ४ के कर्मचारी, मंहगाई भत्ता, ट्रैवलिंग अलाउन्स, अदर अलाउन्सेज, सर्विस पोस्टेज स्टाम्प, स्टेशनरी, सेलरीज, लाईटिंग चार्जेज, वेतन पार्ट टाईम सरवेन्ट्स, मरम्मत, केसेज एन्ड लॉ चार्जेज, कमिशन चार्जेज, छपाई, रेंट्स एन्ड टेक्सेज, अदर पैटी आईटम्स।

(घ) तफसील वेल्युएशन ऑफ प्रोपर्टीज :

इलाहाबाद	५,०५,३२१
बनारस	२४,७२,७२४
आगरा	२६,४७,१३१
मथुरा	२,०५,०००
वृन्दावन	६५,०००
देहली	१२,००,०००
हरिद्वार	१,७५,०००
पचोखर	२१,५०६
इलिचपुर	१,५३,५००
औरंगाबाद	४४,८३४
गोवर्धन	४,०००
योग	७४,६४,०१६ रु० केवल

यह वेल्युएशन सरकार से नियुक्त की गई कमेटी जिसके चेयरमैन एडीशनल कमिश्नर देवस्थान श्री पुरुषोत्तमदास पुरोहित, मेम्बरान, एग्जीक्युटिव इन्जीनियर श्री सी.बी. देसाई व मुन्सरिम पुरेजात श्री हनुमान सहाय रावत थे, द्वारा किया गया है।

इलाहाबाद में एग्रीकल्चरल लैंडस बिक नहीं सकती है क्योंकि यू. पी. सरकार के कब्जे में है इसलिए वेल्युएशन कमेटी ने रिपोर्ट की थी कि यह प्रोपर्टीज यू. पी. सरकार को ट्रान्सफर करने की कार्यवाही की जावे। बनारस ओब्जरवेटरी को काशी विश्वविद्यालय को ट्रान्सफर करने का ऑर्डर राजस्थान सरकार का हो चुका है तथा देहली के जन्तर मन्तर ओब्जरवेटरी को केन्द्रीय सरकार को ट्रान्सफर करने का ऑर्डर भी हो चुका है। मथुरा की जसवन्तगंज पाठशाला की ट्रस्ट होने के कारण, बेचने से मनाही राजस्थान सरकार द्वारा हो चुकी है। घाट बिक नहीं सकते। गोवर्धन की सीढ़ी बुर्जी मानसी गंगा व बुर्ज ब्रह्मकुंड टाउन एरिया कमेटी गोवर्धन को ट्रान्सफर होने की कार्यवाही जारी है। इनके अलावा छतरी व बावड़ी इलिचपुर व तातनड़ी मट बुरहानपुर के बिक नहीं सकते। बाकी प्रोपर्टीज के बेचने की स्वीकृति सरकार को हो चुकी है जिसको डिस्पोजल कमेटी नीलाम कर रही है।

(ङ) हां, यह सही है कि मुकदमात चल रहे हैं जिनकी तफसील निम्नलिखित है : इलाहाबाद ७२, बनारस ६, आगरा सर्किल १७, पचोखर ६, इलिचपुर २ व सहारनपुर १

टोटल १०७ मुकदमात।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने फर्माया कि इनको डिस्पोजल करने की कार्यवाही चल रही है। क्या सरकार को कुछ स्थानों पर जो मन्दिर वगैरह हैं उनको बेचने की फिक्र है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मंदिर नहीं बेच रहे हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : पुरेजात ऑफिसर किस केटेगरी के होते हैं, वे कहाँ किस हैसियत से रहते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सरकारी मुलाजिम की हैसियत से रहते हैं : -

रावराजा श्री सरदारसिंह : उनकी क्या क्वालिफिकेशन है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वे प्रोपर्टी आफिसर हैं। उनकी एकेडेमिक क्वालिफिकेशन्स क्या हैं, यह याद नहीं है। ये पुराने ऑफिसर हैं और एक अर्से से काम कर रहे हैं। पहले पी. डब्ल्यू. डी. में काम कर रहे थे।

रावराजा श्री सरदार सिंह : वे आर. ए. एस. हैं या आइ. ए. एस. हैं या तहसीलदार की ग्रेड के हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वे आर. ए. एस., आई.ए.एस. या तहसीलदार की ग्रेड के नहीं हैं। प्रोपर्टी ऑफिसर की पोस्ट और ग्रेड अलग हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : उनको क्या पे मिलती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : तनख्वाह मुझे मालूम नहीं है, २५० से ७०० की ग्रेड होगी।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जब उनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। तब उन्हें २५० से ७०० की ग्रेड में रखा गया है, यह समझ में नहीं बैठता ?

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

रावराजा श्री सरदार सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस सप्लीमेन्ट्री का जवाब देने दीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह नई नियुक्ति नहीं हुई है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या वहां उनके लिए मोटर भी रहती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय....................

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

गोचर भूमि फतेहपुर

७४५. श्री मोहरसिंह (चुरू) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या फतेहपुर (जि० सीकर) का बीड़ गोचरभूमि है ?

(ख) यदि हां, तो क्या उसका एक हिस्सा गोचरभूमि के लिये गौशाला के नाम से बेचा गया है ?

(ग) क्या सरकार की नजरों में गौशाला की गायों तथा अन्य गायों में कुछ फर्क है ?

(घ) क्या इस गोचरभूमि के बेचे जाने के विरोध में कुछ लोगों ने सत्याग्रह भी किया था ?

(ङ) यदि हां, तो क्या सत्याग्रहियों में से कुछ लोग अब भी जेल में हैं ?

(च) यदि हां, तो कितने आदमी जेल

Page No.4

(श्री मोहरसिंह)

में हैं और अब उनकी बाबत सरकार की क्या मन्शा है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) फतेहपुर का बीड़ जो गांवाई चरागाह होता हैं उसमें न होकर करीब १५,४६७ बीघा का चक जुदा है जो पहले रावराजा के निजी घोड़ों के चराने के काम में आता था। जागीर पुर्नग्रहण के बाद यह बीड़ फॉरेस्ट डिपार्टमेन्ट के तहत दे दिया गया है।

(ख) कोई हिस्सा गोचर भूमि के नाम से गोचर भूमि के लिए नहीं बेचा गया है। गत फरवरी फतेहपुर में जो गौशाला है वहां की गायों और नसल सुधार के सांड यहां रखे जावें, उनके चारे आदि के लिए इस बीड़ में से खसरा नं० ७३१२ जो ५६७ बीघे है बिला किसी मुआवजे के दिया गया है, इस हिस्से को महदूद कर अच्छा घास (फोडर) पैदा किया जावे।

(ग) यह सवाल....(विराम).... तब ठीक था जब कि थोड़ी सी जमीन हो जिसमें चाहे गांव की गायें चर सकती हों चाहे पींजरापोल की। मगर वैसी परिस्थिति नहीं है। १५,४६७ बीघा जमीन में से ५६७ बीघा जमीन पींजरा पोल के मवेशियों के लिये दी गई है। जिस का मुफसिल हाल प्रश्न के खंड (ख) में दे दिया गया है।

(घ) ऊपर बताया जा चुका है कि जमीन बेची नहीं गई न कोई सत्याग्रह किया गया है। जमीन देने के करीब ७,८ माह बाद कुछ लोगों ने गांव के लोगों में गलतफहमियां फैला कर तथा इस बीड़ की डोली को जबरन तोड़ कर इस जमीन पर कब्जा करने का इरादा किया।

(ङ) अब कोई सत्याग्रही जेल में नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उटता।

श्री मोहरसिंह : क्या यह सही नहीं है कि इस बीड़ से कुछ गरीब लकड़ियां बीन कर फतेहपुर में बेच कर गुजारा करते रहे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : क्या ?

श्री मोहरसिंह : क्या यह सही है कि बीड़ की गोचर भूमि से कुछ गरीब आदमी लकड़ी बीन कर फतेहपुर में बेच कर गुजारा करते थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह जानकारी नहीं है। वैसे यह गलत तरीका था। उसको बन्द करना उचित था।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर): यह आपने कैसे माना कि यह घोड़ों के चरने के लिए जमीन थी, गायों के लिए नहीं थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसलिए माना कि मेरे पास रेकॉर्ड है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : यह रेकॉर्ड ठिकाने का है या जागीरदार की रिपोर्ट है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सेटलमेन्ट का रेकॉर्ड है।

श्री मोहरसिंह : क्या यह गोचर भूमि भी बीड़ में चली गई है ?

Page No.5

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया है कि १५,४६७ बीघा जमीन है। गोचर भूमि की जो आवश्यकता है वह डिमार्केटेड है। इसका गोचर भूमि से सम्बन्ध नहीं है, यह फोरेस्ट लैंड है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या बाकी जमीन गोचर भूमि के काम में आती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट के अन्डर में है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या गोचर भूमि की कोई आवश्यकता नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सार्वजनिक चरागाह अलग है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : यह जमीन भी उसके अन्दर थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह फोरेस्ट लैंड है। यह हो सकता है कि घास काटने के बाद मवेशी चराते हों।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : जिस गौशाला को जमीन दी गई है उस गौशाला में कितनी गायें हैं और कितने अन्य जानवर हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कितनी गायें हैं ?

श्री मुरलीधर व्यास : जी हां।

श्री दामोदरलाल व्यास : अभी यह सूचना मेरे पास नहीं है। इस जमीन को दिए हुए काफी अर्सा हो गया, १९५४ में जमीन दी गई थी....

श्री मोहरसिंह : क्या....

श्री दामोदरलाल व्यास : मुझे जवाब देने दीजिये।

उस वक्त कितनी गायें थी, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है लेकिन अगर माननीय सदस्य चाहें तो अलग से जानकारी दे दूंगा।

श्री मुरलीधर व्यास : यह गौशाला सार्वजनिक है या व्यक्तिगत ?

श्री मोहरसिंह : गौशाला सार्वजनिक है या व्यक्तिगत ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सार्वजनिक होनी चाहिए, व्यक्तिगत नहीं।

एक माननीय सदस्य : होनी चाहिए का क्या मतलब ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे पास जो सूचना है उससे सार्वजनिक मालूम होती है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या यह सही है कि इस गौशाला के प्रबन्धक जो सेठ लोग हैं उनको यह जमीन ठिकाने की ओर से बेची गई थी तथा इसके सम्बन्ध में आन्दोलन भी हुआ था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ठिकाने के वक्त क्या हुआ, उसकी सूचना नहीं है। आप अलग से प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : यदि यह सार्वजनिक है तो इसके ट्रस्टी कौन हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह व्यक्तिगत नहीं है, सार्वजनिक इस तरह से है कि इस गौशाला की एक प्रबन्ध समिति है और वह प्रबन्ध समिति इसका इन्तजाम करती है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या इस गौशाला का विधान है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह

श्री मोहरसिंह : क्या यह जमीन दी गई हैं, इसके कारण गांव हरसाना के लोग परेशान हो गये हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं।

श्री मोहरसिंह : क्या इस वास्ते फतेहपुर से चिपकी हुई जमीन नहीं दी जा सकती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। रावराजा श्री सरदारसिंह।

नगरपालिका उनियारा

७४६. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि उनियारा म्यूनिसिपेलिटी ने १६,००० रु० की सरकार से कस्बे की उन्नति के लिये मांग की थी ?

(ख) यदि हां, तो उक्त मांग कब की गई ?

(ग) उक्त मांग के लिए कितने रिमाइन्डर म्यूनिसिपेलिटी के सरकार को प्राप्त हुये ?

(घ) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जी हां।

(ख) निर्देशक, स्थानीय निकाय से दिनांक २५—६—५५ को।

(ग) निर्देशक, स्थानीय निकाय को चार रिमाइन्डर प्राप्त हुए।

(घ) हर साल इस प्रकार की मांग प्राप्त होती है और इस पर विचार किया जा सकता है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : १९५५ से विचार किया जा रहा है, अब भी विचार कर रहे हैं, इसके रीजन्स क्या हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमारे पास ५ लाख रुपये रहते हैं। उसमें से वाटर वर्क्स के लोन देते हैं, इलेक्ट्रिक के लिए भी लोन देते हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या इस म्यूनिसिपेलिटी ने डिमान्ड की थी ? क्या म्यूनिसिपेलिटी उनियारा ने १६ हजार की डिमान्ड की थी। सड़क के लिए और शहर की उन्नति के लिए ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया कि एक करोड़ की डिमान्ड रखी है। हर साल पांच लाख रखते हैं, इसलिए मुश्किल है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह ठीक है कि पांच लाख रखते हैं। चार साल से डिमान्ड कर रहे हैं लेकिन इस म्यूनिसिपेलिटी को न देकर अपने क्षेत्र की म्यूनिसिपेलिटी को दिया जाता है, इसका क्या मतलब है ?

Page No.7

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसा नहीं है। वाटर वर्क्स और इलेक्ट्रिक के लिए इसमें से दिया जाता है। सड़क बनाने और नालियां बनाने के लिए इसमें देना मुश्किल होता है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : हर साल यह म्यूनिसिपेलिटी डिमान्ड करती है, क्योंकि वहां कीचड़ रहती है हरिजन बस्ती में। क्या जनता के कष्ट को दूर करने के लिए नहीं दी जाती ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह ईन्तजाम तो म्यूनिसिपेलिटी को करना चाहिए। एक करोड़ की डिमान्ड है उसमें से पांच लाख हर साल देते हैं। इस साल विचार करेंगे।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं कहता हूं कि माननीय मंत्री बतायेंगे कि क्या म्यूनिसिपेलिटी को सड़क बनाने के लिए कोई रकम नहीं दी है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सड़क आदि के लिए पी० डब्ल्यू० डी० से दी जाती है। जब म्यूनिसिपेलिटी सड़क बनाती है तो ४० पर्सेन्ट गवर्नमेंट की तरफ से दे देते हैं। पी० डब्ल्यू० डी० की मदद अलग है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह सच है कि म्यूनिसिपेलिटी उनियारा ने ४० पर्सेन्ट के बजाय ५० पर्सेन्ट खर्च कर दिया। जो १६ हजार की मांग की है वह केवल ३० पर्सेन्ट है, वह क्यों नहीं दी जाती है ?

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह चीज अलग है, यह अलग है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह सही है कि क्योंकि यह म्यूनिसिपेलिटी विरोधी पक्ष की ओर से है इसलिए रकम नहीं दी जाती ?

श्री अध्यक्ष : यह जानकारी नहीं है।

(हंसी)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरे पास वाकई में जानकारी नहीं है।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

भूंपी व खरड़ा लाग

७४७. **श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या भूंपी व खरड़ा लाग सरकार द्वारा अभी तक वसूल की जाती है ?

(२) यदि नहीं, तो क्या यह सत्य है कि तहसीलदार, आहोर, डिस्ट्रिक्ट जालोर द्वारा काश्तकारों को भूंपी लाग वसूल करने के मुतल्लिक नोटिस दिये गये हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(३) क्या सरकार इस प्रकार की गैर-कानूनी कार्यवाहियों को रोकने के लिए शीघ्र कदम उठायेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :

(१) जी नहीं।

(२) कोई नोटिस नहीं दिये गये।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या यह सत्य है कि तहसीलदार द्वारा काश्तकारों को झूंपी लाग वसूल करने के लिए नोटिस दिये थे और बाद में कैंसिल कर दिये गये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कलेक्टर से किसी डेपुटेशन के मिलने की बात मालूम नहीं लेकिन कलेक्टर का जो जवाब आया है यह मैं आपको पढ़ देता हूं :—

(१) 'झूंपी व खरड़ा लाग सरकार को वसूल करने का अधिकार नहीं है। जिला जालोर की तहसील आहोर में इसे वसूल करने के मुताल्लिक कोई नोटिस नहीं दिया गया।'

(२) क्योंकि कोई गैर कानूनी कार्यवाही नहीं की गई थी इसलिये रोकने की कार्यवाही नहीं की गई।

श्री लक्ष्मीचन्द : यदि इस प्रकार का नोटिस पेश किया जावे तो सरकार गलत जवाब देनेवाले पर एक्शन लेगी और उस र भी जिसने नोटिस निकाला है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उसके खिलाफ और गलत जवाब देनेवाले के खिलाफ ?

श्री मुरलीधर व्यास (बिकानेर सिटी) : खरड़ा लाग सरकार द्वारा अभी तक वसूल की जाती है या नहीं ? आपने कहा कि अधिकार नहीं है....

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कलेक्टर का जवाब आया वह दिया है। आपने सुना नहीं। मैंने जो उत्तर दिया उसमें कहा : जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री प्रभुलाल पुरोहित।

तहसीलों को दिये जानेवाले टीन और सीमेंट के कोटे का विक्रय।

७४८. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या खाद्य व रसद मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या टीन और सीमेंट का कोटा तहसीलों के हैड क्वार्टस पर दूकान खोल कर थोक व्यापारी नहीं बेच सकते हैं ?

(ख) यदि नहीं तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) टीन का कोटा किसी भी स्थान पर आयरन एण्ड स्टील कंट्रोलर द्वारा नियुक्त रजिस्टर्ड स्टॉकिस्ट ही बेच सकते हैं और सीमेंट का कोटा सीमेंट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन द्वारा नियुक्त स्टॉकिस्ट ही बेच सकते हैं। तहसील हैडक्वार्टस पर अथवा कम से कम सब डिविजन हैडक्वार्टस पर लोहे का स्टॉकिस्ट नियुक्त होने के प्रश्न पर आयरन एण्ड स्टील कन्ट्रोलर से परामर्श किया गया था जिनका जवाब है कि भारत सरकार की नीति के अनुसार प्रत्येक ऐसे स्टॉकिस्ट को एक वर्ष में कम से कम २५० टन लोहे का कोटा मिलना आवश्यक है अन्यथा व्यापारी को पर्याप्त मुनाफा न मिलने के कारण ऐसी नियुक्ति अवांछनीय है। लोहे का कोटा पर्याप्त मात्रा में बढ़ने पर ही यह व्यवस्था संभव हो सकती है जिसके लिए प्रयत्न जारी है। मौजूदा सीमेंट के स्टॉकिस्ट फिलहाल प्रत्येक सब-डिवीजन में जहां कोई स्टॉकिस्ट न हो वहां अपना डिपो रखें, ऐसी व्यवस्था करने के लिए जिलाधीशों को कहा गया है। प्रत्येक तहसील हैडक्वार्टर पर सीमेंट का स्टॉकिस्ट नियुक्त करने के लिए भी सीमेंट ट्रेडिंग कॉर-

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

पोरेशन इन्डिया, न्यू देहली से इसकी आवश्यकता पर जोर देते हुए लिखा पढ़ी की जा रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता। यद्यपि स्थानीय व्यापारी जो सीमेन्ट का स्टॉकिस्ट बनना चाहे वो स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इन्डिया, नई देहली तथा विभिन्न सीमेन्ट फैक्ट्रियों से मिल कर ऐसी नियुक्ति करा सकते हैं तथा सरकार से उनके लिए उचित सिफारिश की जा सकती है।

(घ) सरकार की ओर से ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

(इस प्रश्न में केवल (क) और (ख) ही प्रश्न पूछे गये मगर उत्तर (च) तक माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिया गया)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री तनसिंह।

सालावास (जोधपुर) में कंकरीट व सीमेंट के सामान की नीलामी

७४६. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सालावास (जोधपुर के पास) में सीमेंट और कंकरीट का कुछ सामान नीलाम किया गया ? यदि हां, तो कितने में ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त नीलाम के लिए प्रक्रिया ठीक नहीं अपनाई गई जिसके कारण सरकार को हानि हुई? यदि हां, तो लगभग कितनी ?

(३) क्या यह भी सही है कि सरकार ने इस विषय में जांच शुरू करवाई ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

(४) उपरोक्त जांच करनेवाले अधिकारी कौन कौन हैं और अब तक किस किस के विरूद्ध भ्रष्टाचार सिद्ध हुआ है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :

(१) जी हां, ६५१) रु० में नीलाम हुआ था।

(२) जी हां। मालियत का तखमीना १,००,०००) रु० था। नीलाम रुपये ६५१) में खत्म किया गया था। हानि लगभग रुपये ६६,०००) की होती किन्तु नीलाम को रद्द कर देने से नहीं हो पाई।

(३) जी हां। तहसीलदार के विरुद्ध प्राइमा—फेसी केस बनने के कारण उन्हें सस्पेन्ड कर दिया गया है। एडिशनल कलेक्टर के खिलाफ भी जांच जारी है।

(४) जान्च अधिकारी आयुक्त जोधपुर हैं।

श्री तनसिंह : जिनके खिलाफ इन्क्वायरी थी उनको सस्पेन्ड कर दिया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : तहसीलदार को सस्पेन्ड कर दिया गया है।

श्री तनसिंह : मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि उनको वापिस री-एपोईन्ट कर लिया गया है।

Page No.10

श्री दामोदरलाल व्यास : मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि चेयरमैन रेवेन्यू बोर्ड के मामलात में जांच हुई । मुझे मालूम हुआ है कि उनको री-एपोईन्ट कर लिया है । मैं इसकी इन्क्वायरी कर रहा हूं कि क्यों रीइन्सटेट किया गया है । ऐसा मालूम हुआ कि प्राइमा-फेसी इन्क्वायरी करके रेवेन्यु बोर्ड ने उनको वापिस री-इन्सटेट कर लिया है । मैं जानकारी कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री मोहरसिंह ।

पंचायतों का पुनर्गठन

७५०. **श्री मोहरसिंह** (चुरू) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि लूणकरणसर तहसील की सहजरासर पंचायत का एक गांव सहजरासर से ८ मील दूर है ?

(२) क्या यह सही है कि उसी तहसील में सेखसर पंचायत का एक गांव कालवास सेखसर से १८ मील दूर है ?

(३) क्या अब उपरोक्त पंचायतों को पुनर्गठित किया जावेगा ?

उप मंत्री, पंचायत (श्री दौलतराम सारण) :

(१) जी हां ।

(२) जी हां ।

(३) जी हां, उचित कार्यवाही की जा रही है ।

श्री मोहरसिंह : कब तक हो जाएगी ?

श्री दौलतराम सारण : जल्दी हो जावेगी ।

श्री मोहरसिंह : क्या यह सही है कि इन दोनों पंचायतों का बाद में चुनाव कराया जाएगा ?

श्री दौलतराम सारण : ऐसी मुझे जानकारी नही है ।

श्री मोहरसिंह : क्या चुनाव रोक दिये जावेंगे ?

श्री दौलतराम सारण : इसका इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा ।

श्री मोहरसिंह : असर कैसे नहीं पड़ेगा, अवश्य पड़ेगा ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री प्रभुलाल पुरोहित ।

चर्म उद्योग केन्द्र, सांगानेर

७५१. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या वित्त मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के सांगानेर चर्म उद्योग केन्द्र में कितनी पूंजी लगी हुई है ?

(ख) अब तक इस केन्द्र द्वारा कितना चर्म उद्योग से उत्पादित सामान विक्रय किया गया है ?

(ग) उक्त केन्द्र में कितना चमड़ा कहां कहां से मंगाया गया है ?

उप मंत्री (श्री दौलतराम सारण) :

(१) चर्म उद्योग के कार्य में केवल १३,७२० रू० की पूंजी लगी हुई है।

(२) चर्म उद्योग के उत्पादन में से ७,४७४ रू० के माल की बिक्री की गई है।

(३) इस केन्द्र में कच्चा चमड़ा निम्न स्थानों से मंगाया गया :—

		रूपया आ० पा०
(१)	विभिन्न चमड़ा केंद्र आगरा	१५,२०८—१२—६
(२)	चर्म उद्योग सहकारी समिति लि० करौली	६,८२१—४—०
(३)	ग्राम पंचायत सांगानेर	१००—०—०

योग २२,१३० रू० ० आ० ६ पाई।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री धर्मपाल पंवार।

हरिजन किसानों की बेदखली

७५२. श्री धर्मपाल पंवार (नोहरसु) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि हनुमानगढ़ तहसील के टी० बी० परगना में हज़ारों हरिजन किसान बेदखल किये जा रहे हैं ? अगर नहीं, तो एस. डी. एम, हनुमानगढ़ की अदालत में इस संबंध में कितने मुकद्दमें चल रहे हैं ?

(२) क्या यह सही है कि तहसील हनुमानगढ़ के टी. बी. परगना में हकदारों की हज़ारों बीघा जमीन बंजड़ पड़ी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस भूमि को एक्वायर कर भूमिहीन किसानों को देने की व्यवस्था करेगी ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास):

(१) जी नहीं, ४० मुकद्दमें।

(२) टी. बी. परगना में काफी बंजड़ जमीन मालकाना की पड़ी है और हकदारों की ओर से उसके नौतोड़ करने के प्रयत्न हो रहे हैं। सरकार सीलिंग द्वारा उस जमीन को ले सकती है।

श्री धर्मपाल पवांर : क्या सरकार को मालूम है कि उस इलाके में हरिजनों को मार पीट करके भी उनको बेदखल किया जा रहा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मुझे मालूम नहीं है। सीलिंग से सरकार ले सकती है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : सरकार ज़मीन की बेदखली को रोकने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : बिल पेश कर रखा है।

श्री श्रीभानसिंह : वह अभी तक कन्सीड्रेशन में नहीं आया है। इस बेदखली को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : बिल इन बेदखलियों को रोकने के लिए ही पेश किया है।

Page No.12

श्री श्रीभानसिंह : सरकार इस बिल को कब तक पास कराना चाहती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मैं नहीं कह सकता। अभी सीलिंग कमेटी की बहस हो रही है। माननीय सदस्यों के विचार मालूम होने पर कदम उठाया जाएगा।

श्री श्रीभानसिंह क्या इस बिल के पास नहीं होने से पर्पज़ डिफीट होगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इस बिल में ऐसी चीज नहीं है जिसमे उसका पर्पज़ डिफीट होगा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : मुकदमें किस बात के चल रहे हैं जब बेदखली नहीं हो रही है तो ?

श्री दामोदरलाल व्यास : बेदखली के मुकदमें चल रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : कब से पेन्डिंग हैं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री लक्ष्मीचन्द।

सस्ते अनाज की दूकानें, जसवन्तपुरा

७५३. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जिला जालोर के जसवन्तपुरा तहसील में चीप ग्रेन शॉप की दूकानें सन् १९४९ : ५० में किस किस जगह पर खोली गईं और कौन कौन एजेन्ट मुकर्रर किये गये ?

(२) क्या यह सत्य है कि उनके कमीशन का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) जसवन्तपुरा तहसील में १९४९—५० में मलवारा, रानीवारा, जेवाना, देतान, दातलावास, मारसीन, दुभरया, जसवन्तपुरा, भुनासा, भीनमाल, भीमपुरा और रामसीन में चीप ग्रेन शॉप खोली गईं थीं और इस काम के लिये संतोषचन्द भंवरलाल कमीशन एजेन्ट्स मुकर्रर किये गये थे।

(२) पार्टी के केवल दो क्लेम्स, रेलवे फ्रेट ९९२ — ७ — ० व नाज की कीमत २,३६९— ६ — ० तादादी ३,३६१— १३ — ० पेन्डिंग हैं, जिनकी जांच हो रही है। बाद जांच उचित रकम का जल्दी ही भुगतान किया जावेगा।

श्री लक्ष्मीचन्द : अब तक जांच नहीं होने का क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : डेमरेज के बारे में झगड़ा चल रहा है। रेलवे फ्रेट का झगड़ा चल रहा है।

एक माननीय सदस्य : यह १९४९ से चल रहा है। कब तक चलता रहेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कहा कि ये सारे केसेज फाईनेन्स डिपार्टमेंट में डील हो रहे हैं। वहां पर यह सारी पुरानी कार्यवाही हो रही है और जल्दी हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री प्रभुलाल पुरोहित।

चरागाह ग्राम डीगोद (लालसोट)

७५४. श्री प्रभुलाल पुरोहित(लालसोट) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

Page No.13

(श्री प्रभुलाल पुरोहित)

(क) क्या ग्राम डीगोद तहसील लालसोट को जो चरागाह सेटिलमेंट से छोड़ा गया था उसको जंगलात ने अपने अधीन कर लिया है ?

(ख) यदि हां, तो क्या अब जो सिवाय चक में जमीन हैं वह सरकार चरागाह के लिये देने को तैयार है ?

(ग) यदि हां, तो उक्त जमीन चरागाह के लिए कब दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :

(क) इस चरागाह को सेटिलमेंट द्वारा छोड़े जाने की कोई आज्ञा इस कार्यालय में नहीं है । इस समय यह वन विभाग के आधीन है ।

(ख) सेटिलमेन्ट ने जो चरागाह छोड़ रखा है वह आवश्यकता से अधिक है और देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) ऐसा कोई मामला पंचायत से जिलाधीश कार्यालय में आना नहीं पाया जाता । प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री बेनाराम गहलोत : (खारची) सेटिलमेन्ट से कितनी जमीन छोड़ी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : तीन हजार बीघा सिवाय चक के जमीन है ।

श्री बेनाराम गहलोत : इस ग्राम में मवेशी कितने हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मवेशियों की तादाद इस समय उपलब्ध नहीं है, जानकारी करके बता सकता हूं ।

श्री बेनाराम गहलोत : तो फिर किस आधार पर यह कहते हैं कि पर्याप्त जमीन छोड़ रखी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जिले से जो सूचना आई है उसके अन्दर यह कहा गया है कि तीन हजार बीघा जमीन छूटी हुई है । बन्दोबस्त विभाग का रकबा है और रकबा निकालने की आवश्यकता नहीं जो डिमार्केटेड है वही काफी है ।

श्री बेनाराम गहलोत : २२,६०० मवेशी हैं, क्या उनके लिये उपयुक्त है यह चरागाह ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ७५५

श्री मोहब्बतसिंह

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ७५६

श्री शिवनाथसिंह

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर

नगरपालिका, छोटी सादड़ी

७५७. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

Page No.14

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

(क) क्या यह सही है कि म्यूनिसिपल बोर्ड, छोटी सादड़ी में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत की गई थी तथा इसकी जांच करने के लिये एस. डी. ओ. निम्बाहेड़ा को नियुक्त किया गया था ?

(ख) यदि हां, तो जांच कब की गई थी तथा उसका फैसला कब दिया गया ?

(ग) क्या जांच की रिपोर्ट सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करेंगे ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद-गुप्ता) :—

(क) जी हां।

(ख) जांच की आज्ञा दिनांक ३।८।५७ को दी गई। एस. डी. ओ. की रिपोर्ट उनके पत्र दिनांक १६।११।५७ के साथ आई। चूंकि रिपोर्ट यह थी कि कोई अवैधानिकता न होकर केवल अनियमितता थी। दिनांक २७।१२।५७ को निर्देशक, स्थानीय निकाय को आदेश दिये गये कि वे इन अनियमितताओं को दूर करने का प्रयत्न करें। उन्होंने दिनांक ३०।१।५८ को इस प्रकार की चेतावनी संबन्धित अध्यक्ष नगरपालिका को दे दी है।

(ग) रिपोर्ट पर अन्तिम निर्णय नहीं हुआ अतः सदन की मेज़ पर नहीं रखी जा सकती।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : चेतावनी देने के बाद अनियमितता दूर हुई या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ३०।१।५८ को लिख दिया गया था।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : व्याप्त भ्रष्टाचार क्या था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज़ किया, भ्रष्टाचार कोई साबित नहीं हुआ; अनियमितता की शिकायत थी, फाईनेन्शियल इर्रेगुलेरिटी थी, कुछ आंकडे शामिल नहीं हुए थे। सिर्फ इतनी सी बात थी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

कोर्ट्स व सरकारी अधिकारियों हेतु सीकर में भवन - निर्माण

७५८. श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि सीकर ज़िले में कोर्ट्स एवं सरकारी अधिकारी भी किराये के मकानों में रहते हैं ?

(ख) यदि हां, तो अब तक कुल कितना किराया दिया जा चुका है ?

(ग) क्या किराये पर होनेवाले इस व्यय को ध्यान में रखते हुए सरकार वहां मकान बनाने की सोच रही है ?

(घ) यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों नहीं ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :

(क) नीमकाथाना तथा दांता रामगढ़ के अलावा सीकर जिले की कोर्ट्स एवं सरकारी अधिकारियों के बंगले किराये के मकानों में हैं।

(ख) ४५,०४२ रु० ६० नये पैसे।

Page No.15

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(क) यह विचाराधीन है ।

(ख) जितना जल्दी संभव होगा ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या इनके लिये मकान खरीदने की भी योजना बनी थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : विचाराधीन है ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मकान नये बनाने की या खरीदने की ?

श्री दामोदरलाल व्यास : खरीदने की और बनाने की दोनों विचाराधीन हैं ।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : सरकारी कार्य के लिए अन्य जगह न्यायालय खोलें तो आपको मकान देने के लिए तैयार हैं वहां क्यों नहीं लिये जाते ?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : जहां सरकारी कार्यालय चलते हैं उनकी कीमत क्या है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : किस मकान के लिए आप पूछ रहे हैं ?

श्री मुरलीधर व्यास : जहां कोर्ट्स हैं, जिन सारे मकानों का किराया देते हैं, उनकी क्या कीमत है ?

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या सरकार ने सार्वजनिक निर्माण विभाग से इस बारे में कोई प्रोपोज़ल्स मांगे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां ।

श्री भैरोंसिंह : कब मांगे थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : प्रोपोज़ल्स मौजूदा रावराजा साहब के बिल्डिंग में जहां कि ऑफिसेज़ चल रहे हैं उसके सिलसिले में एस्टीमेट बनाये गये थे । उन एस्टीमेटस को बना करके सरकार और रावराजा साहब के दर्मियान उनके खरीदने की बातचीत चल रही है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या और जगह भी मकान खरीदने को तैयार है सरकार ?

श्री दामोदरलाल व्यास: उणियारा में आवश्यकता नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस सम्बन्ध में सीकर के रावराजा साहब से भी अनुमति ली थी कि वे भी बेचना चाहते हैं या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, मगर कीमत के बारे में फैसला नहीं हो सका ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि रावराजा साहब ने जो आंकड़े दिये हैं वे आंकड़े सरकारी आंकड़ों के अनुरूप ही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इस बात की जांच नहीं की है ।

श्री भैरोंसिंह : जब राजस्थान सरकार द्वारा एस्टीमेट किये गये आंकड़ों में और रावराजा साहब जितने में बेचना चाहते हैं उन आंकड़ों में अन्तर नहीं है तो फिर उन इमारतों को खरीद क्यों नहीं लिया जाता ?

श्री दामोदरलाल यास : जहां तक खरीदने का सवाल है आपस में कीमत के बारे में फर्क है ।

Page No.16

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यदि प्राईसेज़ में अन्तर हैं तो लैण्ड एक्वीज़िशन एक्ट के मातहत उसे क्यों नहीं ले लिया जाता ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने क्या फर्माया ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : जहां पहले से कोर्टस् थे वहां से तहसीलें क्यों हटायीं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। लैण्ड एक्वीज़िशन एक्ट के मातहत उस बिल्डिंग को एक्वायर क्यों नहीं कर लिया जाता ?

श्री दामोदरलाल व्यास : हिसाब किताब बैठा रहे हैं, आपस में बातचीत हो रही है ।

श्री अध्यक्ष : कम्पलसरी एक्वायर करने में हो सकता है ज्यादा पैसा देना पड़े ।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा ।

बागड़ हॉस्पिटल, पाली

७५१. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) बांगड़ अस्पताल, पाली में प्रतिदिन आउट डोर मरीज़ों की संख्या कितनी है ?

(ख) उक्त अस्पताल में डॉक्टरों, कम्पाउन्डरों व नर्सों की संख्या कितनी कितनी है तथा इसमें इन्डोर पेशेन्टस के लिए कितने बेड्स हैं ?

(ग) ३१ दिसम्बर, १९५७ को इन्डोर पेशेन्ट्स की संख्या कितनी थी ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) :

(क) २३३.

(ख) इस अस्पाल का मौजूदा स्टॉफ इस प्रकार कार्य कर रहा है :—

डॉक्टर प्रथम श्रेणी	१.
डॉक्टर द्वितीय श्रेणी	३.
स्टॉफ नर्स	२.
मिडवाईफ	१.
कम्पाउन्डर द्वितीय श्रेणी	२.
कम्पाउन्डर तृतीय श्रेणी	३.
टैकनिशियन	१.
एल० डी० सी०	१.
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	८.

इस अस्पताल में अन्त: रोगियों के लिए ५० रोग शैयायें उपलब्ध हैं।

(ग) दिनांक ३१ दिसम्बर, १९५७ को इस अस्पताल में १५ अन्त: रोगी थे।

श्री मूलचन्द डागा : क्या यह सही है कि वहां डी० एम० एच० ओ० का अच्छा व्यवहार नहीं होने के कारण मरीज़ वहां जाना पसन्द नहीं करते ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वहां के लोगों की तन्दुरुस्ती अच्छी है इसलिए बीमार कम आते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : हॉस्पिटल में अठारह बैड्स का ही इन्तज़ाम है ज्यादा नहीं है, क्या यह बात सही है ?

Page No.17

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नया अस्पताल बना है उसमें ५० बैड्स की जगह है।

श्री मूलचन्द डागा : तो क्या अठारह को ही ऐडमिशन दिया जाता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसी बात नहीं हो सकती। पचास का एडमिशन होना चाहिये।

श्री मूलचन्द डागा : क्या वहां के डी० एम० एच० ओ० के खिलाफ शिकायतें आई हैं ?

प्रश्न संख्या ७६०

श्री अध्यक्ष : श्री नरपतसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा।

अकालग्रस्त ग्राम, पाली

७६१. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) पाली तहसील के कितने गांवों में इस वर्ष सावणू फसल बिल्कुल नहीं हुई व कितने गांव अकाल ग्रस्त हैं ?

(ख) उक्त गांवों के लिए आज तक कौन कौन से रिलीफ वर्कस कहां कहां खोले गये हैं तथा उनके लिए कितनी धन राशि दी गई है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :

(क) पाली तहसील में कुल १२७ गांवों में सावणू फसल बिल्कुल नहीं हुई और १४७ गांवों में अकाल घोषित किया गया है।

(ख) उन गांवों के लिए आज तक कौन कौन से रिलीफ वर्कस कहां कहां खोले गये हैं इसके लिए एक सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है। इन कार्यों के लिए २० मार्च तक २६,२५० रु० की धन राशि दी गई है। इसके बाद जो रकम स्वीकार की गई वह रकम मेरे पास नहीं है। बाद में मैं माननीय सदस्य को बता दूँगा।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : जिन गांवों में अकाल घोषित किया गया है वहां कितनी आबादी आती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आबादी की जानकारी नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : सहायता किस आधार पर दी जाती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सहायता तकाबी के रूप में अनाज या फोडर का ईन्तज़ाम करने के लिए दी जाती है।

श्री मुरलीधर व्यास : बिना आबादी की जानकारी किये किस प्रकार से सहायता देंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आबादी का ख्याल तो रखा जाता है पर इस वक्त मेरे पास यहां आंकड़े नहीं हैं और फिर इन आंकड़ों के आधार पर सहायता का फैसला अभी थोड़े ही करने जा रहे हैं ?

श्री शंकरलाल (रायपुर) : क्या सरकार राहत कार्य की धनराशि की वृद्धि पर भी विचार कर रही है या जो इस समय दी जा रही है उसे ही पर्याप्त समझती है ?

Page No.18

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा न कि मैं इस बारे में बाद में आपको जानकारी दे दूंगा ।

श्री अध्यक्ष:—प्रश्न संख्या ७६२—७६३

श्री हरिशंकर सिद्धान्त — शास्त्री ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ७६४

श्री मनोहर कोठारी ।

अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये ।

प्रश्न संख्या ७६५—७६६

श्री रामकरणसिंह ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ७६७

श्री शिवपतसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री धर्मपाल पंवार ।

राजस्थान हरिजन बोर्ड

७६८. **श्री धर्मपाल पंवार** (नोहर-सु) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान हरिजन बोर्ड की १६५६—५७ में कितनी कितनी बैठकें हुई और उनमें हरिजनों की आर्थिक, सामाजिक और बौद्धिक अवस्था को समान स्तर पर लाने की क्या क्या योजनाएं बनाई गई ?

(ख) बोर्ड के पास कितने पढ़े लिखे हरिजनों की दर्ख्वास्तें आई और उनमें से कितनों को नौकरी दिलाई गई ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री हरिभाऊ-उपाध्याय) :

(क) राजस्थान हरिजन बोर्ड नाम की कोई संस्था नहीं है अतः प्रश्न नहीं उठता ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : ऐसी संस्था राजस्थान में कायम करने की वित्त मंत्रीजी सोच रहे हैं क्या ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : राजस्थान हरिजन बोर्ड जैसी संस्था को स्थापित करने का तो कोई इरादा नहीं है पर ऐडवाइज़री बोर्ड अलबत्ता अभी कायम किया है ।

श्री श्रीभानसिंह : इसके कौन कौन सदस्य हैं और इसके सदस्य चुनने का क्या क्या क्राईटेरिया गवर्नमेन्ट रखती है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : ज्यादातर तो विधान सभा के सदस्य होते हैं, प्रायः सभी होते हैं और दूसरे सदस्य होते हैं ।

श्री धर्मपाल पंवार : क्या सरकार को यह मालूम है कि अभी जिसको ऐडवाइज़री बोर्ड कहा जाता है उसी को पहले हरिजन बोर्ड कहा जाता था ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सरकार के रेकॉर्डों में तो ऐसा नहीं है ।

प्रश्न संख्या ७६९

श्री अध्यक्ष : श्री जयचन्द्र मोहिल

(श्री अध्यक्ष)

(अनुपस्थित)

श्री तेजाराम गहलोत)

चिकित्सालय, सोजत

७७०. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत): क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) सोजत अस्पताल का हर साल १९५० से मार्च, १९५७ तक कितना कितना बजट रहा व हर साल पेशेन्ट्स का क्या नम्बर रहा ?

(ख) उक्त सालों में इन्डोर पेशेन्ट्स का क्या नम्बर रहा व हर साल उन पर कितना रुपया खर्च हुआ ?

(ग) सन् १९५७–५८ के लिए इन्डोर पेशेन्ट्स के लिये कितना बजट स्वीकृत किया गया व दिसम्बर, १९५७ तक कितना रुपया खर्च हो चुका है व पेशेन्ट्स का कितना नम्बर आया ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) सोजत अस्पताल के लिये १९५०–५१, १९५१–५२, १९५२–५३, १९५३–५४, १९५४–५५, १९५५–५६, १९५६–१९५७ के समय में कोई अलग बजट नहीं था। इनका खर्चा पाली डिस्ट्रिक्ट के संघटित बजट से होता था । शेष वर्षों में निम्नलिखित बजट रहा:—

१९५२–५३	१२,३२०) रुपया।
१९५३–५४	११,५७७) रुपया।
१९५७–५८	१६,४६४) रुपया।

रोगियों की संख्या निम्न प्रकार रही :—

वर्ष	अन्तः-रोगी	बाह्य रोगी
१९५०	१३५	७४,१२६
१९५१	१५०	६६,४६६
१९५२	१८६	६५,६२६
१९५३	२०७	५८,२७७
१९५४	२००	५८,४०३
१९५५	१४८	५०,८२६
१९५६	१४३	६५,३१७
१९५७-५८	२७४	७१,५७२

(ख) अन्तः रोगियों का विवरण ऊपर दिया जा चुका है। अन्तः तथा बाह्य रोगियों पर होनेवाले खर्चे का ब्योरा अलग नहीं रखा जाता है। अन्तः रोगियों पर होनेवाले खुराक के खर्चे का ब्योरा निम्न प्रकार है:—

वर्ष	खर्चा
१९५०	५८६ रु० ६आने ३ पाई
१९५१	५८६ रु० १३ आने
१९५२	१,०६८)रु० ४ आने ९ पाई
१९५३	१,४३६)रु० २ आने
१९५४	५६६)रु० १२ आने
१९५५	८६९)रु० १२ आने
१९५६	९१६)रु० ३ आने
१९५७–५८	४९९)रु० ५८ नये पैसे

(ग) ऊपर बताया जा चुका है कि अन्तः रोगियों के लिये अलग बजट नहीं होता। खुराक के लिये वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के बजट में ६००) रु० की स्वीकृति है जिसमें से माह दिसम्बर, १९५७ तक ४९९ रुपये ५८ नये पैसे खर्च किये जा चुके हैं तथा मरीज़ों की संख्या २७४ तक आई है।

श्री तेजाराम गहलोत : जब कि इन्डोर पेशेन्ट्स की गिनती लगातार बढ़ती रही है तो डाईट का प्रोविज़न लगातार घटता ही क्यों गया ?

Page No.20

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसा नहीं है। यह जो संख्या बताई है वहां आउट डोर की ५७-५८ में ७१,५७२ है जब कि १९५० में ७४,१२६ थी और उन पर जो खर्चा हुआ उसका हिसाब बता दिया।

श्री तेजाराम गहलोत : मैं यह नहीं पूछ रहा हूं। मैं तो यह कह रहा हूं कि इन्डोर पेशेन्ट्स का नम्बर बढ़ता गया और उनके डाईट का खर्चा लगातार घटता गया, यह कैसे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी नहीं, वहभी अभी करीब ६००) रु० है। वह तो खुराक का खर्च बताया। इनमें से बहुत से पेशेन्ट्स डाईट अपने घर की भी लेते हैं। जो वहां लेते हैं उन्हीं को डाईट दी जाती है जो अपने घर की डाईट लेते हैं उनको नहीं देते।

श्री तेजाराम गहलोत : क्या यह सही है कि जो इन्डोर पेशेन्ट्स हैं उनमें से कई वहां से खुराक लेना चाहते हैं पर बजट में प्रोविज़न नहीं होने से उनको नहीं दी जाती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी जानकारी में भी नहीं है। जो लेना चाहते हैं उनको दी जाती है।

श्री तेजाराम गहलोत : क्या सरकार से ऐसी कोई मांग की गई थी कि इस डाईट का प्रोविजन बढ़ाया जावे पर सरकार ने नहीं बढ़ाया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरी जानकारी में ऐसी बात नहीं है।

श्री तेजाराम गहलोत : यदि इस तरह की शिकायत अब आवेगी आपके पास तो आप बजट में इसका प्रोविजन बढ़ावेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो हाई-पोथेटिक बात है। जहां से मांग आती है वहां प्रोविजन किया जाता है, करते ही हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या वे आंकड़े भी आप बतावेंगे कि कितनों ने अपने घर से डाईट ली और कितनों ने अस्पताल से ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री लक्ष्मण हीरात।

डूंगरपुर में डूंगरपुर नरेश द्वारा अधिकृत भूमि

७७१. श्री लक्ष्मण हीरात (गोगुन्दा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या डूंगरपुर तहसील की डिमिया नामक भूमि में श्री लक्ष्मणसिंह, डूंगरपुर नरेश की भूमि है ? यदि हां, तो कितनी ?

(ख) क्या यह सही है कि श्री लक्ष्मण-सिंह की कोई भूमि नहीं होते हुए भी कुछ किसानों को वे वहां भूमि दे रहे हैं ?

(ग) क्या यह भी सही है कि कई हीरातों के किसानों ने डिमियां से भूमि लेनी चाही लेकिन उन्हें नहीं देकर अन्य दूर के लोगों को दे दी गई ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) डिमिया नामक भूमि कोई अलग भूमि नहीं है। राजधानी डूंगरपुर नामी जंगल में शामिल है जिसका कुल एरिया ११,५८६ एकड़ है।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(ख) यह भूमि (जंगल) श्री लक्ष्मण-सिंहजी डूंगरपुर नरेश की पर्सनल प्रोपर्टी है, इसलिये प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हिरातों के किसानों द्वारा डिमिया में ज़मीन चाहने के लिये प्रार्थनापत्र रेवेन्यु ऑफिसेज में प्राप्त नहीं हुए। क्योंकि यह पर्सनल प्रोपर्टी है इसलिये उसमें से रेवेन्यु ऑफिसेज़ द्वारा भूमि देने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : यह कितने बीघा ज़मीन है?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने बताया न कि ११,५८६ एकड़ भूमि है।

श्री लक्ष्मण हीरात : क्या यह सरकार के ध्यान में है कि इतनी अधिक ज़मीन जब एक आदमी के कब्जे में है तो उसे ले लिया जावे और भूमिहीनों को दे दिया जावे?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसीलिये तो सीलिंग की अर्ज़ कर रहा हूं कि आप इस (सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट) पर गौर करें।

प्रश्न संख्या ७७२

श्री अध्यक्ष : श्री जयचन्द्र मोहिल

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास

श्रम कल्याण केन्द्रों की स्थापना

७७३ **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी): क्या श्रम मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

सरकार ने कहां कहां श्रमिक कार्यस्थलों पर श्रम कल्याण केन्द्र खोले हैं तथा वे ऐसे स्थान अब कितने बाकी हैं जहां श्रम कल्याण केन्द्र खोलने की योजना है?

श्रम मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): ५०० से अधिक श्रमिक स्थलों में से निम्न स्थानों पर श्रम कल्याण केन्द्र खोल दिये गये हैं:—

अजमेर, ब्यावर, विजयनगर, केकड़ी, धौलपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, उदयपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, पाली, मकराना, कोटा, बूंदी, चम्बलबांध, लाखेरी और रामगंज मण्डी।

निम्नलिखित स्थानों पर श्रम कल्याण केन्द्र खोलने की योजना है:—

१९५८–५९ में जावर माईन्स व जामसर।

१९५९–६० में चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़ व भवानी मण्डी।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या जामसर में भी खोलने की योजना है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी हां। ५८-५९ में खोलने की योजना है।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने कहा कि ५०० से अधिक मज़दूर काम करते हों वहां खोले गये हैं तो क्या जामसर में इतने मजदूर काम करते हैं?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वहां ज्यादा होने का ख्याल है। संख्या बढ़ेगी इसलिये योजना में रख दिया है। यदि इतने श्रमिक होंगे तो खोल दिया जावेगा नहीं तो नहीं खोलेंगे।

Page No.22

श्री मुरलीधर व्यास : तो फिर आप जामसर में कब से खोलने जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : आपने निश्चित तौर से कह दिया कि योजना में है, खोल दिया जावेगा।

नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ७७४

श्री रामेश्वरदयाल।

(अनुपस्थित)

श्री पृथ्वीराज पटेल

वामनवास में नगरपालिका की स्थापना

७७५. **श्री पृथ्वीराज पटेल** (गंगापुर–सु): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

क्या वामनवास कस्बे की आबादी ५,००० से अधिक है ? यदि हां, तो वहां अब तक म्यूनिसिपल बोर्ड कायम नहीं किये जाने के कारण हैं ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : जी हां। वामनवास में नगरपालिका स्थापित किये जाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री पृथ्वीराज पटेल : यह कब से विचाराधीन है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो काफी दिन हो गये, पर अभी चूंकि मेहता कमेटी की रिपोर्ट पेन्डिंग में है इसलिये अभी निर्णय नहीं किया।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर): क्या यह भी मसला विचाराधीन है कि १०,००० के नीचे के क्षेत्र में नगरपालिका न घोषित की जावे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो डिसकस हुआ था यहां, वह तो अभी असेम्बली में ही विचाराधीन है।

श्री भैरोंसिंह : जब दोनों मामले विचाराधीन हैं तो ५,००० की आबादी-वाले का प्रश्न विचाराधीन है यह किस प्रकार से आप कहते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह भी विचाराधीन तो है, निर्णय अभी नहीं किया गया है। इन दूसरे मसलों पर निर्णय हो जावेगा तो इस पर भी निर्णय हो जावेगा।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या यह माना जावे कि उस समय तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं होगा जब तक सरकार न निर्णय कर ले कि १०,००० की आबादीवाले क्षेत्र में नगरपालिका बनाई जाये या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हां यही मानना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा

पटेलों व नम्बरदारों को दिया जानेवाला मुआवज़ा

७७६. **श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा** (किशनगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या किशनगढ़ सब-डिविज़न के गांवों के पटेल यानि नम्बरदार जो सरकारी काम अंजाम दे रहे हैं उनको कुछ मुआवज़ा दिया जाता है ?

(ख) अगर हां, तो कितना व कब से कब

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

तक का दिया गया है ? अगर नहीं, तो अब कब तक उनको देना शुरू कर दिया जावेगा ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास):

(क) जी हां।

(ख) किशनगढ़ सब-डिविज़न के अराई तहसील में ५ प्रतिशत पिचोत्तरा दिया जाता है तथा सरवाड़ के ८ ग्रामों में वसूली पर ५ पाई प्रति रुपया मुआवज़ा दिया जाता है। इस सम्बन्ध के नियम अभी हाल ही में दिनांक १५।१।५८ को प्रचलित हुए हैं इसलिए अब तक मुआवज़ा नहीं दिया जा सका था। किन्तु जब अराई तहसील में १९५१।५२ से १९५६।५७ तक तथा सरवाड़ के ८ ग्रामों में सम्वत् २०१२–२०१३ का दिया जा रहा है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : किशनगढ़ और रूपनगढ़ तहसील में क्यों नहीं दिया जाता ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज़ किया न कि दिया जा रहा है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : आपने कहा सरवाड़ और अराई के लिए।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या सारे राजस्थान में एक ही तरह से मुआवज़ा दिया जाता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वह अब तक भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न तरह से दिया जाता था पर अब एक रेट तय हो गई है।

श्री भैरोंसिंह : यह मुआवज़ा किस फंड से दिया जाता था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : एक तो सरकार के कन्सोलिडेटेड फण्ड से दिया जाता था और फिर गांववालों से वसूल होकर दिया जाता था। अलग अलग जगह अलग अलग तरह के कायदे थे। अब तो हमने एक नियम बना दिया है। आपने उनका मुलाहिज़ा किया होगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि नियम बन जाने के बाद भी कन्सोलिडेटेड फण्ड से दिया गया था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पिछला जो बकाया था उसके लिए तो ऐसा किया ही गया था।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : किशनगढ़ और रूपनगढ़ तहसील में मुआवज़ा कब दे दिया जायेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरी जानकारी यह है कि किशनगढ़ और रूपनगढ़ तहसीलों में ५७–५८ में मुआवज़ा देने की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न संख्या ७७७

श्री अध्यक्ष : श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : यह प्रश्न बहुत इम्पोर्टेन्ट है इसलिए इसका जवाब दे दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : पहले प्रश्न समाप्त कर लें फिर उत्तर दे दिया जायेगा।

श्री हीराभाई।

अकालग्रस्त क्षेत्र बांसवाड़ा

७७८. **श्री हीराभाई** (कुशलगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सन् १९५७–५८ में ज़िला बांसवाड़ा की समस्त तहसीलों में वर्षा के अभाव से फसलें नष्ट हो जाने की रिपोर्ट पर सरकार ने वहां अकाल घोषित किया है ? यदि हां, तो किस किस तहसील में ?

(ख) क्या सरकार ने अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में सहायता देने का ईन्तज़ाम किया है ? यदि हां, तो कितनी सहायता की रकम देना स्वीकार किया है एवं कितनी हर तहसील में दे दी गई है ?

(ग) सरकार ने रिलीफ काम चालू करने के पूर्व पुरुष या स्त्री को दैनिक कितनी कितनी मज़दूरी देना तय किया है ?

(घ) क्या उक्त मज़दूरी तय करते समय सरकार ने यह जानकारी कर ली थी कि प्रतिदिन कितनी संख्या पर क्या खर्चा होगा ?

(ङ) क्या सरकार ने यह निर्धारित किया हैं कि कितने कितने मील की दूरी पर रिलीफ काम खोले जायें ताकि मज़दूर सारा दिन काम कर शाम को वापिस घर आ सके ?

(च) क्या यह सही है कि अकाल घोषित गांवों में भी सहकारी व सरकारी कर्ज़ा वसूली की कार्यवाही चालू रखी गई है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :

(क) सन् १९५७–५८ में जिला बांसवाड़ा की पांचों तहसीलों में अभाव की स्थिति घोषित की गई है।

(ख) बांसवाड़ा ज़िले में भुखमरी किसी भी स्थान में नहीं फैली हुई है। अभाव ग्रस्त जनसमुदाय की सहायता के लिए सहायता विभाग द्वारा जो धनराशि स्वीकृत की गई है उसकी सूची सदन की मेज़ पर प्रस्तुत की जा चुकी है।

(ग) राजस्थान ड्राफ्ट फेमिन कोड के अनुसार खोदनेवालों को १२ आने, ढोने वालों को १० आने व १३ वर्ष से ऊपर की उम्रवाले बच्चों को ८ आने प्रतिदिन मज़दूरी दी जाती है।

(घ) हां, यह जानकारी पहले करली गई थी।

(ङ) ड्राफ्ट फेमिन कोड के अनुसार सहायता कार्य ऐसे केन्द्रों पर खोले जाते हैं जहां पर कि ५ मील की परिधि में पड़ने वाले ग्रामों के अकाल पीड़ित लोग ऐसे केन्द्रों पर चालू कार्यों पर आ सकें।

(च) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री हीराभाई : जानकारी पहले कर ली गई थी मज़दूरी के लिए तो यह क्या जानकारी कर ली गई थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जो अभावग्रस्त एरियाज़ हैं वहां कौन कौन से रिलीफ कार्य किये जाने चाहिये उनकी जानकारी करली गई थी। कहां कहां मज़दूरों की आवश्यकता है लोगों को इसकी डिस्ट्रिक्ट फेमिन रिलीफ कमेटी की राय से ही वहां कार्यवाही की गई।

Page No.25

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : डिस्ट्रिक्ट फेमिन रिलीफ कमेटी के माननीय सदस्य मेम्बर हैं क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, अवश्य हैं।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : क्या यह सही है कि जो अकालग्रस्त गांव घोषित हुए हैं उनमें वसूली हुई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जिन गांवों को अकालग्रस्त घोषित किया गया है उनमें वसूली नहीं हुई है।

श्री श्रीभानसिंह : (बयाना) अगर ऐसे गांवों में वसूली हुई है तो क्या सरकार उसको रिटर्न कर देगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अगर अकाल के समय की वसूली हुई है तो अवश्य रिटर्न की जायेगी। मगर मैं बता देना चाहता हूं कि यह सही नहीं है कि जो अकालग्रस्त गांव हैं उनमें किसी तरह की वसूली हुई है।

श्री नाथूराम : क्या यह सही है कि गश्त गिरदावरी के वक्त में गांवों को अकाल-ग्रस्त घोषित कर दिया गया जब कि ऐसा नहीं था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : गश्त गिरदावरी के वक्त में जितना नुकसान अकाल में होना चाहिए और जिन गांवों में नुकसान हुआ उन्हीं गांवों को अकालग्रस्त घोषित किया गया और अगर कहीं वसूली हुई है तो वह गांव अकालग्रस्त घोषित नहीं हुआ होगा। ऐसी जगह जो वसूली हुई है वह वाजिब है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी):यह जो ८ आने, १० आने और १२ आने के हिसाब से मजदूरी दी गई है वह कितने अकालग्रस्तों को दी गई है और कितनी दी जा चुकी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं सदन में, बांसवाड़ा के ऊपर पहले ही स्टेटमेन्ट दे चुका था। कितने अकालग्रस्तों को दी गई है इसका टोटल मेरे पास नहीं है।

श्री हीराभाई : मैं यह पूछता हूं कि अकाल के समय में सरकारी कर्जे की वसूली की गई है उसके बारे में सरकार ने कब वसूली बन्द करने की कार्यवाही की ?

श्री अध्यक्ष : जो अकालग्रस्त एरियाज़ हैं उनमें वसूली बन्द करने के आॅर्डर्स कब दिये गये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मुझे ठीक तारीख याद नहीं है। नवम्बर के महीने में दिये गये।

श्री हीराभाई : क्या यह सही है कि दीवानी मुकदमों आदि के सम्बन्ध में वसूली जारी रही ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जब कोई एरिया अकालग्रस्त घोषित किया जाता है तो किसी भी प्रकार की वसूली सिविल कोर्ट्स की हो या और कैसी हो तो वह बन्द हो जाती है।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

पेन्शनर्स, जिला टोंक

७७९. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

(क) टोंक डिस्ट्रिक्ट में पेन्शनर्सकी संख्या कितनी है ?

(ख) क्या यह सही है कि पेन्शनर्स को मंहगाई भी दी जाती है ?

(ग) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को किस किस रेट से ?

उप-वित्त मंत्री (श्री रिखबचंद धारीवाल): (क) प्राप्त सूचना के अनुसार उनकी कुल संख्या ६१३ है।

(ख) जी हां।

(ग) २० रुपये तक मासिक पेन्शन पाने वालों को ४ रुपये मासिक, २० रुपये मासिक से ऊपर ६० रुपये मासिक तक ५ रुपये मासिक, ६० रुपये मासिक से ऊपर १०० रुपये मासिक तक ६ ६रुपये मासिक, इस प्रकार मंहगाई दी जाती है।

जिनकी पेन्शन मंहगाई अलाउन्स से कम होती है उनको पेन्शन के अनुसार ही मंहगाई दे दी जाती है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : उनियारा के जो पेन्शनर्स हैं उनको मंहगाई नहीं देने का क्या कारण है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : उनियारा के कितने थे और उनको मंहगाई न देने के क्या कारण हैं, यह अलग सवाल है इसलिए इसके बारे में इस वक्त मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अलग सवाल है तो मैं पूछता हूं कि किनको मंहगाई दी जाती है और किनको नहीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने कह दिया कि मंहगाई दी जाती है। २० रु. तक मासिक पेन्शन पानेवालों को ४ रु. मासिक और २० रुपये मासिक से ऊपर ६० रुपये मासिक तक ५ रुपये मासिक आदि मंहगाई दी जाती है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जिनको नहीं मिलती सरकार उनकी इन्क्वायरी करके यह मंहगाई दिलाने की कृपा करेगी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अगर आप ऐसे कोई केसेज़ बतायेंगे कि फलां आदमी को जो इस केटेगरी में आता है उसको नहीं मिलती तो अवश्य कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न संख्या ७८०

श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष : श्री मोगजी भाई।

भील सेवा मंडल, बांसवाड़ा

७८१. श्री मोगजी भाई (बांसवाड़ा) : क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग निम्न-लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) जिला बांसवाड़ा में भील सेवा मंडल नाम की संस्था की स्थापना कब की गई थी ? उक्त संस्था के कितने और कौन कौन सदस्य हैं ?

(ख) क्या उक्त संस्था रजिस्टर्ड

Page No.27

(श्री मोगजी भाई)

है ? यदि हां, तो सरकार इसे कितनी वार्षिक सहायता देती है और क्या इसके आय व्यय के हिसाब की जांच सरकार करती है ?

(ग) क्या उक्त संस्था के नाम से कोई अन्य छात्रावास चलाये जाते हैं ? यदि हां, तो कौन कौन से व उनमें कितने कितने छात्र हैं ?

मंत्री, समाज कल्याण विभाग (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (क) जी हां । प्राप्त सूचनानुसार जिला बांसवाड़ा में भील सेवा मंडल नाम की संस्था सन् १९५२ में निर्मित की गई थी ।

उक्त संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति के निम्न ९ सदस्य हैं :—

१. श्री भीखाभाई ।
२. श्री नटवारलालजी भट्ट ।
३. श्री छगनलालजी ।
४. श्री प्रभाशंकर पांड्या ।
५. श्री मोहनलालजी आचार्य ।
६. श्री मानजी भाई ।
७. श्री तार्जेग भाई
८. श्री नाथूराम ।
९. श्री नानाभाई ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : What about Mogji Bhai ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : इसीलिए पूछा है ।

(ख) जी हां । उक्त संस्था को प्रति छात्र १५ रु० माहवार की सहायता दी जाती है । उक्त संस्था का भी और संस्थाओं की तरह ऑडिट चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा ही किया जाता है ।

(ग) जी हां । उक्त संस्था द्वारा निम्न छात्रावास चलाये जाते हैं जिनमें छात्र संख्या निम्न प्रकार है :—

छात्रावास का नाम	छात्र संख्या
१. मूंगड़ा	२१
२. खादू	२२
३. जोलाना	२२

श्री मोगजीभाई : क्या यह सही है कि बांसवाड़ा तहसील में खादू में भी छात्रावास चलता है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : छात्रावास है और यहां के छात्रों की संख्या २२ है ।

श्री मोगजीभाई : खादू का नहीं बताया ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : बताया है अभी खादू का ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या छात्रावास का सम्पूर्ण खर्चा सरकार की ओर से होता है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जी हां ।

श्री मुरलीधर व्यास : कितना खर्च कुल होता है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : (अश्रव्य)

श्री मुरलीधर व्यास : फिर........

श्री अध्यक्ष : पहले इसका उत्तर आने दीजिए।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : वह उत्तर लिखित में नहीं है, इसलिए नहीं दे सकते।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : क्या यह सही है....

श्री अध्यक्ष : श्री मोगजीभाई पूछें पहले।

श्री मोगजी भाई : क्या यह सही है कि छात्रावास को सहायता दी जाती है तो उसके पहले कोई जांच नहीं की जाती है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मेरे पास ऐसी जानकारी नहीं है जिसमें यह सब हो कि जांच की गई है या नहीं की गई है।

श्री पी. के. चौधरी : क्या यह सही है कि पिछले ३ साल से मंडल का कोई एकाउन्ट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से चेक नहीं हुआ है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैंने जवाब दिया कि ऑडिट से चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा ही इसकी जांच की गई है।

श्री पी. के. चौधरी : क्या पिछले तीन साल से नहीं की गई है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह जानकारी मेरे पास में नहीं है! अगर आप जानकारी देते हैं तो उसकी जांच करवा लूंगा।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या यह सही है कि ग्रान्ट देने के नियम में यह है कि ग्रान्ट देने से पहले ऑडिट रिपोर्ट को देखा जाय ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या यह माना जाय कि यह जो सहायता दी गई है वह पिछले साल के एकाउन्ट्स की ऑडिट रिपोर्ट को देख कर दी गई है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह मानना चाहिए, क्योंकि नियम ऐसा है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने अभी कहा है कि पिछले दो साल से एकाउन्टस का ऑडिट नहीं हुआ है....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह तो मैं देखूंगा।

श्री भैरोंसिंह : नहीं हुआ है तो फिर सहायता किस प्रकार से दी गई है ?

श्री अध्यक्ष : वह स्वीकार नहीं करते हैं, आपने कहा है कि जांच करायेंगे।

श्री श्रीभानसिंह : यह ठीक नहीं है उन्होंने फरमा दिया था।

एक माननीय सदस्य : क्या डेगाना के छात्रावास को कोई सहायता नहीं दी गई है ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग प्रश्न है।

(इससे पूर्व के अन्य प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष : ७५६ और ७६४ दोनों का उत्तर है ?

Page No.29

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां।

गांवों के बन्दोबस्त की मियाद, झुंझूनू।

७५६, **श्री शिवनाथसिंह** (गूढ़ा) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि झुन्झुनू ज़िले के कुछ गांवों को छोड़कर बाकी करीब ६०० गांवों के बन्दोबस्त की मियाद समाप्त हो गई है ?

(२) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही कर रही है ?

(३) क्या यह भी सही है कि झुन्झुनूं ज़िले में माफी, उदक, बाड़ आदि ज़मीनों की पैमाइश करीब २० साल पूर्व हो चुकी है, मगर अभी तक काश्तकारों को पर्चा खतौनी नहीं मिले हैं ?

(४) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही कर रही है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :

(१) जी हां।

(२) रिवीज़न बन्दोबस्त का औचित्य देखने के लिए लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा १४३ के अनुसार इस साल फोरकास्ट रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है।

(३) जी हां।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कौन से प्रश्न का जवाब है ?

श्री अध्यक्ष : ७५६ का।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अर्ज़ कर रहा हूं ७५६ का।

(४) यदि रिवीज़न जारी किया गया तो इसके साथ इनमें पर्चे बटेंगे वरना अलहदा तरमीम तस्दीक वगैरह कराने की बात सोची जायगी।

श्री शिवनाथसिंह : बन्दोबस्त की मियाद कब खत्म हो चुकी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज़ किया कि खत्म हो चुकी है।

श्री शिवनाथसिंह : कब हो चुकी है, यह पूछा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : ठीक तो मुझे याद नहीं है लेकिन संवत् २०१३-१४ में।

श्री शिवनाथसिंह : क्या यह सही है कि २००८ में मियाद खत्म हो गई है और अभी तक बन्दोबस्त नहीं हुआ है।

श्री दामोदरलाल व्यास : फोरकास्ट धारा १४३ के अन्तर्गत तैयार कराई जा रही है। फोरकास्ट से आवश्यक समझा जाय कि रीसेटिलमेंट किया जाय, तो किया जायगा।

श्री शिवनाथसिंह : क्या यह सही है कि जो पुराना बन्दोबस्त है उसके हिसाब से १।३ लगान के दिये जा रहे हैं जब कि आज-कल १।६ पर हो रहा है तो इससे काश्तकारों से नुकसान हो रहा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ४।३ तो उस वक्त था और इस वक्त तो ४।६ है। यह आवश्यक नहीं सारा लगान बन्दोबस्त में कम होगा, क्योंकि उस टाइम के भावों में और इस टाइम के भावों में काफी फर्क है।

जागीरदारों में बकाया रकम।

७६४. **श्री मनोहर कोठारी** (कुम्भलगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राज्य अथवा उसके द्वारा संचालित फंडों की कितनी रकम किन २ जागीरदारों में बकाया है तथा उनकी वसूली की क्या कार्यवाही हो रही है ?

(ख) क्या ऐसे भी जागीरदार हैं जिनमें उनकी जागीरदारों से बनने वाले मुआवज़े की रकम से अधिक रकम बकाया है ?

(ग) यदि हां, तो किस किस में कितनी २ रकम बकाया है और उनको क्रमशः कितना मुआवज़ा मिलने वाला है ?

(घ) जिन लोगों से मुआवज़े की होने वाली रकम से अधिक सरकारी बाकियात लेनी निकलती है उनसे मुआवज़ा मिन्हा (सेट ऑफ) करने के बाद शेष रकम किस प्रकार वसूल की जायेगी ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :

(क) पूरी सूचना प्राप्त नहीं हुई है और उसके प्राप्त करने में काफी समय लगेगा। बकाया के वसूल के लिए राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण नियमावली, सन् ५४ के नियम ३७ (सी) के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

(ख) जी हां।

(ग) अभी समस्त जागीरों के मुआवज़े का अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है, इसलिए पूरी सूची नहीं दी जा सकती।

(घ) कर्ज़ा मुआवज़े की रकम में से काटने के पश्चात् जो बचेगा उसकी वसूली की कार्यवाही हर केस के मेरिट्स के अनुसार की जायगी।

श्री मनोहर कोठारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह तीन महीने पहले दिया हुआ प्रश्न है उसकी भी डिटेल्ड जानकारी नहीं दी जाय, तो क्या क्वेश्चन किये जांय।

श्री दामोदरलाल व्यास : जानकारी नहीं हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट टर्न में देदें।

श्री दामोदरलाल व्यास : नेक्स्ट टर्न में भी माननीय अध्यक्ष, मुश्किल है। मैं अर्ज़ करूंगा कि १५ रोज़ से पहले जवाब नहीं दे सकूंगा।

श्री भैरोंसिंह : नेक्स्ट टर्न इन नेक्स्ट सेशन।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, ७७६ का भी उत्तर आना चाहिए। वह बहुत ही महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष : समय समाप्त हो चुका है प्रश्न का।

(विराम)

एक शार्ट नोटिस क्वेश्चन है
श्री मुरलीधर व्यास का।

Page No.31

अल्पकाल सूचना प्रश्न

साभर झील के नमक का उत्पादन एवं वितरण

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर शहर) : Will the Minister-in-charge of Industries kindly state:—

(1) Whether it is a fact that the production and distribution of salt in Sambhar Lake at present controlled by the Salt Department of the Government of India, is being handed over to a private limited concern, the Hindustan Salt Co. Ltd. ?

(2) Whether the traders and other interested parties in Sambhar have no representation or voice in the aforesaid company ?

(3) It so, will it not affect the economy of the salt traders labour and the resident of Sambhar lake in general ?

(4) Whether the Government of Rajasthan is prepared to make an immediate representation to the Government of India to stop the handing over of the aforesaid company ?

उप उद्योग मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) :

1. Yes, it is a fact that the production and distribution of salt in Sambhar Lake as well as at other places, where Government of India manufacture salt, are being handed over to a private limited company called 'The Hindustan Salt Development Corporation'. This corporation would be wholly the Government-owned and not a private concern.

2. Since it would be a wholly Government concern, Traders and other interested parties will not have any more voice in the concern than they have at present in the Government salt department.

3. The Government does not fear that it would affect adversely the economy of the salt traders, labour and other residents of Sambhar Lake.

4. The Government of Rajasthan does not want to stop the formation of this concern. It will only mean that instead of working those salt deposits departmentally, the Government of India would work through a corporation. The Rajasthan Government have also been invited to become share—holders in this corporation.

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार के द्वारा नमक के एग्रीमेंट के साथ में, भारत सरकार के एग्रीमेंट के विषय में जो विचार करने की बातचीत चल रही थी उसके ऊपर कोई पुनर्विचार नहीं हुआ है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : शायद एग्रीमेंट लीज़ के बारे में ?

श्री भैरोंसिंह : जी हां।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : उसके बारे में लीज़ दिये जाने की अवधि के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने ६६ साल की लीज़ दिये जाने के बारे में राजस्थान गवर्नमेंट को

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

लिखा है और इसके बारे में राजस्थान गवर्नमेंट व सेन्ट्रल गवर्नमेंट के बीच इस अवधि को कुछ कम किये जाने के बारे में बातचीत चल रही है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सॉल्ट के जितने भी रिटर्न्स हैं उनके ऊपर इस कन्सर्न का अधिकार होगा ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह बात तय नहीं है, जब तक फाइनेलाइज़ नहीं हो जाय तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री भैरोंसिंह : क्या राज्य सरकार महसूस करती है कि उन रिटर्न्स पर राज्य सरकार का अधिकार हो ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : राजस्थान सरकार उन रिटर्न्स को अपना समझती है लेकिन क्योंकि अब तक उनका उपयोग ही नहीं था, ये वैसे ही पड़े हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है कि यह कन्सर्न इन रिटर्न्स पर अधिकार नहीं जमा सकती ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया था कि अभी तक फाइनल बात हुई नहीं है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा किस प्रकार की बात होगी, यह सब फाइनेलाइज़ होने के बाद कहा जा सकता है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या इस प्रकार का परिवर्तन होने से वहां के व्यवसाहियों और मज़दूरों पर असर पड़ेगा।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जहां तक राजस्थान सरकार समझती हैं कोई असर नहीं पड़ेगा। अभी डिपार्टमेंट प्रबन्ध कर रहा है, फिर कोर्पोरेशन कार्य करेगा।

श्री दयाकृष्ण विजय : मज़दूर जो बेकार हो जायेंगे उनको काम पर लगाने का आश्वासन दिया गया है क्या ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मज़दूरों के बेकार होने का सवाल नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या राजस्थान सरकार ने भारत सरकार के सॉल्ट कमिश्नर को कोई सुझाव इस बारे में दिया था ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : फिर से फरमाइये।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार की ओर से भारत के सॉल्ट कमीशन को इस प्रकार के कोर्पोरेशन का निर्माण करने का सुझाव पेश किया गया था ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : हमने कोई सुझाव नहीं दिया था। यह गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के खुद की तरफ से दिया हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : क्या राजस्थान सरकार की ओर से इस बात का प्रोटेस्ट नहीं किया गया कि सरकार एग्रीमेंट की शर्तों पर विचार करेगी और जब तक वह विचार नहीं कर ले तब तक फाइनेलाइज़ नहीं किया जाय ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जहां तक सिद्धान्त का सवाल है, इस बात को मन्जूर किया गया है कि कोर्पोरेशन बनना चाहिए

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

जिससे ठीक तरह की व्यवस्था हो सके, राजस्थान सरकार भी इसमें पार्टीसिपेन्ट हो सकती है। अब इस बारे में क्या एग्रीमेंट होगा, क्या टर्म्स होगी यह तय नहीं हुआ है। सिद्धांत को हमने स्वीकार किया है।

श्री भैरोंसिंह : क्या राजस्थान सरकार को यह अधिकार है कि जो शर्तें होंगी उन पर दुबारा विचार किया जा सकता है ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : सारे मामले पर विस्तार से बात करने के लिए दिल्ली में एक मीटिंग बुलाई गई है जिसमें पहले अधिकारियों के लेवल पर बातचीत होगी और फिर मिनिस्ट्रीयल लेवल पर चर्चा होगी। हम ऐसा मानते हैं कि कॉर्पोरेशन बनने से सांभर का ज्यादा विकास होगा, बमुकाबले आज हो रहा है।

श्री मुरलीधर व्यास : इस सम्बन्ध में स्थानीय नागरिकों के प्रतिनिधि आपसे मिले हैं क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हां मिले हैं, उनके साथ काफी चर्चा हुई है। उनकी बातों को लक्ष्य में रख कर बातचीत की जायगी।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या उन लोगों ने यह कहा है कि वहां के नागरिकों को और मज़दूरों को नुकसान होगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उनके दिल में शंका है। मज़दूरों के बारे में मुझे जानकारी प्राप्त हुई है और मैं जब वहां गया था तब भी इस प्रकार के कोर्पोरेशन का उन्होंने स्वागत किया है। व्यापारियों को कुछ संशय है, वे मानकर चलते है कि पता नहीं उनका ट्रेड चलेगा या नहीं। हमने उनको कहा है कि जब इस बारे में तय करेंगे तब उनकी बातों को भी ध्यान में रख कर बात करेंगे।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या पचपदरा और डीडवाने के सॉल्ट भी इस कोर्पोरेशन के अन्तर्गत लिये जायेंगे ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : डीडवाना के बारे में कोई बात नहीं है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : पचपदरा के बारे में क्या विचार है ?

श्री अध्यक्ष : अभी तो प्रपोज़ल ही है। प्रिन्सिपल पर बात हो रही है। डिटेल्स जब वर्क आउट करेंगे तब आपकी बातों को भी ध्यान में रखेंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री पी. के. चौधरी : अध्यक्ष महोदय, My privilege motion...

श्री अध्यक्ष : Please have patience.

श्री मुरलीधर व्यास : मेरा स्थगन प्रस्ताव....

सदन की मेज पर रखे गये पत्र राष्ट्रपति एवं राज्यपाल द्वारा स्वीकृति प्राप्त विधेयक

श्री सचिव (श्री धर्मेन्द्र परिहार) : मैं सदन की मेज पर विधान सभा द्वारा पारित उन विधेयकों का विवरण जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, रखता हूं।

(श्री सचिव)

वे विधेयक जिस पर राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है :—

कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर (राजस्थान अमेन्डमेन्ट) बिल, १९५८।

वे विधेयक जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है :–

१. राजस्थान पंचायत (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९५८.

२. युनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९५८.

३. राजस्थान फाइनेन्स (एग्रीकल्चरल इन्कमटैक्स बिल) १९५८.

श्री जनार्दनराय नागर : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अनुमति दी है या स्वीकृति दी है ?

श्री अध्यक्ष : जैसा आप समझें।

९. १६. म. पू.

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व में सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री बालमुकुन्द ने दिनांक ९–४–५८ से २३–४–५८ तक विधान सभा से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री श्रीभानसिंह : अध्यक्ष महोदय, इनको अनुमति नहीं दी जाय क्योंकि ये रीजन्स देते नहीं हैं और छुट्टी ले लेते हैं। एक माननीय सदस्य ने सदन के आखिर तक के लिए छुट्टी ली थी, पर आज वे मौजूद हैं।

श्री अध्यक्ष : फिर भी आप छुट्टी दे देते हैं।

९. १७ म. पू.

जयपुर के दैनिक पत्र 'नवयुग' के प्रति विशेषाधिकार प्रस्ताव

श्री भैरों सिंह : अध्यक्ष महोदय, यदि यह मुझसे संबन्धित है तो सदन में पहले मुझे बोलने की अनुमति दी जाय।

श्री अध्यक्ष : आवश्यकता होगी तब देखेंगे। श्री श्रीभानसिंह ने राजस्थान के दैनिक पत्र 'नवयुग' के सम्पादक के विरूद्ध एक विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दी है जो इस प्रकार है :

I enclose herewith a copy of the Daily 'Navyug' of the 10th April, 1958, On its page 3 some comments appear regarding the motion on the enquiry of the conduct of Shri Tika Ram Paliwal, a member of the Rajasthan Legislative Assembly. The publication of such comments over a matter, which is under consideration of the Hon'ble. Speaker tantamounts to interfere or is meant to influence the decision of the Chair and is a clear breach of the privileges of the House. A perusal of the whole comment show that the Editor has tried to express himself in a subtle way against the member concerned. Moreover, this act of the Editor impedes this House in the performance of its function and also its members in the discharge of their duties and has a

Page No.35

(श्री अध्यक्ष)

tendency to produce such results as may be treated as a contempt.

I, therefore, seek permission to move the motion of Privilege against the Editor of the said paper."

Privilege Motion.

"That this House do now consider the breach of privilege committed by the Editor of 'Navyug' daily Hindi of Jaipur in its article of the 10th April, 1958, by commenting on the motion of inquiry into the conduct of Shri Tikaram Paliwal, an Hon'ble. Member of this House, pending for decision before the Hon'ble. Speaker.''

उपरोक्त प्रस्ताव में माननीय सदस्य द्वारा मुख्यत: दो निम्नांकित मुद्दे उठाये गये हैं।

(क) श्री टीकाराम पालीवाल के आचरण सम्बन्धी जिस मामले पर उक्त पत्र में टीका टिप्पणी की गई है वह अध्यक्ष के विचाराधीन था, अतः यह अध्यक्ष द्वारा दिये जाने वाले निर्णय में हस्तक्षेप करने एवं उसे प्रभावित करने हेतु किया गया था।

(ख) सम्पादक का यह कार्य सदन तथा उसके माननीय सदस्यों के कार्य में बाधाजनक है एवं इस प्रकार की प्रवृति सदन के अपमान की गणना में आती है।

अब इस सम्बन्ध में मुख्य सम्पादक, 'नवयुग' ने आपत्तिजनक शब्दों को वापस लेकर लिखित में क्षमा याचना प्रस्तुत की है, जिसे मैं सदन के समक्ष पढ़कर सुना देता हूं:—

"A 'columnists article has appeared in Navyug on page 3 in the Morning edition of the paper dated the 10th April, 1958 entitled 'Explanation of Shri Paliwal'. The following words were used in that article :—

"यदि कुल मिलाकर इसी निष्कर्ष पर पहुंचें कि बिना फीस लिये वकालत भी की जाती है और इस तरह के उल्लेख एडवोकेसी नहीं है तो ऐसे निर्णायकों की बुद्धिमता की सराहना की जायेगी।"

These words can be construed to imply contempt of the Members of the House. For this reason, I am taking back all these words unconditionally and beg to apologise to the Hon'ble. Speaker and the Members of the House."

ऐसी दशा में मैं आशा करता हूं कि सदन उसमें आगे कोई कार्यवाही करना पसन्द नहीं करेगा।

श्री भैरोंसिंह : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, माननीय अध्यक्ष, जो क्षमा याचना के लिए पत्र आया, उसके पहले प्रिविलेज़ मोशन की जानकारी सचिवालय को दी गई थी, उसकी जानकारी किसके द्वारा 'पत्र' को मिली ?

श्री अध्यक्ष : कौन सी?

श्री तनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेम्बरों को तो पता नहीं, उनको कैसे पता लग गया कि प्रिविलेज़ मोशन आया है। इस चीज़ की जानकारी हमसे पहले उनको कैसे मिल गई और उन्होंने क्षमा मांगी।

श्री अध्यक्ष : We contacted the Editor and told him what he had to say about it and he rightway agreed that it is breach of privilege.

क्या सदन की अनुमति है इसे ड्राप कर दिया जाय।

Page No.36

श्री तनसिंह : मुझे निवेदन करना है....

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक निवेदन करना है कि जहां तक एपॉलोजी का सवाल है, यह सदन की मर्जी है कि वह मंजूर करे या न करे। मगर मुझे निवेदन करना है कि सदन एपॉलोजी को मंजूर करे, तो अभी तक परम्परा यह रही है कि अगर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज बनता है, और सदन माफ कर देता है, तो उस एपॉलॉजी को पेपर के अन्दर पब्लिश करना चाहिए और जब वह एपॉलोजी उस आर्टिकल के लिए, माननीय अध्यक्ष, आप के पास भेजी गई थी, तभी उस एपॉलोजी को माननीय एडीटर को पेपर के अन्दर पब्लिश कर देना चाहिए था। इसके अन्दर एक और दुविधा आती है कि एडीटर ने यह क्लीअरली नहीं कहा कि वह आर्टिकल किसने दिया है, एक जानकार के नाम से आर्टिकल दिया था। माननीय अध्यक्ष ने उस पत्र के नाम को डिस्क्लोज़ नहीं किया। हो सकता है कि किसी ने आर्टिकल को लिखा हो, लेकिन उसका पूरा नाम माननीय स्पीकर को बताना था। तो यह सब देखते हुए अगर सदन माफ करे और इस एपॉलोजी को मंजूर करे तो मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम कॉन्टीन्यूअसली दो रोज़ तक पेपर को बाध्य किया जाय, कि उस एपॉलोजी को पब्लिश करे। यही मेरा निवेदन है। साथ ही वह एपॉलोजी फ्रन्ट पेज पर पब्लिश होगी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जो प्रिवलेज़ मोशन आपने पढ़ कर सुनाया और उसके ऊपर जो एपॉलोजी एडीटर की तरफ से आई हैं और जैसा आपने भी फर्माया इस सदन को उनकी क्षमा याचना पर उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। अभी जो प्रश्न उठाया गया, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य के द्वारा, कि एडिटर चाहे तो आर्टिकल के लिखने वाले का नाम नहीं बताये। आम तौर से, मैं समझता हूं एडीटर रेस्पोन्सिबिल होता है किसी पत्र के सम्पादन में। जब एडीटर स्वयं अनकन्डीशन एपॉलोज़ी मांगते हैं, उसके बाद किसने आर्टिकल लिखा है, इसका प्रश्न नहीं रहता क्योंकि जो मुख्य संचालक हैं पत्र के, वे एपॉलोज़ी मांग लेते हैं तो उसके बाद विवाद का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता।

दूसरे जैसा अभी सुझाव दिया गया है, यह एपॉलोज़ी उस पत्र में प्रकाशित होनी चाहिए, मैं समझता हूं यह उचित बात है। जो निर्णय किया जाता है, उसे पत्र को प्रकाशित करना चाहिए। अब मैं आशा करता हूं कि सदन इसे स्वीकार करेगा।

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं....

श्री तनसिंह : यह गड़बड़ हो गया।

श्री नरोत्तमलाल जोशी (झुंझुनू) : Mr. Speaker, Sir, I rise here, as a question of privilege of the rights of the Members of this House has arisen. In the first instance, I agree with the observations of the Chief Minister to the extent that it is not advisable to force the Editor to disclose the name of the person who has written that article. We are in the infant stage of democracy and we have to lay down certain healthy principles. I submit with due respect to all the Members of this House that the Members should be very

(श्री नरोत्तमलाल जोशी)

earnest and enthusiastic to safeguard their privileges and rights. As has been pointed out by the Member who tabled the motion of privilege, I wonder how the information leaked out to the editor when it was the first privilege of the Member of this House to know that a privilege question was put in before this House.

I, Sir, will make it very clear that anything regarding the privileges which is under the consideration of the Speaker is a confidential thing with the Speaker and that confidence comes out first of all between the Speaker and the House, It was a question of the privileges of the Members of this House and it was the right of the Members of this House to know first of all that a privilege motion was moved. I am rather pained to see that this House which was first entitled to know whether a question of privilege was moved, was ignored. Secondly, Sir, the Speaker, as the symbol and dignity of the whole House, he holds the paramouncy and supremacy so far as the affairs of this Legislature are concerned, but Sir, the Speaker is identified with the Members of this House. The Speaker has taken away the procedural matter which the Privileges Committee was to discharge, who have to teach the persons at large, to teach the press people in general that no such comments should be made when the decision of a privilege motion is under the consideration of the Speaker. We have to see that the editor is brought before the Privileges Committee and explains his conduct under what circumstances according to him he was justified in making such remarks. That procedure, Sir, I submit, has been obviated, has been deviated.

I request that all these things which have been admitted and conceded by the leader of the House that an apology in one, two or three consecutive issues of the paper should be published in broad headlines. This could have been observed by the Privileges Committee and after that the question ought to have come before this House. This House would have decided whether we should accept this apology or not and the House would have passed a verdict. With all said, Sir, now the matter is a closed chapter as the ruling has come from theHon'bleChair and we have no say in the matter.

I think the Hon'ble Members will agree that the observations of the Chair have to be respected, as the Chair is not separate from the Members, the Chair and the Members are one and the same thing and the Chair is the symbol and dignity of the House. If the Chair has decided this in a summary manner, I submit that we have to follow it, we have to maintain it.

But I hope that this summary trial of the editor will not form a precedent for future and if any breach

Page No.38

(श्री नरोत्तमलाल जोशी)

of privilege takes place, it is a right and privilege of the Members of the House to know it first and nobody else before that. I submit Sir, that if the House, if we are accepting the question put by the Hon'ble Chair and accept the apology of the editor, then there should be a condition as has been suggested by the Hon'ble Member who has tabled the motion that the editor should be called upon to publish his apology in 3, 4 or 5 consecutive issues of his daily paper. Then I think the House should adjourn with that and no further discussion should take place, as the observations have been made by the Chair.

I submit, Sir, that I mean no dissent from the remarks of the Chair, but Sir, as we are in the infant stage of democracy we have to maintain a healthy parliamentary life in the country, we have to observe such procedure so that public at large and press inparticular may know that these are the rights and privileges of the Members of Legislature and they are not to be violated.

Thank you, Sir.

श्री जनार्दनराय नागर : अध्यक्ष महोदय,......

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष,........

श्री श्रीभानसिंह : (श्री नागर की ओर अभिमुख होकर)

You are on leave.

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, विशेषाधिकार के सम्बन्ध में हमारे कुछ नियम बने हुए हैं और नियमों के साथ साथ कुछ परम्पराएं हैं और जहां नियम स्पष्ट नहीं होते वहां उन परम्पराओं के अनुसार कार्यवाही की जाती है। प्रस्तुत विशेषाधिकार के प्रस्ताव से जो इस समय माननीय अध्यक्ष ने सदन के समक्ष पढ़कर सुनाया, ऐसा आभास हुआ कि यह विशेषाधिकार का प्रस्ताव नियमों के अनुकूल है और ब्रीच ऑफ प्रिविलेज बनता है। अब इसके बाद प्रश्न आता है कि सदन सीधा हस्तक्षेप करके निर्णय दे या विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द करें और उस विशेषाधिकार समिति की जो सिफारिश आये उसके ऊपर सदन अपना निर्णय दे। अध्यक्ष महोदय, नियम बिलकुल स्पष्ट हैं। जहां तक नियमों का प्रश्न है, यह बिलकुल स्पष्ट है कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय उसे नियमानुकूल कहते हैं, उस पर अपनी कन्सेन्ट देते हैं, तो इसके बाद नियमों के अनुसार कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि सदन उसे अपने हाथ में सीधा ले और उसके ऊपर निर्णय दे दे। प्रश्न आता है कि विशेषाधिकार समिति जो सदन के द्वारा नियुक्त की हुई समिति है, छोटा अधिकार रखती है, सदन का उस पर सुप्रीम पॉवर है। सदन ने परम्परा कायम की है कि यदि इस प्रकार का विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाय तो सदन सीधी कार्यवाही नहीं करेगा समिति को दे देगा, समिति गहराई तक जाय। सदन के सदस्य के विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है, उसके लिये कौन कौन व्यक्ति उत्तरदायी हैं, जिस किसी ने ऐसा

Page No.39

(श्री भैरोंसिंह)

कार्य किया उसका इन्टेन्शन किस प्रकार का है, बैड इन्टेन्शन से ऐसा किया है या किस तरह किया है, इसका निर्णय तकाज़े में नहीं किया जा सकता, समिति ही विशेष रूप से इस बारे में सारी जांच कर सकती है। हमारी इस प्रकार की परम्परा रही है कि विशेषाधिकार का प्रश्न आये तो राय प्राप्त करने के लिये, सारे मामले की इन्क्वायरी प्राप्त करने के लिये विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाय, इसमें मुझे कोई ऐसी बात नहीं दिखती कि इस प्रकार के प्रश्न को प्रिविलेज कमेटी को क्यों नहीं दिया जाय।

सदन इस पर निर्णय कर रहा है, हो सकता है कि विशेषाधिकार समिति जांच करके, इससे और भी सिवियेन्ट कदम उठाये जाने के लिये सिफारिश करे या और कड़ा कदम उठाने के लिये राय दे, इसलिये मैं समझता हूं कि विशेषाधिकार के इस प्रश्न को प्रिविलेज कमेटी के सुपुर्द किया जाना चाहिये। जहां तक नियमों का प्रश्न है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि सदन इस प्रकार तुरन्त निर्णय ले।

आज दूसरा प्रश्न जिसका परम्पराओं से सम्बन्ध है, मैं निवेदन करूंगा कि विशेषाधिकार का प्रश्न ऐसा है कि अल्पमत इस प्रकार के मामले में माननीय अध्यक्ष का संरक्षण प्राप्त करे। बहुमत के दुरुपयोग के कारण सदन के किसी सदस्य के विशेषाधिकार पर कुठाराघात होता हो तो माननीय अध्यक्ष से संरक्षण प्राप्त करें। वहां अगर मेजोरिटी से तय करने का विचार कर लिया तो लीडर ऑफ दि हाउस पर जिम्मेदारी आती है, उनका कर्त्तव्य होता है कि उसको इस सदन में रख कर विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव करें ताकि विशेषाधिकार समिति उस पर पूरी तरह विचार करके और जांच करके अपना निर्णय दे। नहीं तो कोई भी विशेषाधिकार का प्रश्न आया और सदन में कह दिया कि अमुक आदमी ने चिट्ठी लिखकर माननीय अध्यक्ष से माफी मांग ली है, सदन को माफी दे देनी चाहिये तो सदन उस पर न तो अच्छी तरह से विचार कर सकता है और न विशेषाधिकार की रक्षा ही कर सकता है, जो आज के प्रजातन्त्र के जमाने में आवश्यक है।

इस विशेषाधिकार के प्रश्न पर सदन को कोई निर्णय नहीं लेना चाहिये और सदन द्वारा बनाई हुई विशेषाधिकार समिति को दे देना चाहिये। वह विचार करे कि कितनी सज़ा उस एडीटर को दी जाय और जिनका अपमान किया है उनको किस तरह कम्पेन्सेट किया जाय। कम्पेन्सेट करने के लिए यह भी हो सकता है कि अखबार में कई दिनों तक छापा किया जाय और बाकायदा इस सदन में खड़े होकर माफी मांगी जाय। एक कम्पेन्सेट करने का तरीका यह भी हो सकता है कि उचित कम्पेन्सेशन के लिए माननीय सदस्य या सदन जो उचित समझे वह दंड दे। इस विशेषाधिकार प्रस्ताव के पीछे गम्भीर बात है, ऐसे मामले में बहुमत के आधार पर निर्णय नहीं लिया जाता, वह समिति की सिफारिश के लिए सदन के नेता की ओर से जाता है।

अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जहां तक नियमों का सवाल है, माननीय अध्यक्ष को रूल्स को रिलेक्स करने का अधिकार है, जैसा वे चाहें निर्णय ले सकते हैं पर साथ ही साथ प्रश्न आता है कि

(श्री भैरोंसिंह)

माननीय अध्यक्ष अल्पमत के कस्टोडियन हैं। अतः ऐसी स्थिति नहीं हो कि आयन्दा ऐसी चीजों में सदन सीधा इस प्रकार का निर्णय बहुमत के आधार पर ले। जहां बहुमत के दुरुपयोग का प्रश्न आता है वहां अध्यक्ष महोदय अल्पमत के हितों की रक्षा करें।

ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करूंगा कि हमारे सामान्य नियम बने हुए हैं, व उनको रिलेक्स करने की स्थिति है और न नई परम्परा डालने की आवश्यकता है जिससे कि हम इस प्रकार के विशेषाधिकार के प्रश्न पर तुरन्त निर्णय लें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि यदि सदन इस विशेषाधिकार के प्रश्न को विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द करने का निर्णय ले तो ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष : मैं स्थिति को स्पष्ट कर दूं। जब माननीय सदस्य ने यह विशेषाधिकार का प्रस्ताव भेजा तो मेरा यह मत था कि जो शब्द 'नवयुग' में लिये गये हैं वे आपत्तिजनक हैं। जैसा कि मैंने बताया मेरी स्पष्ट धारणा है कि 'नवयुग' का यह कार्य आपत्तिजनक है और सदन के अपमान की गणना में आता है। अब प्रश्न यह रह जाता है कि इस विशेषाधिकार के प्रश्न को जिस समय यह आया था उसी समय पेश क्यों नहीं किया गया या फ्री क्यों नहीं किया गया। लोक सभा का एक केस था जो कि बिलकुल इसी तरह का था। उसको हमने दो तीन दिन तक देखा और उसमें ऐसा समेरी प्रोसीजर काल में लिया गया था। विशेषाधिकार समिति को इस प्रकार का मामला तब भेजा जाता है जबकि मामला उलझन भरा हो और उसमें कोई ऐसी चीज़ हो जिस पर विशेषाधिकार समिति बैठ कर विचार करें और अपना मत सदन के सामने रखे। पर जब मेरी धारणा थी स्पष्ट तौर से कि विशेषाधिकार का हनन हुआ है तो फिर विशेषाधिकार समिति के पास भेजने की आवश्यकता उत्पन्न नहीं होनी चाहिये। निश्चित रूप से विशेषाधिकार का हनन हुआ है इसलिये मैंने सुझाव दिया कि सदन चाहे तो इस तरह माफ कर सकता है। सदन की परम्परा रही है कि जब जब इस प्रकार के प्रश्न पर माफी मांगी है, एपॉलोजी टेन्डर की है तो माफ किया है और काफी उचित है कि उनको माफी दे दी जाय। लेकिन अगर फिर भी सदन चाहे कि दूसरा तरीका अपनाया जाय तो यह सदन के हाथ की बात है। पर मैं देखता हूं कि इन सब बातों को देखते हुए यह उचित और उपयुक्त होगा कि इस प्रश्न को विशेषाधिकार समिति को न भेज कर यहीं कोई और ही निर्णय ले लिया जाय। दो स्टेजेज होती है, पहली तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज की और दूसरी पनिशमेंट की। पहला प्रश्न है उसके लिये मैंने साफ कह दिया है कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है। दूसरी सज़ा देने की बात है उसके लिये जैसी सदन की परम्परा रही है उसके लिये मैंने कहा, जो तजवीज पेश की है उसको सदन के नेता ने स्वीकार किया है। तो मेरी इच्छा है कि 'नवयुग' के सम्पादक ने जो एपॉलोजी मांगी है, उनको कहा जाय कि फ्रन्ट पेज के ऊपर उसे छापें।

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष, मैं इसमें एक संशोधन पेश करना चाहता हूं। मेरा संशोधन यह है कि यहां इस सदन के

(श्री भैरोंसिंह)

अन्दर माफी मांगी जाय और इस माफी मांगने के फार्म को लगातार तीन चार दिन तक अखबार में मुख पृष्ठ पर छापा जाय और सरकार की ओर से इस अखबार को जो एडवर्टाइजमेंट दिये जाते हैं वे एक महीने तक न दिये जायं ताकि सदन और सदन के माननीय सदस्यों के प्रति क्या उत्तरदायित्व है इसके बारे में सभी सूचित हों।

यदि 'इन ऑर्डर' ऐसा प्रस्ताव आता है तो मैं अपना इस प्रकार का संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि सदन की परम्परा रही है कि ऐसे मामलों में कोई फॉर्मल प्रस्ताव या अमेन्डमेंट नहीं आये हैं और न वोट होते हैं।

एक प्रस्ताव सदन के सामने है, बगैर किसी संशोधन के और विचार विमर्श के उसे स्वीकार कर लेना चाहिये।

मैं समझता हूं कि सदन इसे स्वीकार करता है।

श्री भैरोंसिंह : इसका डिसिज़न किस प्रकार से होगा ?

श्री अध्यक्ष : मैंने सुझाव रखा, सदन के नाम। सदन के नेता ने स्वीकार किया और सदन उसको स्वीकार करता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सदन के नेता स्वीकार करते हैं ?

श्री अध्यक्ष : इसको तरमीम के रूप में नहीं लिया है। हमने ऐसा कभी किया नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो इस प्रकार का प्रस्ताव आना चाहिये।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, यह सीधा सा सवाल हमारे सामने नहीं है। यह विशेषाधिकार का प्रश्न है। इसके अलावा यह 'नवयुग' पत्र कांग्रेस पार्टी का है और कांग्रेस पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है। कांग्रेस में बड़े बड़े व्यक्ति इसलिए आपके द्वारा संरक्षण चाहूंगा। यदि आप सदन के द्वारा इस संबन्ध में सम्मति प्राप्त करना चाहें तो कोई बात नहीं मगर मैं यह कहूंगा कि यदि हम 'नवयुग' के प्रति कड़ा कदम उठावें तो यह एक एग्ज़ेम्पलरी पनिशमेंट होगी और इसका असर दूसरों पर भी पड़ेगा। इसलिये जब कभी क्षमा याचना का प्रश्न पैदा होता है तो इतनी आसानी से उसको नहीं जोड़ा जाना चाहिये। इसमें जो जो लोग हैं वे काफी हस्ती रखने वाले हैं। अध्यक्ष महोदय, हम लोग कानून के द्वारा संरक्षण प्राप्त कर सकेंगे। यदि जो सेन्स जानी गई है, मेजोरिटी से ही प्राप्त करनी है तो हमें खेद है कि....

श्री अध्यक्ष : लोक सभा में भी इस प्रकार का प्रस्ताव प्रताप पर भी पेश हुआ था और उसने वहां इसी तरह से किया। इसी तरह की बात को ध्यान में रख कर किया था और कोई कानून का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जो सुझाव आपने दिया व खुद मैंने, जैसी कि सदन की परम्परा रही है, एक प्रकार की सज़ा के रूप में हम

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

तय करते रहे हैं उससे मेल खाती हुई बात है और जैसा अभी सुझाव आया कि एक बात चार रोज़ तक चलती रहे और दूसरी बात यह कही गई की एडवर्टाइजमेंट बन्द हो; तो दर असल क्षमा याचना करना, खुद में इस प्रकार का कदम गलत था। उनमें सबसे बड़ा सेफगार्ड होता है और आमतौर से पी. पी. में एडवर्टाइज किया जाता है और मैं समझता हूं किया गया है कि किसी व्यक्ति की दृष्टि से पत्र किसका समर्थक है, उस दृष्टि से नहीं देखा गया है और यह ज्यादा वाद-विवाद में डालने का प्रश्न नहीं है। अध्यक्ष महोदय ने इस पर जैसा यहां फरमाया कि 'प्रताप' की इसी प्रकार की घटना लोक सभा में हुई थी उसी घटना के आधार पर यह तय किया है, फिर हमें इस सदन में इस प्रकार की बातें करना उचित नहीं होगा। मैं समझता हूं कि इसे स्वीकार करना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह (मुख्य मन्त्री से): आपकी तरफ से मोशन पेश होना चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) इसके लिये मोशन का प्रश्न नहीं होता वह तो स्पीकर के सामने प्रश्न था।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, ने यह निर्णय दिया है कि यह ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का प्रश्न है तो ऐसी स्थिति में सदन इस प्रकार का निर्णय ले सकता है कि आगे क्या कार्यवाही की जाए। यदि सदन को कार्यवाही करनी है तो वह भी लिखित रूप में होनी चाहिये और उसके लिये मोशन किया जावेगा और जब सदन में एक दफा मोशन आ गया है तो, then it is the property of the House. तो हाउस इस चीज का निर्णय लेगा। मैं समझता हूं कि इसका एक ही तरीका है कि इसके लिये सदन में मोशन मूव किया जाए। माननीय अध्यक्ष, मुख्य मंत्री को आदेश दें कि वे इस प्रकार का मोशन सदन में मूव करें और सदन अपना निर्णय दे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूं कि यह मोशन का प्रश्न नहीं है जिसके लिये अध्यक्ष महोदय आदेश दें। जहां तक एपॉलोजी का प्रश्न है वह रिटिन में है और सदन के सामने रखी गई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो आपका रूलिंग है। यह नेता की तरफ से आना चाहिये। आगे बहुमत से यह हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : वोट देने का प्रश्न होता तो जरूर लेते लेकिन सदन की परम्परा रही है, मैं आपको बता दूं कि लोक सभा में जो कार्यवाही हुई है उसमें ऐसा ही हुआ है। वहां पर फॉर्मल मोशन नहीं लाया गया। हाउस की सेन्स ली गई। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि हाउस की सेन्स ले ली है इसको फ्रन्ट पेज पर....

श्री भैरोंसिंह : जब हाउस ने कोई निर्णय नहीं लिया तो यह हाउस का निर्णय कैसे कहा जा सकता है ? यह तो स्पीकर की ओर से हुआ है। इसलिये जब यह प्रश्न हाउस के सामने आये तो उस सूरत में हाउस अपना डिसीज़न ले सकता है। हमारे यहां पर, यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट पर 'चोर मंडली' चित्र-शीर्षक पर प्रिविलेज का

(श्री भैरोंसिंह)

प्रश्न हुआ था, मुझे याद तो नहीं है, मत-विभाजन हुआ। तो प्रिविलेज के मामलों में वोट होते हैं। यह माना कि परम्परा नहीं है लेकिन जिस समय प्रश्न सदन में प्रस्तुत हो गया तो लेन-देन का जो तरीका है या परम्परा है उसके अनुसार सदन निर्णय ले सकता है। अभी जिस तरह से यह कहा गया कि ३ दफे एडवर्टाईजमेंट्स निकाले, जैसा कि अभी हमने डेफिनेट निर्णय नहीं लिया है कि तीन बार निकाले; तो मैं यह निवेदन करूंगा कि यह हाउस का लिखित में डिसीजन नहीं है। यदि कोई लिखित में हाउस का डिसीज़न नहीं है तो कोई चीज़ नहीं है और यह हाउस का निर्णय नहीं है। हाउस का निर्णय ३ बार, या ४ बार या ५ बार हैड लाईन्स में फ्रन्ट पेज पर हो, यह स्पष्ट रूप से नहीं है। मैं समझता हूं कि यह कोई हाउस का निर्णय नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का डेफिनेट निर्णय लेने के लिये कि सदन ने क्या डिसीजन लिया है, चाहे नेता ने माफ कर दिया हो, चाहे माफीनामे को तीन दिन बाद प्रकाशित कर दिया हो लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि माननीय नेता की तरफ से इस सम्बन्ध का मोशन आना चाहिये। सदन उस पर विचार न करके अपना केवल मत दे दे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं जानकारी करना चाहता हूं कि आमतौर से जब कोई प्रश्न इस प्रकार का होता है जिसके बारे में यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ या नहीं....

एक माननीय सदस्य:(व्यवधान) चेअर ने डिसीज़न दिया है।

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उस मौके पर लीडर ऑफ दी हाउस प्रिविलेज का यह प्रश्न रखता है। जहां तक इस विषय का प्रश्न है, जैसे प्रिविलेज कमेटी के सामने से रिपोर्ट आती है और उसके बाद सदन का नेता खड़ा होकर मोशन मूव करता है कि खाली कार्यवाही की जावे तो इस प्रकार से सुझाव आपके सामने आया है कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज को मान लिया और और उसके बाद में क्या सजा और क्या नहीं हो। इसके बारे में आपके सामने सुझाव है है कि माननीय सदस्य इस बात को गंभीरता के साथ लेंगे कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इम्पोर्टेन्ट बात है। मैं समझता हूं कि इसके भी हमारे यहां ट्रेडिशन और तरीके हैं। उनको लक्ष्य में रख कर चलेंगे तो हम सज़ा देते हैं उसकी गंभीरता की बात महत्वपूर्ण बनेगी और हमें उसको और तरीकों से देखना चाहिये। इससे भवन के अन्दर और हमारे निर्णय पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा।

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, लोक सभा में जब 'प्रताप' का केस आया था तो क्या उस समय लोकसभा के नेता ने इस प्रकार के प्रस्ताव को रखा था ?

श्री अध्यक्ष : वहां प्रस्ताव नहीं आया। स्पीकर ने इतना कहा कि सदन एपोलोज़ी देता है। क्या इस पर मोशन स्वीकृत हो गया ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह जो माफी मांगी गई है वह एडीटर की तरफ से मांगी गई है या चीफ एडीटर की तरफ से ? हो सकता है कि चीफ एडीटर के बजाय कम्पोज़िटर या और किसी ने मांग ली हो ? मेरा यह इसलिए निवेदन है कि सबसे ज्यादा ज़िम्मेदार चीफ एडीटर होता है, इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष, आपसे निवेदन करना

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

चाहता हूं कि चीफ एडीटर ने माफी मांगी है या कम्पोज़ीटर या कम्प्युटर, किस ने मांगी है। अगर चीफ एडीटर ने माफी नहीं मांगी है तो सदन इस पर विचार नहीं कर सकता, और न विचार करना ही चाहिए।

श्री नरोत्तमलाल जोशी : May I say some thing, sir.

श्री अध्यक्ष : It is from the Chief Editor.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उनका नाम क्या है ?

श्री अध्यक्ष : Chief Editor, Shri Misra.

श्री तनसिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रेस रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत चाहे बुक्स का प्रकाशन हो या चाहे किसी न्यूज़ पेपर का प्रकाशन हो, उसमें जितनी ज़िम्मेदारी सम्पादक की होती है उतनी ही ज़िम्मेदारी प्रकाशक की भी होती है। इसमें चीफ एडीटर प्रकाशक भी है या नहीं ?

श्री नरोत्तमलाल जोशी (झुंझुनूं) : Mr. Speaker, Sir, the question before the House is about the quantum of punishment to the Editor. In my opinion, the proper and just way in every Legislature is, that no question can come up before the Members of the House, unless a motion is moved. The question has come before the House and if the House decides to discuss the motion, it should be moved and discussed. I may say, Sir, that the Chair has already observed that prima facie there has been a breach of privilege. This position has been accepted by the Chair and if the House also accepts the apology tendered by the Editor then the matter ends. But Sir, I will again say that if the House insists that there should be a motion or further discussion, it should be done. If the House wants that the Editor be called upon to appear before the Privileges Committee and tender his apology before the Committee and if the House also wants that the Committee should also consider such amendments as proposed by the Member, Shri Bhairon Singh, then it is necessary that there should be a motion before the House. The Chair has observed that a breach of privilege has been committed and for that matter has also taken a summary decision. The House is not to discuss this point any more and has only to confine itself to the question of quantum of punishment.

To safeguard the rights and privileges of the Members of this House is not only the duty of the Speaker but is the primary duty of the Leader of the House also. As I said earlier, we are not discussing that it is a question of privilege or not, but the main question before us is now to decide the quantum of punishment. It is the right of all the members to discuss any motion which comes before the House. If they insist on discussion they should in my opinion, be allowed to speak so that such matters may be elaborately discussed in the House. If they insist

(श्री नरोत्तमलाल जोशी)

upon the right of discussion, it is the right of every member to table amendments. There is no other way if the member insists.

It is a fundamental rule that no topic can be discussed without a regular motion. And this fundamental rule applies to all sorts of motions. When the Chair has observed and recommended that the apology of the Editor or the Chief Editor be accepted and this recommendation has partially been approved by the Leader of the House, it makes incumbent that the motion be put before the House. We can then discuss whether or not the apology be accepted and whether the question of stopping or giving advertisements as raised by the Member (Shri Bhairon Singh) be considered and whether the apology be printed in papers in two or three numbers. When the member insists on the right of debate it should be regularised under the Rules of Procedure, sir.

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : On a point of information sir, अध्यक्ष महोदय, बात यह तय नहीं हुई कि कितने दिन तक एपॉलॉज़ी उस समाचार पत्र में प्रकाशित की जाय। यह तब तक तय नहीं हो सकती जब तक कि सदन में इसके बारे में मोशन न आये, तब तक कोई भी निर्णय नहीं हो सकता। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इस बारे में बाकायदा मोशन आना चाहिए, तभी हाउस निश्चित रूप से अपनी राय दे सकता है। उसको माफी दी जाय या न दी जाय और कितने दिन उस माफी को प्रकाशित किया जाय इस बारे में मोशन आने पर ही निर्णय हो सकता है, उसके बिना कोई निर्णय माना नहीं जा सकता। इस तरह से दी गई एपॉलॉज़ी कम्पलीट नहीं मानी जायगी।

श्री अध्यक्ष : We will keep the matter pending for further consideration since there is no unanimity of action.

श्री श्रीभानसिंह : अध्यक्ष महोदय, कोर्स ऑफ एक्शन में तो युनोनिमिटी है। चेयर की तरफ से जो ऑब्ज़र्वेशन हो गया है उसको न मानने का सवाल नहीं है, उसको तो मानना है। मेरा तो सिर्फ यह निवेदन है कि अगर किसी प्रकार का अमेन्डमेंट आये कि इसकी प्रोपर पब्लिसिटी होनी चाहिए तो उसके लिए रेगुलर मोशन होना चाहिए and the House should give certain decision.

श्री अध्यक्ष : I have already said it would be kept pending.

श्री श्रीभानसिंह : Then the matter can be kept pending for ten days.

श्री अध्यक्ष : It is kept pending.

श्री भैरोंसिंह : क्या यह नेक्स्ट सेशन में आयेगा ?

श्री अध्यक्ष : Pending means pending.

(विराम)

६·५५ म० पू०

मेजर फतेहसिंह के मामले से संबन्धित विशेषाधिकार प्रश्न

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को विदित है कि इस मामले के संबन्ध में सदन में काफी चर्चा हो चुकी है श्री भैरोंसिंह ने अब फिर दिनांक १८ अप्रेल, १९५८ को एक और विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना दी है, जो इस प्रकार है:—

"भूतपूर्व अजमेर राज्य की विधान सभा के तथा वर्तमान विधान सभा के सदस्य मेजर फतेहसिंहजी ने पाली ज़िले की पुलिस के विरुद्ध जनता को हर प्रकार से परेशान करने की शिकायतें उच्चाधिकारियों को की तथा उसका उत्तरदायित्व वहां के एस० पी० श्री गुमानसिंह पर ठहराया और उचित कार्यवाही करने की मांग की, परन्तु राज्य की ओर से इस संबंध में कोई सन्तोषजनक कार्यवाही नहीं हुई जिससे पुलिस को और भी नैतिक बल प्राप्त हुआ और एस० पी० श्री गुमानसिंह ने यहां तक दुस्साहस किया कि सन् १९५५ में उक्त माननीय सदस्य के विरुद्ध डाकुओं से साँठ गाँठ करने तथा डाके डलवाने में सहयोग देने का अभियोग लगाकर थाना सिरियारी में जेर दफा ११५ । ११७ ता० हि० मुकदमा बनाकर उनको गिरफ्तार कर लिया तथा अपमान करने की दृष्टि से उनके हथकड़ी डालकर उनको घुमाया गया । अदालत में पेश होने पर अदालत ने जमानत पर छोड़ दिया तथा पुलिस को तुरन्त चालान पेश करने के आदेश दिये और कार्यवाही मुकदमा स्थगित की गई । अदालत द्वारा पुलिस के चालान पेश करने पर मुकदमें की सुनवाई कई बार स्थगित की गई परन्तु ६,७ बार स्थगित करने के बावजूद भी जब पुलिस चालान पेश करने में सफल नहीं हो सकी तो अदालत ने श्री फतेहसिंह को रिहा कर दिया । श्री फतेहसिंह ने एस० पी० गुमानसिंह पर एक फौज़दारी का दावा करने की भी सरकार से अनुमति मांगी परन्तु सरकार द्वारा अभी तक अनुमति प्राप्त नहीं हो सकी । इसी संबन्ध में दिनांक १९ । ३ । ५८ को मेजर फतेहसिंहजी ने पुलिस विभाग की मांग पर वाद-विवाद के समय इस सारी घटना का उल्लेख करते हुए पुलिस अधिकारी के कार्यों की तथा सरकारी नीति की आलोचना की । इस आलोचना के परिणामस्वरूप, यह स्वाभाविक है कि पुलिस अधिकारी एवं विधान सभा के सरकारी प्रतिनिधि को ठेस पहुंची, और इसी कारण उन्होंने यह विचार किया कि उक्त विधान सभा के सदस्य विधान सभा में इस प्रसंग को भविष्य में नहीं रख सकें इस प्रकार की व्यवस्था की जाय, इसी हेतु १९५५ में दायर किये जाकर समाप्त हुए एक असत्य मुकदमें का अदालत में तुरन्त ही भारतीय दंड विधान की धारा३०२ में चालान पेश किया जाय जिससे उक्त सदस्य भी आतंकित हो जायें तथा मामला सब-जुडिस होने के कारण इस सदन में भी चर्चा का विषय न बने ।

सरकार का दृष्टिकोण इसमें अशुद्ध रहा है, इसका स्पष्ट प्रमाण यही है कि जिस मुकदमें का लगातार चार वर्ष में चालान पेश नहीं किया जा सका उसका चालान सदन में उक्त सदस्य द्वारा चर्चा करने पर केवल तीन दिन के समय में किया गया और वह भी एक गलत दृष्टिकोण से और विधान सभा की चर्चा के आधार पर होने वाली कार्यवाही से बचने के लिए ।

ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि विधान सभा में सरकारी अधिकारियों एवं सरकारी रीति-नीति के विषय में आलोचना करने के विधान सभा के सदस्यों के

(श्री अध्यक्ष)

अधिकार पर कुठाराघात करने की गरज से यह कार्यवाही की गई है जो विशेषाधिकार का उल्लंघन है। अतः संबन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु विशेषाधिकार का प्रस्ताव प्रस्तुत है।"

माननीय सदस्य का कथन है कि दिनांक १६ मार्च, १९५८ को मेजर फतेहसिंह द्वारा पुलिस विभाग की मांग पर किये गये वाद-विवाद में भाग लेकर पुलिस अधिकारियों तथा सरकारी नीति की आलोचना करने के फल स्वरूप सन् १९५५ में उनके विरुद्ध दायर किये गये मुकदमें का चालान इस चर्चा के तुरन्त बाद ही पेश कर दिया गया है जिससे सभा के सदस्यों के मन में भय उत्पन्न हो व अपने विचार स्वतंत्रता पूर्वक प्रगट नहीं कर सकें, इस प्रकार सदस्यों के अधिकारों का हनन हुआ है। अतः इस प्रश्न को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे।

इस संबन्ध में मैं यह बतलाना चाहूंगा कि दिनांक २३ अप्रेल, १९५८ को श्री शिवचरणदास के एक स्थगित प्रश्न का उत्तर देते हुए, गृह मंत्री ने इस मामले को पूर्णतया स्पष्ट कर किया है कि पुलिस द्वारा जो चालान मेजर फतेहसिंह के विरुद्ध अदालत में जब पेश किया गया है इसका सदन में मेजर फतेहसिंह द्वारा दिये गये भाषण से कोई संबन्ध नहीं है। संयोगवश ये दोनों बातें एक साथ होगई हैं जिससे यह भ्रम उत्पन्न हुआ है।

चूंकि यह मामला अब अदालत के विचाराधीन है, इस पर अधिक वाद-विवाद अनुपयुक्त है, अतः इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाती है।

१० म० पू०

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर निर्णय लेने से पहले मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़! आपको प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसके बारे में मेजर फतेहसिंह ने मुझे एक Statement by way of personal explanation. दिया है। मैं उन्हें इजाजत देता हूं। पर साथ ही निवेदन करूंगा कि वे इस सिलसिले में ऐसी बातें न कहें जो सब-जुडिस हों और केस पर प्रभाव डालें।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस प्रिविलेज मोशन के सम्बन्ध में एक तो....

श्री अध्यक्ष : जी नहीं, अब कोई मौका नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मौका तो, मैंने प्रिविलेज मोशन मूव किया है, इसलिये आ ही गया है। उसको मूव करने के बाद में उसकी सबस्टीट्यूट करने के बारे में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मूव करने की इजाजत नहीं दी गई है।

श्री भैरोंसिंह : यह निर्णय लेने से पहले मुझे सुनना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : यह कोई आवश्यक नहीं है रूल्स के मुताबिक। मैं मेजर फतेहसिंह को बोलने की इज़ाजत देता हूं।

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि विशेषाधिकार के प्रश्न के सम्बन्ध में सदन इस प्रकार का कोई निर्णय ले उससे पहले....

श्री अध्यक्ष : निर्णय ले लिया मैंने। इसको उपस्थित करने की आज्ञा नहीं प्रदान की जा सकती। इसमें सदन के निर्णय करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री भैरोंसिंह : इस पर कन्सेन्ट मिलनी चाहिये, इस....

श्री अध्यक्ष : कन्सेन्ट रिफ्यूज़ हो चुकी।

श्री भैरोंसिंह : कन्सेन्ट रिफ्यूज़ हो चुकी इस कारण से मैं अपना निवेदन प्रस्तुत करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : इस प्रकार का कोई प्रोवीजन रूल्स में नहीं है जिस प्रकार का आप भाषण देना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं सब्सटेन्शियेट करने की इज़ाजत चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : यह उसके लिये उपयुक्त मौका नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : फिर तो मौका कब आवेगा?

श्री अध्यक्ष : जैसा रूल्स में होगा वैसा किया जावेगा।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज!

श्री भैरोंसिंह : सदन के सामने एक विशेषाधिकार का प्रश्न है और मैं....

श्री अध्यक्ष : आप कृपया बैठ जावें ताकि मेजर फतेहसिंह अपना भाषण दे सकें।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि....

श्री अध्यक्ष : २४ तारीख को क्वेश्चन उठाया जाता है उस समय कह दिया गया कि मामला सब-जुडिस है। आप फिर बार बार उसी पर बोलने जा रहे हैं। अब आया यह चालान गलत है या ठीक है, किस इरादे से पेश किया गया है, यह सब अदालत स्वयं जांच करेगी, यह अदालत का काम है। उस सवाल को यहां उठाना अदालत की मखौल करना है। अब कोई भी कारण हो, हम इस मामले को यहां डिस्कस नहीं कर सकते, यह माननीय सदस्य भी जानते हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह हाउस सुप्रीम आॅथोरिटी है।

श्री अध्यक्ष : फिर भी रूल्स के अन्तर्गत हमें चलना पड़ता है कि जो मामला सब-जुडिस हो उसको यहां डिसकस न किया जाय। तो हर मामले को हर वक्त हर तरीके से उठा लेना उचित नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : इसमें प्रश्न दूसरा है। इसे जान बूझकर सब-जुडिस बनाया गया है। जो मामला पिछले चार साल से चुप पड़ा रहा, और चार साल पहले जो चालान पेश नहीं कर सके उसको यहां सवाल उठने के तीसरे दिन पेश कर देना सन्देह पैदा करता है। जिस केस को एक बार कोर्ट ने यह कह कर डिस्चार्ज कर दिया कि छः छः मौके देने पर भी पुलिस चालान पेश नहीं कर रही है तो उसी केस को यहां सवाल उठने के तीसरे दिन फ़िर चला देना साफ़ ज़ाहिर

(श्री भैरोंसिंह)

करता है कि सरकार इसे जान बूझ कर सब–जुडिस बनाना चाहती है ताकि यह मामला यहां और अधिक डिसक्स न हो, मेरा कहना यह है कि....

श्री अध्यक्ष : The Government has done nothing illegal in presenting that challan.

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न इस प्रिविलेज मोशन पर दूसरी तरह का है। मेरा क्वेश्चन यह है कि सदन में १६ तारीख को भाषण दिया गया उसके परिणामस्वरूप यह चालान किया गया है।

श्री अध्यक्ष : आपका यह कथन स्वीकार नहीं किया गया है, अतः इस पर बहस नहीं हो सकेगी। आप ब्रीफ में मेजर फतेहसिंह को बोलने दें। उन्होंने इसकी मांग की थी और मैंने उसे स्वीकार कर लिया है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : मेजर फतेहसिंह को बोलने की इजाजत दी जा रही है उसी मामले पर जो ऑलरैडी सब–जुडिस कहा जा रहा है तो ऐसी हालत में फिर विशेषाधिकार के प्रश्न पर बोलने की इजाजत न देना समझ में नहीं आता। इसलिये....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज! मैं समझ गया, आप कहना चाहते हैं! उनको इजाजत इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में बोलने की नहीं दी जा रही है। एक स्टेटमेन्ट गृह मन्त्री ने दिया था उस सम्बन्ध में एक स्पष्टीकरण की इजाजत उन्होंने मांगी थी। उसके सम्बन्ध में बोलने की मैं इजाजत देता हूं, न कि विशेषाधिकार के सम्बन्ध में बोलने की दे रहा हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : कोई मैटर सब–जुडिस है तो वह सबके लिये सब–जुडिस है। अब एक को इजाजत नहीं देना और दूसरे को गृह-मन्त्री ने कुछ कह दिया, उसका जवाब देने की बात कह कर इजाजत देना, अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा, इस प्रकार की स्थिति ठीक नहीं है। मैटर वही है अब उस पर वे कुछ ऐसा नहीं कहेंगे जो सब–जुडिस पर इफेक्ट करे इसका क्या सबूत है। तो ऐसी स्थिति में विरोधी दल के सदस्य के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना, इसका मतलब यह होगा कि इसे जान–बूझ कर सब–जुडिस बना दिया गया है ताकि विरोधी पक्ष वाले इस पर कुछ बोल न सकें। इस प्रकार की बात को मैं समझता हूं....

श्री अध्यक्ष : सदन में विचार भी रूल्स के अन्तर्गत ही रक्खे जाते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके हाथों में हमारे हित सुरक्षित हैं। आप हमारे हितों के कस्टोडियन हैं। तो इन अधिकारों की सुरक्षा के नाम पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रिविलेज मोशन के बारे में अपने विचार प्रकट करने का अवसर इस सदन के हर एक सदस्य को दिया जाना चाहिये, नहीं तो हमें डर है, हमें निश्चित आशंका है कि गृह मंत्री महोदय उस हर सदस्य का मुंह इस तरह बन्द करने की कोशिश करेंगे जो पुलिस के बारे में, उसके अत्याचारों के बारे में सदन मे कुछ भी किसी भी अवसर पर कहेगा। हम अगर कुछ भी कहेंगे तो चार दिन बाद हमारे लोगों पर मुकद्दमे चलाये जावेंगे चालान पेश किये जावेंगे। इस तरह से हमें अपनी ड्यूटियों को अन्जाम देने से रोका जायगा, जहां कहीं पुलिस के

Page No.50

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अत्याचार और अन्याय होंगे हम उन पर अपना मुंह नहीं खोल सकेंगे। ऐसी स्थिति में माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा ....

श्री अध्यक्ष : आपका निवेदन सुन लिया और उत्तर भी अच्छे ढंग से दे दिया है। यह मामला सब–जुडिस है। कुछ नहीं कर सकता हाउस उस में। मेजर फतेहसिंह को सब–जुडिस मामले पर बोलने की इजाजत नहीं दी गई है, बल्कि इसलिये दी गई है कि उनका कहना है कि गृहमन्त्री ने उनके बारे में यह कहा कि उनकी शिकायतें उन के पास नहीं पहुँचीं। इसके बारे में उनका कहना है कि शिकायतें उनके पास पहुँची हैं और इसका सुबूत उनके पास है। तो ये तथ्य सदन के सामने आ सकें इसके लिये उनको बोलने का मौका दिया गया है।

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, क्या इस दर्मियान इस सब–जुडिस मेटर के सम्बन्ध में कोई बात नहीं आवेगी ?

श्री अध्यक्ष : आवेगी तो उसे बन्द कर दिया जावेगा। ऐसी हालत में उनको मन्जूरी दी जा रही है। आप इस सम्बन्ध में कृपया रुल्स देखें, २२६ में पर्सनल एक्सप्लेनेशन का प्रोवीज़न है। इसके अन्तर्गत उनको इजाज़त दी जा रही है। आप ख्वमाख्वाह ऑब्स्ट्रक्शन्स रेज़ न करें।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : कोर्ट क्या ख्याल करेगा कि हमें तो केवल गवर्नमेन्ट के मेटर पर निर्भर रहना पड़ेगा, सारे फैक्ट्स इस सम्बन्ध में क्या हैं वे तो यहां डिसक्स होंगे तभी मालूम होंगे।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न पर निर्णय हो चुका है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : कोर्ट जब डिसाइड करेगा तो इस मुद्दे को भी डिसाइड करेगा कि यह केस किस तरह से यहां लाया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष : फैक्ट्स इतने मिक्स्ड अप हैं कि यह कहना कि चालान गलत पेश किया या सही पेश किया या किसी मैलाफाइड इन्टेन्शन से पेश किया या किस नीयत से पेश किया, यह कहना इस वक्त हमारे लिये सम्भव नहीं है। मान लीजिये केस में इनको सज़ा हो जावे तो फिर यह कहना कि सिर्फ़ इस कारण से पेश किया गया है, चूंकि यहां कुछ कहा गया है। तो आप इसको कैसे एन्टीसिपेट करते हैं कि अदालत क्या तय करेगी।

श्री तनसिंह : जहां तक माननीय गृहमन्त्री ने यह कहा कि यह कोइन्सीडेन्स का सवाल है तो आया यह कोइन्सीडेन्स का सवाल है या क्या है, इन तथ्यों पर तो कोर्ट निर्णय नहीं देगी। पर आज जब आप मेजर फतेहसिंहजी को कहने का मौका दे रहे हैं स्पष्टीकरण का तो उनके स्पष्टीकरण के सिलसिले में वही बातें नहीं आएंगी जिनको आप सब–जुडिस समझते हैं, यह कैसे माना जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष : उनको केवल स्पष्टीकरण करने दिया जावेगा, सब जुडिस केस पर उनको नहीं कहने दिया जावेगा और इस पर नहीं बोलेंगे वे। उन्होंने मुझे कहा है।

मेजर फतहसिंह : अध्यक्ष महोदय, किसी कवि ने कहा है :

(श्री फतेहसिंह)

'सांच बराबर तप नहीं,
झूठ बराबर पाप ।
जाके हिरदय सांच है,
ताके हिरदय आप ॥

लेकिन मेरी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में माननीय श्री शिवचरणदास के प्रश्न के उत्तर में तारीख २३—४—५८ को माननीय गृह मंत्री महोदय ने तथ्य को तोड़—मरोड़ कर, अनुत्तर-दायित्व पूर्ण कुछ असत्य बातें कह कर अधर्म किया है, इसलिए इस सदन के समक्ष मुझे आज वक्तव्य देने की आवश्यकता हुई है।

अध्यक्ष महोदय, सम्बन्धित प्रश्न के (ग) भाग में पूछा गया था, 'क्या यह बात सही है कि मेजर फतहसिंह ने गिरफ्तारी से पूर्व उनके प्रान्त में पुलिस द्वारा हुए बलात्कार, घूंस-खोरी और अत्याचारों की शिकायत उच्च अधिकारियों को की थी ?"

उसके उत्तर में माननीय गृह मंत्री का यह बताना कि मेज़र फतहसिंह के द्वारा की हुई कोई भी शिकायत इस विभाग के रेकॉर्ड में नहीं है', सर्वथा असत्य है। इस प्रकार की शिकायतें की गई थीं, जिनके मेरे पास मौखिक एवं लिखित प्रमाण हैं।

अध्यक्ष महोदय, अप्रेल सन् १९५२ में मैं भारतीय सेना से अवकाश प्राप्त कर घर लौटा और ब्यावर में रहने लगा। उन दिनों अजमेर राज्य के मेरवाड़ा सब-डिविजन की सीमा पर डाकुओं का दमन करने के लिए अरावली की श्रेणियों में पड़ी हुई राजस्थान की ए० डी० एफ०, आर० ए० सी० एवं पुलिस की टुकड़ियों द्वारा गरीब जनता के ऊपर किया जाने वाला अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच चुका था। पुलिस के आतंक से तंग आकर कई व्यक्ति मेरे पास सहायता के लिए आये थे। मैंने उनकी करुण कहानी सुनी। कुछ लोगों के अदालत में हल्फिया बयान करवाये और चोटों की डॉक्टरी जांच करवाई, जिनकी असली नकलें मेरे पास हैं। फिर उन शिकायतों को सम्बन्धित अधिकारियों के पास पहुंचाया गया। उनके निम्नलिखित कुछ उदाहरण हैं :—

१. सर्वश्री माना गांव चरपलां तहसील ब्यावर, जोधसिंह गांव कालव तहसील रायपुर, चिमनसिंह गांव खौड़िया, तहसील सोजत नैनूनाथ गांव खौडिया, तहसील सोजत और मु० नौजी गांव खेजड़ी का बाला तहसील रायपुर की शिकायत पर उनके हल्फिया बयान कराये गये और तारीख २१—७—५२ को सब सम्बन्धित अधिकारियों एवं राजनैतिक कार्य-कर्ताओं को तार भेजे गये। जो इस प्रकार हैं। तार की भाषा यह थी :—

"Reliable information received regarding atrocities and tyranny committed on people by Rajasthan Dacoity Force Stationed in the Aravali Hills and their surrounding areas in Marwar adjoining Merwara Sub-division of Ajmer State. Several women assaulted, molested or raped. In one case chilli placed and stick thrust in a woman's vagina. At some places, houses either completely destroyed or their roofs of tile pulled down. Several innocemnt men mercilessly beaten with sticks or rifle butts, harassed by various means and in one known case Chilli put in man's eyes. To carry baggages people forced to do forced labour without

(श्री फतेहसिंह)

payment and those refusing to do so inhumanly beaten. In one known case they entered Ajmer State territory and mercilessly beat an innocent man of village Chapalan (Todgarh). Request stop such crimes on innocent people and hold immediate and independent enquiry."

यह तार २१-७-५२ को भेजा गया था। यह तार पंडित नेहरू, प्राइम मिनिस्टर नई दिल्ली, डा० काटजू, होम मिनिस्टर, नई दिल्ली, श्री ए. के. गोपालन, एम. पी., नई दिल्ली, श्री एस. पी. मुकर्जी, एम. पी., नई दिल्ली, श्री पं० मुकट बिहारीलाल भार्गव, एम. पी., नई दिल्ली, चीफ मिनिस्टर, जयपुर, इन्सपैक्टर जनरल पुलिस, जयपुर, राजस्थान क्षत्रिय महासभा, जयपुर, कमिश्नर जोधपुर, करनल मोहनसिंह, एम. एल. ए., जोधपुर, श्री एच. के. व्यास, एम. एल. ए., जोधपुर, चीफ मिनिस्टर अजमेर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पाली को भेजे गये थे। इन तारों की ब्यावर तारघर द्वारा दी गई असली रसीदें संख्या ६६, ६७, ६८, ६९ और ७० दिनांक २१-७-५२ मेरे पास मौजूद हैं।

२. श्री पन्नासिंह गांव रायरा तहसील रायपुर को दर थाने के सी आई. ने ३६ दिन तक गैर कानूनी हवालात में रखा, मार-पीट की और बाद में उसके रिश्तेदारों से २०० रुपया रिश्वत लेकर छोड़ा। जब यह आदमी मेरे पास आया तो इसके साथ मैं जैतारण गया, उसका अदालत के समक्ष हलफनामा लिया और न्यायालय एस. डी. एम., जैतारण में उसके द्वारा एक एफ. आई. आर. उस हलफनामे के साथ दिनांक ८-९-५२ को पेश किया गया।

दिनांक १०-९-५२ को मैंने रजिस्ट्री द्वारा कमिश्नर जोधपुर, आई. जी. पी., जयपुर और कलेक्टर पाली को पत्र भेजे। जो इस प्रकार हैं:—

"Dear Shri,

I am giving you the following facts with a request to kindly take immediate action in the matter :—

1. Please refer to the telegram dated 21st July, 1952 sent to you by the Secretary, Rajasthan Rawat Rajput Sabha, Beawar regarding the atrocities and tyranny committed on the people by the Rajasthan Dacoity Force stationed in the Aravali hills and their surrounding areas in Marwar adjoining the Merwara subdivision of the Ajmer State. Among others, the telegram was addressed to you with full hope that you would surely take immediate steps to alleviate the troubles of the poor people. Whether you have taken any concrete steps to stop the Zulum of the dacoity force, I do not know. The Zulum of the dacoity force still continues. They are constantly terrorizing, harassing and supressing the people and a case has come to light (and several such cases are still expected to be unearthed if properly enquired into after removing officials concerned from this area) in which a man was wrongfully confined and wrongfully restrained for about 36 days, beaten inhumanly and then released after

(श्री फतेहसिंह)

the dacoity force Inspector had got a bribe of Rs. 200/-.

2. Please refer to appendix 'A' of which an F.I.R. has been produced, in the court of the Sub-Divisional Magistrate, Jaitaran, with an affidavit from the man concerned. I humbly submit that if the Government is really sincere in taking action against the Inspector concerned regarding the allegations made against him, the matter should be enquired into and then proceeded in the court of law ONLY after he has been suspended from duty otherwise there is every possibility of his terrorizing and oppressing the witnesses to supress the truth besides an actual danger to the life of the applicants.

3. In the end I want to make it clear that I and my colleagues in the Rajasthan Rawat Rajput Mahasabha severely condemn the activities of the dacoits but at the same time sincerely feel that the crimes committed on the people by the Dacoity Force have far exceeded the crimes committed by the dacoits. I assure you that I will give you every cooperation and use all the influence I have on the people to maintain law and order in the area concerned. At the same time I would request that you kindly take immediate steps so that the people are no more terrorized, harassed and oppressed illegaly in future. Thanking you, Yours sincerely, Fateh Singh.

इन पत्रों की रजिस्ट्री कराई जाने की असली रसीद संख्या १७५, १७८ व १७६ दिनांक १०–६–५२ जो ब्यावर डाकखाने द्वारा दी गई थी अथवा जो उनके एक्नॉलेजमेन्ट प्राप्त हुए वह मेरे पास हैं।

३. दिनांक १५–१०–५४ को आर० ए० सी० ने श्री गुमानसिंह एस. पी., पाली के नेतृत्व में गांव कोदवासा (सोजत) की जनता के साथ मार पिटाई एवं लूटखसोट की। इसकी शिकायत तार द्वारा सब सम्बन्धित अधिकारियों एवं राजनैतिक कार्यकर्ताओं को भेजी गई थी। यह तार चीफ मिनिस्टर, जयपुर, मोहनलाल सुखाड़िया मिनिस्टर, जयपुर, कुंवर जसवन्तसिंह एम. एल. ए., जयपुर, माणिक्यलाल वर्मा पी. सी. सी., जयपुर, आई. जी. पी., जयपुर, कमिश्नर जोधपुर, डी. आई. जी. जोधपुर, कलेक्टर पाली, एस. डी. ओ. सोजत, कुंवर विजयसिंह एम. पी. सिरियारी, फुलाद को भेजे थे, जिनकी ब्यावर तारघर द्वारा दी गई असली रसीद संख्या ८, ६, १०, ११ व १२ दिनांक २३–१०–५४ मेरे पास हैं। ये तार इस प्रकार हैं :—"On 15th October, 1954, R.A.C. under command Guman Singh, S. P., Pali raided village Kodwasa, Sojat Sub-Div. in search dacoits. S. P. Gumansingh made men women stand in line and abused and beat atrociously. Several R. A. C. personnel looted houses etc., took away milk curd prepared food and took away blankets, chaddars, Ghee, axes, hard cash, silver gold ornaments. Five men with serious injuries admitted Beawar hospital, 17th October, discharged 22nd October. Request following steps taken immediately. Stop such beating looting harassing in future, return looted property. Take action

(श्री फतेहसिंह)

against S. P. Guman Singh and those responsible for atrocities. Permission be given to launch criminal court action against Guman Singh."

४. सर्वश्री दीपसिंह गांव चोरीमारा तहसील सोजत, जोधसिंह गांव धामांतो का गुड़ा, तहसील सोजत ने तारीख ८-२-५५ को ब्यावर में आकर मुझ से तत्कालीन सिरियारी थाने के थानेदार के विरुद्ध मारपीट एवं रिश्वतखोरी की शिकायत की और एक प्रार्थना पत्र भी मुझे दिया। मैंने दिनांक १०–२–५५ को एस. डी. एम., ब्यावर की अदालत में उनके हलफिया बयान कराये और दिनांक १०-२-५५ को रजिस्टर्ड पत्रों द्वारा डी. आई. जी. पी., जोधपुर, एस. पी. पाली, कमिश्नर जोधपुर, कलेक्टर पाली, श्री एच. के. व्यास एम. एल. ए., श्री मोहनसिंहजी भाटी एम. एल. ए. जोधपुर, कुं० विजयसिंह सिरयारी, एम. पी., एस. डी. एम. सोजत, श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मंत्री, जयपुर, होम मिनिस्टर, श्री गोविन्दवल्लभ पंत, नई दिल्ली, श्री राजेन्द्रप्रसाद, प्रेसीडेन्ट, गवर्नमेंट आफ इंडिया, नई दिल्ली, श्री जसवन्तसिंह एम. एल. ए. जयपुर, आई. जी. पी. जयपुर को लिखा। इन पत्रों को रजिस्ट्री से भेजने की रजिस्ट्री की असली रसीद सं० ८०१ से १३ दिनांक १२ फरवरी, १६५५ को ब्यावर डाकखाने द्वारा दी गई थी, जो एकनॉलेजमेंट प्राप्त हुए थे वे मेरे पास हैं यहां।

इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्रीजी का पत्र संख्या १५८८। इल्लिजिबल, श्रीमन् पढ़ नहीं सकता, दिनांक २२–२–५५ को प्राप्त हुआ वह इस प्रकार है :—

"आपका पत्र दिनांक १० फरवरी, १६५५ का श्री मुख्य मंत्री महोदय को प्राप्त हुआ है। उत्तर में निवेदन करने का आदेश हुआ है कि आपके पत्र को गृह सचिव के पास कार्यवाही हेतु भेजा गया है।"

इस सम्बन्ध में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से मुझे जो पत्र मिला है उसकी संख्या १६७५। ५५। पुलिस (आई), दिनांक १०–३–५५ का मिला वह इस प्रकार है :—

"With reference to his letter dated the 10th February, 1955, addressed to the Ministry of Home Affairs, New Delhi, complaining against S. O. Sariyari, Shri Fateh Singh is informed that his letter and enclosures have been forwarded for disposal to the Government of Rajasthan who are concerned in the matter. Any further communication in the matter may be addressed to them direct and not to the Government of India.

Sd./
for Under Secretary to the
Government of India.

To

Major Fateh Singh, Advocate,
M. L. A., Beawar.

वह पत्र जो मैंने लिखा उसकी भाषा श्रीमन् इस प्रकार है :—

"I am enclosing an application and two affidavits regarding illegal gratification forcibly obtained or being forcibly obtained by the S. O. Sariyari (Rajasthan). I am writing this letter in my capacity as a social worker and

Page No.55

(श्री फतहसिंह)

request that an immediate enquiry may please be ordered to investigate into the allegations. I would personally like to be present when such an enquiry is being conducted. I earnestly appeal to you to use your good offices to stop such terrorism by the police officer concerned and inform me of the date fixed for enquiry so that I may be able to be present on the occasion.

Thanking you, Yours faithfully,
Fateh Singh.

इन सब शिकायतों के उपरान्त भी राजस्थान सरकार अकर्मण्य रही और जनता को पुलिस के अत्याचारों से बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जिससे पुलिस का आतंक और बढ़ गया, और किसी किसी गांव में जनता पुलिस से तंग आकर अपने घरबार छोड़ने लगी थी। इस पर मेरी प्रेरणा से जनता को समझाने व धैर्य देने के लिए ता० २–३–५५ को गांव सारण में सूबेदार मेजर हमीरसिंहजी के सभापतित्व में सभा का आयोजन किया गया। उस सभा में एक प्रस्ताव पास करके सब सम्बन्धित अधिकारियों एवं राजनैतिक कार्यकर्ताओं को भेजा, जो इस प्रकार है :–

"यह राजस्थान रावत राजपूत महा सभा का अधिवेशन, पुलिस द्वारा बेगुनाह जनता पर अत्याचार किये जाने पर, अत्याचार व रिश्वतखोरी की निन्दा करता है और राजस्थान सरकार से अनुरोध करता है कि भविष्य में पुलिस द्वारा इस प्रकार के अत्याचार को रोककर जनता के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करें

प्रस्तावक

श्री चिमनसिंह भाटी एम. एल. ए.

समर्थक

मेजर फतहसिंह।

२. ३. ५५.

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।

ह० हमीरसिंह, सूबेदार मेजर।

प्रधान,

रावत राजपूत महासभा।

अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि मैंने राजस्थान की पुलिस के अत्याचारों के विरुद्ध शिकायतें की थीं, और अब सदन को यह भी स्पष्ट हो जाता है कि इस संबंध में माननीय गृह मंत्री ने न केवल गलत बयान दिया है, बल्कि असत्य बात भी कही है। अध्यक्ष महोदय, मेरी इन गंभीर शिकायतों की राजस्थान सरकार एवं उच्चाधिकारियों द्वारा कोई जांच नहीं कराई गई। इससे अन्यायी और भ्रष्ट अधिकारियों को विशेषकर पाली के तत्कालीन एस. पी. श्री गुमानसिंह को अन्याय करने के लिए प्रोत्साहन मिला, और पुलिस के विरुद्ध बोलने में मुझे आतंकित एवं भयभीत करके मेरे मुंह को बंद करने के अभिप्राय से ता० २–३–५५ को सारण सभा में दिये गये मेरे भाषण की ओट लेकर मुझे सर्वथा असत्य, निराधार और बनावटी मुकदमे में फंसाकर गिरफ्तार कराया गया

अध्यक्ष महोदय, दिनांक ७–४–५५ को

(श्री फतेहसिंह)

मेरी गिरफ्तारी हुई थी और ता० ८–४–५५ को मेरे हथकड़ी डालकर रेलगाड़ी द्वारा रानावास स्टेशन ले गये जहां से कड़ी धूप में करीब १० मील पैदल चलाकर मैं सरियारी थाने ले जाया गया। दूसरे दिन सशस्त्र पुलिस के पहरे में मुझे कई गांवों में फिराते हुए सारण गांव में ले जाया गया जहां कि ता० २–३–५५ को मुझे श्रद्धा और प्रेम से सुनने के लिए करीब ४ हजार जनता सभा में उपस्थित हुई थी और जहां पर पुलिस के अत्याचारों के विरुद्ध मेरे अनुमोदन पर एक प्रस्ताव पास किया गया था। दिनांक ११–४–५५ को सोजत के एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट के द्वारा मैं जमानत पर छोड़ा गया था। उसके बाद पुलिस को चालान पेश करने के लिए ६ अवसर दिये गये। इन ६ तारीखों पर मुझे परेशान होकर सोजत जाना पड़ा, लेकिन इतने अवसर देने के बाद भी पुलिस चालान पेश करने में असमर्थ रही। न्यायालय ने ता० ६-७-५५ को मुझे डिस्चार्ज कर दिया।

अध्यक्ष महोदय, १३–३–५८ को बजट पर हो रही सामान्य चर्चा मे मैंने भाग लिया था और पुलिस में फैले हुए भ्रष्टाचार की आलोचना की थी। दिनांक १४–३–५८ को माननीय श्री शिवचरणदास ने संबंधित प्रश्न पूछने का नोटिस दिया था। ता० १६–३–५८ को भी पुलिस के कटौती प्रस्ताव पर मैं बोला था। उस समय मेरे द्वारा उक्त गिरफ्तारी का दृष्टान्त देने पर माननीय श्री भैरोंसिंह, निर्वाचन संख्या १४, ने इस सदन में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था। उसके शीघ्र बाद मेरे विरुद्ध उस अप्रेल सन् ५५ के मुकदमे का चालान सोजत के न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया।

अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री ने कहा कि यह चालान मेरे द्वारा इस सदन में पुलिस के विरुद्ध भाषण के कारण नहीं हुआ है, बल्कि एक सामान्य घटना, यानी कोइन्सीडेन्स के कारण हुआ; वह असत्य एवं घटनाओं के विपरीत है।....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि सारा वक्तव्य जो दिया जा रहा है, चूंकि यह मामला सब-जुडिस है, अतः उस केस पर असर करता है।

मेजर श्री फतेहसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने मुकदमे के तथ्यों पर कोई प्रकाश नहीं डाला जो गृह मंत्री ने कहा था कि इस चालान में और मेरे भाषण में कोई सम्बन्ध नहीं है। उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह मुकदमा असिस्टेन्ट कलेक्टर एण्ड मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सोजत के न्यायालय का था। इसका चालान इसी न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, लेकिन यह चालान १९–३–५८ को एस. डी. एम. सोजत के न्यायालय में न्यायालय का समय यानी........

श्री अध्यक्ष : यह तथ्य विदित है कि टाइम के बाद पेश किया गया है।

मेजर श्री फतेहसिंह : सदन को जो मालूम नहीं है उन पर मैं आ रहा हूं।

न्यायालय का समय समाप्त होते होते प्रस्तुत किया गया था क्योंकि उस दिन असिस्टेन्ट कलेक्टर एण्ड मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सोजत में उपस्थित नहीं थे। बाद में एस. डी. एम. ने चालान सम्बन्धित मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया, जिन्होंने २१–३–५८ को मुकदमा रजिस्टर किया।

(श्री फतेहसिंह)

अध्यक्ष महोदय, जिस मुकदमे का चालान लगभग ३ वर्ष तक नहीं किया जा सका, उसके सम्बन्ध में इतनी शीघ्रता बरत कर एस. डी. एम. की कोर्ट में चालान प्रस्तुत किया जाना, क्योंकि सम्बन्धित मजिस्ट्रेट उस दिन सोजत में उपस्थित नहीं थे, सरकार एवं पुलिस के रवैये के दूषित होने का प्रमाण है। यह सब विशेषाधिकार के प्रस्ताव एवं मेरे भाषण के विरुद्ध कार्यवाही थी।

अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री के इस कथन का कि मेरा भाषण हुआ उसके बाद मरडर हुए, डेकोइटीज़ कमिट हुई, मैं घोर विरोध करता हूं। मैंने कानून के विरुद्ध कोई भाषण नहीं दिया था। किसी भी डेका-इटी एवं मरडर से मेरे भाषण को जोड़ना पाप एवं अन्यायपूर्ण होगा।........

श्री अध्यक्ष : उन्होंने कहा कि फैक्टस के आधार पर आपका चालान पेश किया।

मेजर श्री फतेहसिंह : मैं कह रहा हूं, यह बात गलत है। मैं जो यहां कहूंगा वही अदालत में कहूंगा और तीन वर्ष से कहता आ रहा हूं।

हां, यदि दूषित शासन के दोष बताना और पुलिस द्वारा जनता के साथ किये गये अमानुषिक अत्याचारों का भंडा फोड़ना पाप है तो मैं अवश्य अपराधी हूं। जब शासन सुशासन बनेगा और जब स्वराज्य सुराज्य में परिवर्तित होगा, तो ज्ञात होगा कि डाकुओं की संख्या निरअपराध लोगों के साथ शासन और पुलिस के अन्यायों के कारण बढ़ी थी और कई डकैतियां पुलिस अधिकारियों की मिली भगत के कारण हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में मेरी बोलने की स्वतंत्रता को आघात पहुंचाने एवं पुलिस के विरुद्ध न बोलने के लिये इन्टिमिडेट करने की गरज से यह चालान पेश किया गया है। मेरे पर पुलिस का इन्टिमिडेशन अब भी जारी है। मुझे इस मुकदमे में ता० १६-४-५८ को सोजत के न्यायालय में उपस्थित होने का समन ब्यावर की पुलिस द्वारा ता० ७-४-५८ को प्राप्त हुआ था। मेरी अनुपस्थिति में उसी मुकदमे का एक दूसरा समन जो सोजत के संबन्धित न्यायलय द्वारा ता० १७-४-५८ ई० को जारी किया गया था ता० १७-४-५८ को ही सोजत के एक कॉन्सटेबल द्वारा मेरे एक नाबालिग १२ वर्षीय बच्चे पर तामील किया गया (शेम) यह अवैधानिक तो था ही। मैं इसको भी एक प्रकार का इन्टिमिडेशन मानता हूं।

अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व आपके द्वारा इस सदन से एक नम्र निवेदन करना अपना कर्त्तव्य समझता हूं। ब्यूरोक्रेसी के एवं अधि-कारियों के इस प्रकार के रवैये के विरुद्ध आपको सक्रिय और ठोस कदम उठाना चाहिये। अगर इस प्रकार की घटनायें होती रही तो जनतन्त्रवाद की हत्या हो जायगी और ऐसे शासन में किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व और स्त्री का सतीत्व सुरक्षित नहीं रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं एक अपील माननीय गृह-मन्त्री और शासन के सम्बन्धित अधिकारियों से भी करना चाहता हूं। झूँठी प्रतिष्ठा में न पड़ कर, मेरे साथ जो अन्याय हुआ है अथवा अब भी हो रहा है, उसकी गलती स्वीकार करें और मेरे साथ अन्याय करने वाले पुलिस अधिकारी की

Page No.58

(श्री फतेहसिंह)

रक्षा करना छोड़ कर उसे दंड देने का साहस करें क्योंकि ऐसा करने से शासन की प्रतिष्ठा बढ़ेगी जैसा कि एक कवि ने कहा है :

"पुण्य करिये कहिये नहीं, पाप करिये परकाश ।
कहिवे सूं दोऊ घटत है, बरणत तुलसीदास ।"

आपने शासन में जो पाप किया है, अधर्म किया है, मेरी गिरफ्तारी करके यदि आप उसको स्वीकार करेंगे तो आपका पाप घटेगा और शासन की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यही मुझे कहना है ।

श्री भैरोंसिंह : On a point of clarification from the Hon'ble Member, Sir. अध्यक्ष महोदय, लॉबीज में इस प्रकार की चर्चा है कि इस प्रसंग को लेकर माननीय सदस्य मेजर फतेहसिंह की माननीय गृह मंत्री जी से बातचीत हुई थी और बातचीत के दौरान में गृह मंत्रीजी ने उनसे ऐसा कहा कि इस मुकदमे का चालान आपने जो सदन में भाषण दिया है, उसका ऑफशूट (off-shoot) है । मैं क्लेरिफिकेशन चाहता हूं कि इस प्रकार की गृह मंत्रीजी से बातचीत हुई थी क्या ?

श्री अध्यक्ष : इसमें क्लेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है । माननीय सदस्य को खुद को आपत्ति हो तो प्रश्न उठा सकते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : इसके लिये मैं पूछना चाहता हूं....

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह समझता हूं कि जो अभी वक्तव्य माननीय सदस्य ने दिया है उससे स्पष्ट होता है कि विशेषाधिकार का प्रश्न रखा गया है वह वाकई ठीक है, ऐसी हालत में इस पर बहस का मौका मिलना चाहिये ।

श्री तनसिंह : होम मिनिस्टर साहब से बातचीत हुई या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : एक स्थगन प्रस्ताव है....

श्री भैरोंसिंह : ये कुछ कहना चाहते हैं इस संबन्ध में ।

मेजर श्री फतेहसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्राइवेट तौर से कहना उचित नहीं समझा था इसलिये नहीं कहा । प्राइवेट तौर से गृह मंत्रीजी सीरियस नहीं थे उन्होंने कहा कि मेजर साहब यह आपके भाषण का ऑफ शूट हो सकता है ।

श्री रामकिशोर व्यास : It is absolutely incorrect that it is a result of your speech.

मेजर श्री फतहसिंह : क्या मैं पूछ सकता हूं कि जो प्रमाण दिये हैं वे गलत हैं ?

श्री अध्यक्ष : No more debate please.

श्री तनसिंह : वे मिले थे या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : यह वाद-विवाद का प्रश्न नहीं है ।

श्री तनसिंह : उन्होंने कहा कि वे मिले थे ।

Page No.59

श्री अध्यक्ष : इस बात को हाउस थोड़े ही तय करेगा ।

श्री तनसिंह : उन्होंने यदि कहा है तो यहां हाउस में स्टेटमेंट गलत दिया है । इस स्टेटमेंट के आधार पर प्रिविलेज मोशन बनता है । आपको गुमराह करने की कोशिश की गई है ।

श्री अध्यक्ष : पहले जो मोशन रूल आउट कर दिया गया है उससे कोई सम्बन्ध नहीं है । यदि माननीय सदस्य यह समझते हैं कि नया कॉज़ ऑफ एक्शन उपस्थित हुआ है तो आप लिखित में कोई दूसरी चीज ला सकते हैं ।

श्री तनसिंह : नये कॉज़ ऑफ एक्शन का सवाल नहीं है । उनका स्टेटमेंट भ्रमात्मक था, आपको गुमराह करने की कोशिश की गई है ।

श्री अध्यक्ष : सब जुडिस होने के नाते रिजेक्ट किया है ।

श्री तनसिंह : यह सबजुडिस नहीं है । उन्होंने चालान इसलिये किया कि मेजर साहब ने यहां पर पुलिस की खिलाफत की । उसके बाबत न तो कोर्ट कोई डिसीज़न देगा और न यह पॉइन्ट एट इश्यु है । इन सारे तथ्यों पर प्रिविलेज कमेटी को जाने की आवश्यकता है, लेकिन यहां यह प्रश्न है कि किसी सदस्य ने यहां भाषण दिया, पुलिस की खिलाफत की, इसलिये उनके खिलाफ कार्यवाही की गई । यह स्वयं गृह मंत्रीजी ने एडमिट किया है । तो यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उन्होंने यहां भाषण दिया इसलिये उनके खिलाफ कार्यवाही की गई इसलिये प्रिविलेज मोशन ....

श्री अध्यक्ष : इस कारण से रिजेक्ट नहीं किया गया है ।

श्री भैरोंसिंह : On a point of information, Sir, मैं इस सम्बन्ध में, सदन के विशेषाधिकार का उलंघन हुआ है, उस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

(विराम)

श्री भैरोंसिंह : वह इस समय जुबानी भी मूव किया जा सकता है । बिहार असेम्बली में अभी अभी ऐसा प्रश्न उठा था । एक माननीय सदस्य भाषण दे रहे थे उस समय एक सदस्य ने विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया तब अध्यक्ष ने निर्णय दिया कि इस प्रकार के मामले में लिखित में देने की आवश्यकता नहीं है । महत्वपूर्ण मामला हो तो जबानी भी प्रिविलेज मोशन मूव किया जा सकता है और उस पर सदन एक्शन ले सकता है । मेजर फतेहसिंहजी ने स्टेटमेंट दिया है कि गृह मंत्रीजी ने २३ तारीख को शिवचरणदासजी के प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में गृह मंत्रीजी ने कहा, 'श्री फतेहसिंह के द्वारा की हुई कोई भी शिकायत इस विभाग के रेकॉर्ड में नहीं है ।' जबकि मेजर फतेहसिंहजी ने अपने भाषण के दौरान में रजिस्टर्ड लेटर जो कि उन्होंने गृह मंत्रीजी को लिखा, भारत सरकार के गृह मंत्रीजी को भेजा, उसकी रसीदों के नम्बर और तारीखें बताई हैं और भारत सरकार के गृह मंत्रालय से जो उनके पास पत्र आया उसको पढ़ कर सुनाया । ये सब चीजें साबित करती हैं कि मेजर फतेहसिंहजी ने पुलिस एट्रोसिटीज के खिलाफ शिकायत पेश की थी । इतना होने के बाद भी गृह मंत्रीजी ने यहां पर गलत इत्तला दी है और विशेषाधिकार का प्रश्न उत्पन्न किया है, इसलिये मैं आपका निर्णय चाहता हूं । इस संबंध में सारा प्रसंग बिल्कुल स्पष्ट है और सब-जुडिस

Page No.60

(श्री भैरोंसिंह)

भी नहीं है इसलिये इसको प्रिविलेज कमेटी के सामने भेजा जाय।

श्री अनोपसिंह : On a point of order, sir, मैं आपके द्वारा गृह मंत्रीजी से जानना चाहूंगा, हाउस की जानकारी के लिये कि जब १६-४-५८........

श्री अध्यक्ष : यह बहस का विषय नहीं है।

जो प्रिविलेज प्रस्ताव श्री भैरोंसिंहजी मौखिक रूप से पेश करना चाहते हैं वह ऐसी चीजों पर आधारित है। जिसमें काफी कॉम्प्लीकेसी है, इसलिये यह मौखिक रूप से तय नहीं किया जा सकता। यदि उनको पेश करना है तो लिखित रूप में दें।

श्री तनसिंह : मैंने प्रश्न उठाया था कि गृह मंत्रीजी ने जो स्टेटमेन्ट दिया, उन्होंने खुद ने एडमिट किया कि उन्होंने भाषण दिया इसलिये उनके खिलाफ एक्शन लिया गया....

श्री अध्यक्ष : ये चीजें एक दूसरे के साथ इतनी गुथी हुई हैं कि मौखिक रूप से इन पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। इस बारे में निर्णय दिया जा चुका है इसलिये इस पर बहस करना उचित नहीं समझता।

श्री तनसिंह : मैं उन फैक्ट्स पर नहीं जाना चाहता, जो सब जुडिस....

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया कि आप डिस्टिंक्शन ड्रॉ करना चाहते हैं। डिस्टिंक्शन ड्रॉ नहीं हो सकता क्योंकि मामला कॉम्प्लीकेटेड है। यह तभी हो सकता है जब सब जुडिस न हो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, आपने निर्णय दिया। मैं पॉइन्ट ऑफ प्रिविलेज रेज़ करना चाहूंगा। माननीय सदस्य ने यहां भाषण दिया, एक स्टेटमेंट दिया, मेजर फतेहसिंह ने, कि लॉरी में कुछ दिनों पहले गृह मंत्रीजी ने कहा कि आपने वक्तव्य दिया है, उसके बाद जो कार्यवाही हुई है, यह उसका ऑफसेट है। माननीय अध्यक्ष, गृह मंत्रीजी ने इससे इन्कार किया है। मैं समझता हूं इनमें से एक गलत होगी और एक सही होगी। यदि गृह मंत्री या माननीय सदस्य ने गलत बात कही है, तो वह सदन के प्रिविलेज का ब्रीच है और माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न को प्रिविलेज कमेटी को रैफर कर दिया जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बहस को सुन रहा था और मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि जहां हम प्रिविलेज ऑफ हाउस का सवाल और डिमोक्रेसी की बात उठाते हैं, अगर यह सदन की परम्परा बन जाय कि एक सदस्य खड़े होकर कहे कि फलानी बात कही गई और उस पर प्रिविलेज मोशन की बात आये। अगर कहीं किसी ने कोई प्राइवेट तौर पर बात कही, मैं नहीं समझता, उस पर सदन क्या निर्णय करेगा....

श्री भैरोंसिंह : सदन उस पर निर्णय कर सकता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस पर क्या निर्णय दें, क्या ठोस परम्परायें कायम करेंगे। हमारे रूल हमारे राइट को सेफगार्ड करने वाले हैं, दूसरी बातें हैं, यह कानून की बात है जो रूल्स में प्रोवाइड न हो, ऐसी बात न करें,

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

प्रिविलेज मोशन बहस के दौरान में मूव कर दिया। मैं खुद, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि जिस वक्त आपने माननीय सदस्य को अपना वक्तव्य पढ़ने का आदेश दिया, आपके आदेश पर मैंने बोलना उचित नहीं समझ कर, आपके आदेश का पालन करना उचित समझा और हम चुप रहे। लेकिन दरअसल यह वक्तव्य खुद में, एक हद तक, मैं कहूं काफी हद तक उस केस पर असर डालता है, तो गलत न होगा। लेकिन आपका आदेश था, वह वक्तव्य सुनाया गया। वह वक्तव्य केस पर इनडाइरेक्टली या डाइरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है। कोई केस चलता है, उस पर हम यहां चर्चा करने लगें, कोई मिनिस्टर कहे कि मैंने यह नहीं कहा, कोई सदस्य कहे कि यह कहा है और मोशन ऑफ प्रिविलेज बनेगा और इस पर बहस होनी चाहिए, मैं नहीं समझता कि हम कहां पर कैसी चीज स्थापित करेंगे कि आपके आदेश होने के बाद कि इस वक्तव्य पर चर्चा न हो, उसका हमें पालन करना होगा। मैं दूसरी दरख्वास्त करना चाहूंगा कि प्रिविलेज का प्रश्न एक माननीय सदस्य का न होकर सारे सदन का बनना चाहिए, यह इतना गम्भीर है, इसे इतनी गम्भीर परम्परा माना जाता है, इसलिए इसे लाइटली ट्रीट न किया जाय, जिससे जो प्रिवलेज मोशन की गम्भीरता जो इन्डीविजुअल मेम्बर की प्रेसटीज का मामला जो इस प्रकार का गम्भीर मामला बन गया है, वह अगर बहस मुबाहिशे की चीज हो जाय, तो उसकी गम्भीरता कम न हो जाय।

श्री तनसिंह : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने कहा है, उससे हम सहमत हैं लेकिन एक बात है, माननीय अध्यक्ष, कि प्राइवेट में कही हुई बात सत्य है वह ओपन में असत्य हो जाती है, और जो ओपन में सत्य है, वह प्राइवेट में असत्य हो जाती है। मेरे ख्याल में लॉबी टॉक्स की इस बात का जिक्र हमारे डिप्टी स्पीकर के रूबरू हुआ, हम उन तथ्यों पर गौर कैसे नहीं करेंगे, यहां पर परम्पराओं की सदन की प्रतिष्ठा की बात कही जाती है। यह बात हमारे लिए क्यों हुई, जब एक बात कहें और उसकी खिलाफत करें, तब हमें इस प्रकार दबाया जायगा, यह ठीक नहीं है। आपने एक परम्परा की बात कही, उसको ध्यान में रखते हुए मैं कहूं कि हम प्रिविलेज मोशन न रखेंगे, अगर मंत्री महोदय कहें कि हम जांच करेंगे कि यह चालान इस वक्त किया गया, इसका क्या कारण है; क्या यह सत्य नहीं है कि वास्तव में चालान किया गया। मैं निश्चित् रूप से कह सकता हूं कि अगर जांच की गई तो काफी तथ्य निकलेंगे। दरअसल यहां से इन्फोर्मेशन भेजी गई है, सम्बन्धित लोगों के द्वारा, इन्डीविजुअल व्यक्ति द्वारा, और उसके आधार पर चालान किया गया। एस. पी. ने अपने आपको बचाने के लिए और दूसरों को बेचने के लिए चालान किया है। इतना सब होते हुए भी होम मिनिस्टर तथ्यों को छिपा कर भले ही अपने डिपार्टमेंट की सुरक्षा कर सकेंगे, लेकिन अध्यक्ष महोदय, सदन के प्रिविलेज की सुरक्षा नहीं हो सकेगी, परम्परायें फ्लरिश नहीं हो सकेंगी।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। इस मामले पर ज्यादा बहस नहीं हो सकेगी।

श्री भैरोंसिंह : On a point of order, Sir......

श्री अध्यक्ष : There is no point of order in this.

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका निर्णय चाहूंगा कि यदि इस सदन के किसी माननीय सदस्य के विरुद्ध एक मामला..

श्री अध्यक्ष : Please straight way come to the point of order.

श्री भैरोंसिंह : मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं ।

श्री अध्यक्ष : इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं निर्णय चाहता हूं कि यदि किसी ऐसे मामले पर, जो कि सदन के विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है, सरकारी अधिकारी जान-बूझ कर उस पर चर्चा से बचने के लिए कोशिश करके कोर्ट में मामले को पेश करके उस मामले को सब् जुडिस बनाते हैं तो क्या इस सदन को अधिकार नही है कि इस मामले पर अपने विचार रखे ।

श्री अध्यक्ष : There is no point of order.

श्री भैरोंसिंह : मैं इस पर आपका निर्णय चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष : मैं कहता हूं कि यह पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर नही है ।

श्री भैरोंसिंह : यह प्रोसीज़र का सवाल है ।

श्री अध्यक्ष : यह प्रोसीजर का सवाल नहीं है । हाइपोथैटिकल क्वेश्चन पर निर्णय नहीं दे सकता । आप निश्चित मामला उठाइये....

श्री भैरोंसिंह : यह निश्चित मामला है ।

श्री अध्यक्ष : यह निश्चित मामला नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : यह पोइन्ट ऑफ प्रोसीजर है ।

श्री अध्यक्ष : यह पोइन्ट ऑफ प्रोसीजर नहीं होता है । आप निश्चित प्रिविलेज मोशन बनाना चाहते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि लिखित रूप में दें, तो उस पर रूल्स के मुताबिक ध्यान दिया जायगा ।

श्री भैरोंसिंह : यह ठीक है....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न नहीं उठता । मैं स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह सकता, जब तक कि आप जो तथ्य रखना चाहते हैं, उनको न देख लूं । हाइपोथैटिकल क्वेश्चन पर निर्णय नही दे सकता ।

श्री भैरोंसिंह : हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : On another point of order Sir, मैं एक प्रेक्टिकल चीज़ रखना चाहता हूं वह यह है, माननीय अध्यक्ष, कि एक केस पुलिस ने रजिस्टर किया ६५३ के अन्तर्गत १६ मार्च, १६५५....

श्री अध्यक्ष : इसमें पोइन्ट ऑफ ऑर्डर क्या हुआ ?

श्री भैरोंसिंह : १६ तारीख को एक विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, उससे बचने के लिए सरकारी अधिकारियों ने एक केस चालान कर कोर्ट में पेश कर दिया ।

(श्री भैरोंसिंह)

ऐसी सूरत में, जिसमें एक प्रश्न सदन में विचारार्थ लिया गया, उसके बाद वह मामला कोर्ट में जाता है, उसके सब जुडिस होने के पहले इस सदन ने अपना विशेषाधिकार, उस पर विचार करने का; प्राप्त कर लिया था, उस अधिकार के अनुसार, इस मामले के सब जुडिस के होने पर भी, क्या यह सदन निर्णय ले सकता है ?

श्री अध्यक्ष : Order please there is no point of order in this.

श्री भैरोंसिंह : ऑन अनादर पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर। ....

श्री अध्यक्ष : ज्यादा टाइम बहस न करें। यह कोई पोइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है। आप लिखित रूप में दे दें, उस पर रूल्स के मुताबिक निर्णय दे देंगे।

श्री भैरोंसिंह : मैं चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : आपके क्वेश्चन्स कन्डीशनल हैं। अगर ऐसा हुआ, तो ऐसा होगा। आपके क्वेश्चन्स फेक्ट्स पर एस्टेब्लिश होने चाहिए। I have said that all these facts are not before the House.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह फेक्ट्स हैं कि तीन साल पहले वाकया हुआ और अब मुकदमा किया गया ....

श्री अध्यक्ष : जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : १६ तारीख को एक विशेषाधिकार का प्रश्न सदन में प्रस्तुत हो चुका है, उस समय यह मामला सब-जुडिस नहीं था, लेकिन उस विशेषाधिकार प्रस्ताव से बचने के लिए उस तारीख के बाद....

श्री अध्यक्ष : मैं निर्णय दे चुका हूं कि यह कोई पोइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है। आप लिखित रूप में दीजिये, उस पर गौर करेंगे और निर्णय दे देंगे।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न यह है कि जो मामला सब जुडिस होता है, इस प्रकार का केस सब जुडिस हो सकता है या नहीं ....

श्री अध्यक्ष : इस पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता।

श्री भैरोंसिंह : मैं आपका निर्णय चाहूंगा कि इस प्रकार का प्रश्न सब जुडिस है या नहीं ....

श्री अध्यक्ष : आप हाइपोथेटिकल बात पर निर्णय चाहते हैं, इस पर निर्णय कैसे दिया जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह : मैं अर्ज कर रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : खैर कुछ हो, कोई पोइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है, इसे भी रूल आउट किया जाता है।

श्री भैरोंसिंह : On a point of order, Sir, अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह पैदा होता है कि क्या विशेषाधिकार के प्रश्न को लेकर, इस सदन में कोई प्रस्ताव के आने के बाद, अगर कोई इस सदन के किसी सदस्य को इन्टीमिडेट करने के लिए कार्यवाही करता है, तो क्या सदन का अधिकार नहीं होगा कि सदन उस प्रसंग पर विचार कर सके।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपसे कह रहा हूं कि जो भी चीज़ है वह लिखित रूप में दे दीजिये, उस पर विचार किया जा सकता है। यह क्या कि खड़े होकर एक पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, दूसरा पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाते जायें।

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, एक छोटा प्रश्न यह है कि जो कार्यवाही अभी २०२ में की गई, आप जुडिशियल बात को जाने दीजिये, उसके पहले की जो घटनायें हैं, उन घटनाओं का इसके साथ कहाँ तक सम्बन्ध है, इस प्रश्न का उनसे सम्बन्ध है या नहीं है, इसके लिए तथ्य रखें....

श्री अध्यक्ष : आपने नई बात नहीं कही यह आम तौर से कई माननीय सदस्य कह चुके हैं और मैं निर्णय दे चुका हूं....

श्री तनसिंह : माननीय होम मिनिस्टर साहब ने एक इन्फोर्मेशन दी थी कि आई. जी. पी. के ऑर्डर से रुका था। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब माननीय सदस्य यहां सदन में बोल चुके तो चालान करने की नौबत आई,-तो आई. जी. पी. का ऑर्डर हुआ कि नहीं ? मैं निश्चत रूप से जानता हूं कि यह जान बूझ कर किया है इसलिये आपसे अनुरोध है....

श्री अध्यक्ष : यह तो उन्होंने बताया कि आई. जी. पी. के ऑर्डर्स से हुआ है।

श्री तनसिंह : दुबारा ऑर्डर दिया है, पहले उसको रोका था।

श्री अध्यक्ष : इस समय इस सारे डिटेल्स में जाने की आवश्यकता नहीं और न कोई इस तरह की बात हमारे सामने है।

श्री मुरलीधर व्यास : तो क्या प्रिविलेज मोशन खत्म हो जायगा ?

श्री अध्यक्ष : खत्म तो तभी हो गया जब मैंने रूल आउट किया। नये तथ्य देकर नया प्रिविलेज मोशन लाना चाहते हों तो वह लायें (श्री तनसिंह के बोलने के लिये उद्यत होने पर) उसमें यह चीज भी आई. जी. पी. को आप लिख सकते हैं। मैं विचार करूंगा।

श्री भैरोंसिंह : यह ठीक है, पर माननीय सदस्य ने स्पष्टीकरण किया है और होम मिनिस्टर से हुई मुलाकात में बातें कही हैं वे रखी हैं....

श्री अध्यक्ष : अगर आप ऐसा समझते हैं कि विशेषाधिकार का हनन हुआ है तो आप लिखकर दे सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : हनन हुआ है तभी तो प्रस्ताव रखा गया है।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, स्वीकार किया जाता तो इस पर चर्चा होती।

अब आपका स्थगन प्रस्ताव लिया जाय।

श्री शिवचरणदास : एक निवेदन है माननीय अध्यक्ष....

श्री अध्यक्ष : बड़े दुःख की बात है कि आप इस तरह बार बार बिना कारण इन्टरप्ट करते हैं।

श्री शिवचरणदास : मैं इन्टरप्ट नहीं करता, निवेदन करता हूं.... ....

श्री अध्यक्ष : निवेदन की आवश्यकता नहीं। कोई खास बात हो तो कहिये।

श्री शिवचरणदास : ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, खास बात यह है कि हमारे सदन के सदस्यों का जो अपमान और उन पर अत्याचार हो रहा है उसके लिये हम आवाज उठायें और हम को मौका नहीं मिले, इसके लिये और क्या खास बात हो सकती है? यह प्रोसीजर अंग्रेजी में है, इसके लिये कौनसा पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ करूं, इसके लिये मज़बूर हूं।....

(हंसी)

पर मुझे अधिकार है, मैं अपने विचार सदन के सामने आपके द्वारा रखूं....

श्री अध्यक्ष : आप हर वक्त, हर काम में अपने विचार सदन के सामने नहीं रख सकते। इस वक्त यह प्रश्न ही नहीं है।

श्री शिवचरणदास : यहां जब हमारे साथ अन्याय होता है तो प्रस्ताव करने का हमें अधिकार है; जो निवेदन करें उसके लिये मौका दिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मौका आयगा तब दिया जायगा।

श्री शिवचरणदास : कब दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : जब इस पर बहस की जायगी।

श्री शिवचरणदास : बहस कब होगी?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़!

श्री शिवचरणदास : अध्यक्ष महोदय, पहले स्पष्ट हो जाय।

श्री अध्यक्ष : स्पष्ट हो गया है अगर इस प्रकार का प्रस्ताव आवेगा और वह एक्सेप्ट कर लिया जावेगा तो।

श्री शिवचरणदास : एक बात पर तीन बार प्रार्थना की है........

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़!

(विराम)

बीकानेर पॉवर हाउस सम्बन्धी

श्री मुरलीधर व्यास का स्थगन प्रस्ताव

एक स्थगन प्रस्ताव है श्री मुरलीधर व्यास का, जो इस प्रकार है :

'मैं अत्यन्तावश्यक सार्वजनिक महत्व के एक निश्चित मामले पर वाद-विवाद करने के आशय से सभा के कार्य-स्थगन हेतु निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं :—

'कि बीकानेर पॉवर हाउस में खराबी होने से बीकानेर डिविजन के १० लाख नागरिकों का जीवन खतरे में पड़ गया है।

क्योंकि बीकानेर क्षेत्र के अधिकांश कुंओं का पानी बिजली की सहायता से ही वितरण किया जाता है ऐसी स्थिति में बीकानेर पॉवर हाउस में खराबी हो जाने से बीकानेर डिविजन के करीब १० लाख नागरिकों का जीवन खतरे में पड़ गया है।

इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस

Page No.66

(श्री अध्यक्ष)

सार्वजनिक महत्व के मामले पर दूसरे कार्य को स्थगित करके इस प्रस्ताव को प्राथमिकता दी जाय।"

प्रस्ताव में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि पॉवर हाउस में खराबी के क्या कारण हैं, व इस सम्बन्ध में अधिकारियों की तरफ से कोई लापरवाही बरती गई है। ऐसी हालत में स्थगन प्रस्ताव पेश करने की अनुमति नहीं दी जाती है।

माननीय सम्बन्धित मंत्री इस सम्बन्ध में बयान देंगे।

एक माननीय सदस्य : अभी देंगे ?

श्री अध्यक्ष : हां, अभी देंगे।

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : बीकानेर में तारीख १२ अप्रेल को अचानक तीसरे पहर बीकानेर नोखा वाली लाइन पर बहुत भारी फाल्ट हुआ, जिससे ३००० किलोवाट के टर्बाइन का सैट पन्चर हो गया। यह आकस्मिक कारणों से हुआ और इसके खराब हो जाने से बिजली की स्थिति में कुछ कमी आई। बीकानेर पॉवर हाउस में इस समय निम्नलिखित एंजिन लगे हुए हैं :

१. १×१००० किलोवाट
२. १×२००० ,,
३. १×२५०० ,,
४. १×३००० ,,

डीज़ल सैट्स

१. १×२५० किलोवाट
२. १×३२० ,,

२५०० किलोवाट टर्बाइन पहले से खराब थी और नये पुर्जे मंगाने की कोशिश की जा रही थी। इन दो बड़ी टर्बाइनों के खराब हो जाने से इस समय बीकानेर में ३००० किलोवाट के दो टर्बाइन काम कर रहे हैं। इसके अलावा ५७० किलोवाट के डीज़ल इन्जनों से बिजली मिलती है। बीकानेर की मांग २६०० किलोवाट की शक्ति की है और फर्म सप्लाई २२०० किलोवाट की है। ऐसी सूरत में बिजली का नियन्त्रण करना पड़ा और इससे आटे की चक्कियां, ऊन के कारखाने व रेल्वे आदि को बिजली नियन्त्रित रूप से मिलने लगी। पानी के कुंए बराबर चलाये जा रहे हैं और मुख्य अभियन्ता, विद्युत् विभाग को आज्ञा दे दी गई है कि यदि और कार्यों के लिये बिजली बन्द करना आवश्यक हो तो कर दें, परन्तु पानी की व्यवस्था में गड़बड़ नहीं होनी चाहिये अधिशासी अभियन्ता, विद्युत् विभाग, बीकानेर ने आश्वासन दिया है कि ऐसा नहीं होगा।

राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अध्यक्ष को भी इस विषय में लिख दिया गया है। अधिशासी अभियन्ता, पॉवर हाउस, बीकानेर ने ऐसी आशा दिलाई है कि २५०० किलोवाट की टर्बाइन तीन चार रोज़ में चालू कर देंगे। इसके चालू हो जाने से स्थिति और भी सुदृढ़ हो जायगी। ३००० किलोवाट के टर्बाइन को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है और आशा कि जाती है कि वह तीन चार हफ्ते के बाद चालू हो जायगी।

मुझे यह बतलाया गया है कि पानी के वितरण में कोई गड़बड़ी नहीं होगी और यदि आवश्यकता हुई तो इस स्थिति को और भी मज़बूत बनाने के लिये बीकानेर में कुछ डीज़ल सैट और लगाये जा सकते हैं। इले-

(श्री रामकिशोर व्यास)

क्ट्रिसिटी बोर्ड के अध्यक्ष इस ओर पूरी दिलचस्पी ले रहे हैं।

यह मैं आश्वासन देता हूं कि पानी की सप्लाई बराबर कायम रखने के लिये पूरी पूरी शक्ति दी जायगी और जहां तक होगा कोई कमी नहीं की जायगी।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या यह सही है कि वहां के अधिकारी ने कलेक्टर को इस बात की सूचना दे दी है कि टर्बाइन खराब हो जाने से, जैसा पानी पहले दिया जा सकता था उससे भी कम ठीक प्रकार से नहीं दे सकेंगे।

श्री रामकिशोर व्यास : हां टर्बाइन खराब होने की सूचना दी है।

श्री मुरलीधर व्यास : नहीं, उन्होंने कहा है कि मैं सम्हाल नहीं सकूंगा।

श्री रामकिशोर व्यास : नहीं, उन्होंने यह कहा कि हालत अच्छी नहीं है, फिर भी काबू में रखने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : ये टर्बाइन कितने साल पुराने हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : बहुत पुराने हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : वे काम नहीं करेंगे तो पानी किस प्रकार निकाल सकेंगे ?

श्री रामकिशोर व्यास : खींचें किसी तरह से। बात यह है कि उनको रिप्लेस जितने अर्से में किया जा सकता है उतने अर्से में तो दूसरी बिजली आ जायगी ?

श्री तनसिंह : दूसरी आ जायगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां, भाखरा की।

श्री मुरलीधर व्यास : बीकानेर में जितने कुए हैं उनमें सब में बिजली के पम्प लगे हुए हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : पूरे कुओं का तो मालूम नहीं, पर मेरे ख्याल से जितने कुए हैं उनसे बिजली से ही पानी दिया जाता है।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं माननीय मंत्री महोदय को सूचित कर दूं कि केवल पम्प ही नहीं लगे हुए हैं बल्कि अन्दर का सारा क्षेत्र इस तरह से भर दिया गया है कि पम्प के अलावा उन कुओं से पानी निकाला ही नहीं जा सकता।

श्री रामकिशोर व्यास : वह तो मैं खुद कहता हूं बिजली से पानी निकालते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : ठीक बात है, पर मैं समझता हूं कि पानी की बड़ी भारी दिक्कत हैं, उस सम्बन्ध में सक्रिय कदम उठाने को आपने नहीं कहा, इसके बारे में कह दें।

श्री रामकिशोर व्यास : सक्रिय कदम की बात यह है कि इस वक्त तो पॉवर अवेलेबल है, २२०० किलोवाट है, उसमें से पानी के लिए सरकार दे रही है, उसमें कमी करने की नहीं। और और चीजों में बिजली की कमी हो जायगी पर पानी में नहीं की जायगी।

श्री मुरलीधर व्यास : समझ लिया जाय कि फिर भी एंजिन खराब हो जाय तो ऑइल एंजिन पहले से ही भेजने का प्रबन्ध कर रखें तो अच्छा होगा।

श्री रामकिशोर व्यास : वह भी कन्सीडर कर रहे हैं, डीजल सैट मिल गया तो ऐहतियातन भेज देंगे।

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य।

श्री गिरधारी लाल : ऑन ए पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन सर, मैं जानना चाहता हूं कि सीलिंग पर विचार हो रहा था उस पर कब विचार होगा ?

श्री अध्यक्ष : उस पर विचार होगा।

११ म० पू०

मेजर फतेहसिंह के मामले से सम्बन्धित विशेषाधिकार प्रश्न पर पुनः वाद-विवाद तथा स्थगन प्रस्ताव

श्री तनसिंह : माननीय अध्यक्ष, मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं और वह यह है कि इन परिस्थितियों में हम यह समझते हैं कि विरोधी दल के प्रति बड़ा अन्याय हो रहा है, यदि सरकार की तरफ से दबाने की कोशिश की जाती है....

श्री अध्यक्ष : कैसे दबाने की कोशिश की जाती है ?

श्री तनसिंह : हम तो यही समझते हैं कि यहां कुछ बोलें और उसका परिणाम इस प्रकार भुगतना पड़े कि मुकदमें चला दिये जांय....

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव क्या है, प्रस्ताव बताइये ?

श्री तनसिंह : हम तो यह मानते हैं कि यहां कुछ बोलें उसका परिणाम हमको इस प्रकार भुगतना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव बतावें, आपका प्रस्ताव क्या है ?

श्री तनसिंह : गवर्नमेंट इस प्रकार से दबाती है तो विरोधी दल गवर्नमेंट के साथ इस प्रकार बैठ कर कभी कोऑपरेशन नहीं कर सकती और उनकी कार्यवाही में मदद नहीं कर सकती। मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि आज की मीटिंग परसों के लिए एडजोर्न की जावे। जो प्रिविलेज मोशन है, फाइनल जिस लाइट में, जो माननीय सदस्य मिनिस्टरों की मुलाकात के बारे में, जब तक आपका निर्णय न हो जावे, हम समझते हैं कि इसको एडजोर्न किया जावे। इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभा की कार्यवाही एडजोर्न की जावे।

श्री अध्यक्ष : कोई फ्रेश मेटर नहीं है..

श्री तनसिंह : आपने फरमाया कि प्रिविलेज मोशन का निर्णय देंगे। आज जो हुआ उसको लाइट में रख कर इसको कन्सीडर किया जाए।

श्री अध्यक्ष : No, I don't want to re-consider my decision.

मैं इसको रीकन्सीडर करने की जरूरत नहीं समझता।

श्री तनसिंह : हम इसी समय लिख कर दें कि हम इस प्रकार की परिस्थितियों में भाग नहीं ले सकते। आप अगर चाहें तो अभी लिख कर दे दें और आप चाहें तो कल तक दें। हम ऐसी परिस्थितियों में गवर्न-

(श्री तनसिंह)

मेंट के साथ कभी कोऑपरेट नहीं कर सकते गवर्नमेंट इस तरह से डेमोक्रेसी को फ्लारिश नहीं होने देगी।

श्री अध्यक्ष : रेवेन्यु मिनिस्टर।

श्री तनसिंह : मैंने प्रस्ताव रखा है।

श्री अध्यक्ष : इसको प्रस्तुत करने की इजाज़त नहीं दी जाती। It is not allowed to be put.

श्री तनसिंह : क्यों नहीं दी जाती?

श्री अध्यक्ष : Because it interrupts the normal work of the House.

श्री तनसिंह : उन्होंने जान-बूझ कर ऐसी परिस्थिति पैदा की है।

श्री दामोदरलाल व्यास : I have been called by the Speaker.

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न तो समाप्त हुआ।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय।

श्री तनसिंह : यह क्या बात हुई कि आप बीच में ही खड़े हो गये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन्टरप्शन्स जो भी हुए हैं उस ओर से हुए हैं। हमारे ऊपर इस प्रकार का भय और आतंक पैदा किया जा रहा है और मैं मानता हूं कि ऐसी परिस्थितियों में हम लोग काम नहीं कर सकते। आप कोई ऐसी व्यवस्था बैठावें कि गवर्नमेंट इस तरह से हमको नहीं दबावे और अगर हमको इस तरह से गवर्नमेंट दबायेगी तो मैं निवेदन करूंगा कि डेमोक्रेसी की क्या हालत होगी। इसलिये हम आप से अनुरोध करते हैं कि आज हाउस को एडजोर्न किया जावे और नेक्स्ट डे को रखा जावे।

श्री अध्यक्ष : रेवेन्यु मिनिस्टर।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान जमींदारी और बिस्वेदारी बिल, १९५८ को पुरः स्थापित करने के लिये प्रस्तुत करता हूं।

(चारों ओर से शोर गुल एवं 'पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर' 'पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर सर,' की आवाज़)।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : अध्यक्ष महोदय, आज जो वादविवाद हुआ है और..

श्री सोहनलाल भटनागर : Is he raising any point of order Sir.

श्री तनसिंह : Why do you disturb him?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : आज जो वाद-विवाद हुआ है उससे कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां चल पड़ी है कि परस्पर सहयोग खत्म होता जा रहा है। इस विषय पर आप निर्णय लें, ताकि भविष्य में कुछ हो सके। तनसिंहजी ने जो प्रस्ताव रखा है वह उचित है।

श्री अध्यक्ष : यह अस्वीकार कर दिया गया है।

श्री तनसिंह : On a point of order, Sir, we do not know what Bills are being introduced.

Page No.70

श्री अध्यक्ष : आपका कोई यह पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है। आप हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान जमींदारी और बिस्वेदारी बिल, १९५८ को पुरः स्थापित करने के लिए प्रस्तुत करता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़।

श्री शिवचरणदास : अध्यक्ष महोदय जो प्रस्ताव श्री तनसिंह जी ने रखा है....

श्री अध्यक्ष : मैं कहता हूं ऑर्डर प्लीज़, ऑर्डर।

मैं कुछ कहना चाहता हूं। एक चीज को तीन-चार दफे कहना कहां तक उचित होगा? आपको सदन की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं होना है तो न होइये, लेकिन डिस्टर्ब तो न करें। आपको अपनी भावना व्यक्त करनी है और वह भी रूल्स के मुताबिक, मगर आप रूल्स के मुताबिक काम नहीं करते हैं। यदि आप रूल्स के अनुसार काम नहीं करते हैं तो फिर सदन की कार्यवाही किस प्रकार हो सकती है?

श्री मुरलीधर व्यास : एच. एम. के तरीके से।

श्री भैरोंसिंह : हाउस तो परसों एडजोर्न हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ऑर्डर।।

श्री मुरलीधर व्यास : On a point of order, Sir, आपने फरमाया....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज! ऑर्डर!!

प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए।

(मतदान के पश्चात्)

('ना पक्ष जीता' की आवाज़)

श्री मुरलीधर व्यास : On a point of order, Sir, कोई इस प्रकार का विषय भी नहीं था फिर भी मौका दिया, मैं समझता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं थी। महत्व का प्रश्न....

श्री अध्यक्ष : महत्व का विषय हो तो भी रूल्स के अन्तर्गत लिया जा सकता है।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं रूल्स के मुताबिक नहीं....

श्री अध्यक्ष : मैं कह रहा हूं। आपको कहने की कोई ज़रूरत नहीं है।

(व्यवधान)

मैंने यह नहीं कहा।

मैं आपके प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता।

श्री तनसिंह : मैं कुछ तथ्य अर्ज़ करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आपने बहुत तथ्य कह दिये।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने कहा....

श्री अध्यक्ष : मैं कह रहा हूं, सही बात है।

श्री मुरलीधर व्यास : तो क्या मैं जो कह रहा हूं गलत बात कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : इसका निर्णय बाद में देंगे। अभी आप बैठ जावें।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर! ऑर्डर !!

(घन्टी)

श्री मुरलीधर व्यास : मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूं कि ...

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा कि आप बैठ जाइये, बाद में निर्णय देंगे।

श्री भैरोंसिंह : बाद में कब होगा। परसों तो हाउस एडजार्न हो रहा है।

श्री मुरलीधर व्यास : हम यह चाहते हैं कि हमारे अधिकारों की सुरक्षा की जाए।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइये।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं बैठने को तैयार हूं, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि....

श्री अध्यक्ष : आप सीमा के बाहर जा रहे हैं।

श्री तनसिंह : आप हमारी भावनाओं का आदर कीजिये। हम आपसे नम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं और सिंसियरली फील करते हैं कि हम आपके सिवाय अपने अधिकारों के लिये किसको निवेदन करते। आप इस प्रकार की परिस्थिति में हमारी भावनाओं को समझें और समझ कर इस सम्बन्ध में कुछ करें। यह तो किसी भी समय में....

श्री अध्यक्ष : कई कार्यवाहियाँ करनी बाकी पड़ी हैं। इसलिये हाउस को एडजॉर्न करना उचित नहीं है। इसके लिये मैंने कह दिया है।

श्री तनसिंह : कई कार्यवाही करनी है। अगर उनको कुछ करना है तो संविधान के अनुसार जैसा होता है होना चाहिये। मगर ऐसी परिस्थिति में तो हम एक दिन भी नहीं बैठेंगे। हमतो आपसे जो व्यवस्था है, उसके आधार पर निवेदन करते हैं। हम आपको....

श्री अध्यक्ष : हाउस में कई मसले पास करने हैं, इसलिये हाउस को स्थगित करना उचित नहीं है। मैं बता चुका हूं।

श्री तनसिंह : पैन्डिग तो होते रहेंगे। लेकिन जब रूल्स में दिया है कि किसी भी समय ऐसा हो सकता है। जब ऐसी गौर परिस्थितियां आपके सामने रख रहे हैं तो क्या गवर्नमेंट यह चाहती है कि बायोनेट की नोक पर वह चाहे सो करा सकती है। अध्यक्ष महोदय, आप इस स्थित को संभाल सकते हैं, आप उनको समझा सकते हैं।

श्री तनसिंह : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी भावनाओं को समझने की कोशिश करें।

श्री अध्यक्ष : आपकी भावनाओं को भी समझता हूं लेकिन हमें रूल्स के आधार पर काम करना होता है। अगर आप भी उन

(श्री अध्यक्ष)

रूल्स को मान कर चलें तो कोई दुविधा पैदा नहीं होगी।

श्री तनसिंह : दुविधा तो पैदा हो रही है, अध्यक्ष महोदय। हमारा प्रोटेक्शन नियमों के आधार पर भी हमको नहीं मिल रहा है....

श्री अध्यक्ष : यह आपका कहना अनुचित है....

श्री तनसिंह (जारी) : मैं आपसे रूल्स रिलेक्स करने के लिए अनुरोध करता हूं। आप परिस्थिति की गम्भीरता को देखते हुए आज सदन की कार्यवाही स्थगित कर दें। ऐसी परिस्थिति के अन्दर हम सरकार से सहयोग करें। यह कदापि संभव नहीं हो सकता कि रोज़ाना विरोधी पक्ष पर अत्याचार होता रहे और हम कोई प्रस्ताव रखें तो उस पर यह दृष्टिकोण हो। आपके जरिये ही हम संरक्षण पा सकते हैं।

११. ११ म० पू०

राजस्थान जमींदारी एवं बिस्वेदारी उत्सादन विधेयक, १९५८

(पुरःस्थापित)

श्री अध्यक्ष : श्री दामोदरलाल व्यास।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वेदारी उन्मूलन विधेयक, १९५८ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रार्थना करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि विधेयक को पुरस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

११. १३ म० पू०

राजस्थान हिन्दू पब्लिक ट्रस्ट्स विधेयक, १९५८

(पुरःस्थापित)

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान हिन्दू पब्लिक ट्रस्ट्स विधेयक, १९५८ को पुरःस्थापित करने के लिये आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान हिन्दू पब्लिक ट्रस्ट्स विधेयक, १९५८ को पुरस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(मतदान के पश्चात्)

'हां' पक्ष जीता।

श्री भैरोंसिंह : 'ना' पक्ष जीता। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष : भाषण की स्टेज चली गई।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : अब भाषण का समय नहीं है। आप डिविजन चाहते हैं क्या?

श्री भैरोंसिंह : आप रूल्स । रिलेक्स करके मुझे बोलने की इजाज़त दे . ते हैं।

श्री अध्यक्ष : वह स्टेज चली गई।

श्री भैरोंसिंह : मैं आपसे फिर प्रार्थना करता हूं कि मुझे इसका विरोध करने दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : आपकी प्रार्थना मन्जूर नहीं की जाती अगर आप डिविजन चाहते हैं तो मैं दे सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, जब आपने इस विधेयक के बारे में प्रश्न रखा था उस समय मैंने सुना नहीं कि आपने क्या मोशन मूव किया है, इसलिये अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को पुरस्थापित करने की आज्ञा देने के पहले मुझे बोलने की इजाज़त दी जाय।

श्री अध्यक्ष : यह आप कैसे कह सकते हैं? जब मैंने प्रश्न रखा था उस समय आपने कहा " 'ना' पक्ष जीता" वैसी हालत में यह तो कह नहीं सकते कि आपको यह पता नहीं था कि यह बिल रखा जा रहा है।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जब वोट्स लिये जा रहे थे उस समय माननीय सदस्य ने खुद ने कहा था ' 'ना' पक्ष जीता'।

श्री भैरोंसिंह : मैं तो उस समय यह समझ रहा था कि ऊपर के बिल के लिए आज्ञा चाही जा रही है।

श्री अध्यक्ष : वह तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया था।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि इस बिल का गजट में पब्लिकेशन हुआ है या नहीं?

श्री अध्यक्ष : इसीलिये तो इन्ट्रोडक्शन के लिये परमीशन मांगी जा रही है। अगर गजट में इसका पब्लिकेशन हो जाता तो हाउस से परमीशन लेने की आवश्यकता नहीं रहती, पब्लिश नहीं हुआ है तभी तो परमीशन मांगी जा रही है।

श्री भैरोंसिंह : हम में तो सर्कुलेट होनी चाहिये इसकी कॉपियां।

श्री अध्यक्ष : जिस समय यह बिल विचारार्थ लिया जायगा उस समय आपको इसकी प्रतियां दे दी जायंगी।

श्री भैरोंसिंह : तो इस समय राय किस पर ली जा रही है, जब कि हमारे सामने बिल नहीं, कुछ भी नहीं, तो राय किसके लिये ली जा रही है?

श्री अध्यक्ष : जब बिल का पब्लिकेशन गजट में हो जाता है तो बिल के पुरस्थापित करने की आज्ञा के लिये अनुमति देने की आवश्यकता नहीं होती। गजट में पब्लिश नहीं हुआ है इसीलिये तो आज्ञा चाही गई है।

श्री तनसिंह : अध्यक्ष महोदय, आज्ञा चाहना तो लाज़िमी है, लेकिन जब कोई बिल सर्कुलेट नहीं होता, पब्लिश नहीं होता तो वैसी हालत में हमारे से ब्लेंक पेपर पर दस्तखत करा रहे हैं। हमें पता नहीं आप क्या इन्ट्रोड्यूस करने जा रहे हैं।

Page No.74

श्री अध्यक्ष : रूल्स के अन्तर्गत यह आवश्यक नहीं, जब कन्सीडरेशन के लिये यह बिल आयगा उस समय प्रतियां दे दी जायगी।

श्री तनसिंह : तो इस समय हमसे किस पर राय ली जा रही है ?

श्री अध्यक्ष : कृपया आप रूल्स देखलें तो स्पष्ट हो जायगा।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, हाउस में जब किसी पार्टिकुलर विषय पर पर्मिशन मांगी जा रही हो और हाउस उस पर इजाजत दे रहा हो वैसी हालत में हाउस को यह बताना ज़रूरी है कि उससे किस विषय पर इजाज़त चाही जा रही है। मेरी समझ में नहीं आता कि जिस चीज का हाउस को ज्ञान नहीं, जिसकी जानकारी सदन को नहीं कि किस प्रकार का विधेयक राजस्व मंत्री ला रहे हैं, वैसी हालत में हाउस से 'हां' या 'ना' कह कर किसी चीज के लिये आज्ञा ले लेना और नियमों की शरण लेकर कहना कि यह उचित है कहां तक ठीक है ? मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि बिना हाउस की जानकारी कराये कि कौनसा कानून बनेगा, उसकी क्या रूप रेखा होगी 'हां' या 'ना' कहलाना उचित नहीं होगा। जिस बिल का गजट में पब्लिकेशन नहीं हुआ उस पर सदन से अनुमति नहीं मांगी जा सकती। इजाज़त लेने से पहले सदस्यों को उसकी कापी मिलनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : जो कुछ भी किया जा रहा है वह नियमों के अनुसार किया जा रहा है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, जिस बिल का प्रकाशन गजट में नहीं हुआ हो और उसके लिये सदन द्वारा अनुमति प्रदान की गई हो, ऐसा मुझे नजर नहीं आता। रूल्स में इस प्रकार की व्यवस्था जरूर है कि किसी बिल का पब्लिशेन नहीं हुआ उस बिल को हाउस में पेश करने के लिये अनुमति लेते हैं और वह अनुमति अध्यक्ष दे सकते हैं किन्तु इस प्रकार से राय नहीं ली जा सकती। जिस बिल का गजट में पब्लिकेशन नहीं हुआ जिसकी कॉपियां मेम्बर्स में सर्क्युलेट नहीं हुई, क्योंकि जनता गजट में पब्लिश होने के बाद ही देखती है मेम्बर भी तभी देख सकते हैं। जब कि यह बिल गजट में पब्लिश नहीं हुआ हो और न इसकी कापियां ही मेम्बर्स को सर्क्युलेट की गई ऐसी सूरत में हाउस की अनुमति का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : जो कुछ भी कार्यवाही हुई है वह नियमानुसार हुई है। इसके गजट में पब्लिश करने की और प्रतिलिपि माननीय सदस्यों को देने की कोई आवश्यकता नहीं रूल्स के मुताबिक। अगर गजट में यह पब्लिश हो जाता तो यह स्टेज आती ही नहीं। जिस समय यह बिल विचारार्थ लिया जायगा उस समय बिल की कापियां आपके पास पहुँच जायगी।

श्री तनसिंह : On a point of order, Sir, I submit that this legislation is beyond our competence and hence it should not be taken.

श्री दामोदरलाल व्यास : जब वोट ले लिये गये तब कोई भी कॉन्स्टिट्युशनल पॉइन्ट एराइज़ नहीं हो सकता।

श्री तनसिंह : At any time I can raise objection. It is in the Rules.

श्री दामोदरलाल व्यास : That has been done. You did not take any objection.

श्री तनसिंह : Sir, he is addressing me while sitting in his chair.

श्री अध्यक्ष : 'हां' पक्ष जीता। विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाती है।

श्री तनसिंह : On a point of order, Sir,

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं।

श्री तनसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो डिसीजन को चेलेन्ज किया गया था उस पर आपने क्या निर्णय लिया ?

श्री अध्यक्ष : मैंने माननीय सदस्य से पूछ लिया था कि वे डिवीजन चाहते हैं या नहीं, इस पर उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। उसके बाद में पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई है।

११. २६ म० पू०

अधिकतम सीमा समिति के प्रतिवेदन पर अग्रेतर चर्चा सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष : अब जो समय बचा है उसमें जो माननीय सदस्य सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट पर बोलना चाहें बोल सकते हैं।

श्री गिरधारीलाल (तोला-) : वेअर हाउस बिल लेने का था उसका क्या हुआ, इस बारे में स्पष्ट किया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : स्पष्ट करने की कोई बात नहीं है।

गिरधारीलाल : कल चेयर की तरफ़ से डिसीज़न हुआ था कि पहले वेअर हाउस बिल लिया जायगा, उसके बाद समय बचेगा तो सीलिंग कमेटी के लिये समय दिया जायगा। उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट पर बोलना चाहते हैं या नहीं ?

श्री गिरधारीलाल : अध्यक्ष महोदय, इसके लिये कितना समय निश्चित किया गया है ?

श्री अध्यक्ष : १२।। बजे तक का समय भाषण के लिए दिया जायगा।

श्री तनसिंह : अध्यक्ष महोदय, सीलिंग कमेटी के केवल एक ही घंटे का समय तो बहुत थोड़ा है। आपने कल ऐग्री किया था कि २६ तारीख भी इस पर बहस के लिये रखी जायगी।

श्री अध्यक्ष : ऐसा था कि उस दिन के कार्य के बाद लिया जायगा।

श्री तनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो निवेदन किया था उस वक्त की बात है। इसके ऊपर तो बहुत से आदमियों के भाषण होने हैं, छः नाम तो मैंने खुद ने दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : जो समय दिया गया है उसमें तो बोलने दीजिये।

श्री तनसिंह : अध्यक्ष महोदय, भाषण के लिए हम ज़्यादा समय चाहते है। कल हमने जो नाम दिये थे फिर उसका क्या प्रयोजन निकला? लोगों ने नाम दिये, यदि उनको बोलने नहीं दिया जायगा तो फिर नाम देने से क्या मतलब निकला? आप जो इतना समय देते हैं हम इस पर ऑब्ज़ेक्शन उठाते हैं?

श्री अध्यक्ष : यह कोई ऑब्ज़ेक्शन नहीं है। मेरा यह निर्णय है कि आज जो समय बचा है उसमें सीलिंग कमेटी पर बहस होगी।

श्री तनसिंह : क्या सिर्फ आज साढ़े बारह बजे तक?

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही कम समय है। अभी बहुत से माननीय सदस्य इस अहम मसले पर बोलना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : यह मेरी भी मज़बूरी है। आप भी बिजनेस एडवाइज़री कमेटी में थे, उसमें यह तय हुआ था कि दो दिन सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट के लिए दिये जाँय, उस पर भी एक दिन आज का ज्यादा मिल रहा है। जो बोलने वालों की संख्या दी है उसके अनुसार बोलने दीजिए। श्री तेजमल बापना।

श्री तेजमल बापना : अध्यक्ष महोदय....

श्री गिरधारीलाल : On a point of information, sir............

श्री अध्यक्ष : कोई पॉइन्ट ऑफ इनफोर्मेशन नहीं है, श्री तेजमल बापना।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : अध्यक्ष महोदय, कल मेरा भाषण अधूरा रह गया था इसलिए पहले मुझे बोलने का मौका दें।

श्री अध्यक्ष : आप कल बोल चुके थे।

श्री गिरधारीलाल : कल दो मिनिट ही बोला था।

श्री अध्यक्ष : आपका भाषण समाप्त हो चुका था। कृपया आप बैठ जाइये।

श्री गिरधारीलाल : On a point of order, sir. पहले मुझे बोलने दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : आपको भाषण की इज़ाजत नहीं दी जायगी क्योंकि आप कल बोल चुके थे।

श्री गिरधारीलाल : चेयर का डिसीज़न है, इसलिए पहले मेरा भाषण होना लाज़िमी है।

श्री तेजमल बापना : अध्यक्ष महोदय. सन् १९५३ के नवम्बर में....

श्री गिरधारीलाल : अध्यक्ष महोदय, चेयर का डिसीज़न है कि कल मैं अपना भाषण जारी रखूं, फिर आप मुझे कैसे मौका नहीं दे रहे हैं?....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर! ऑर्डर!!

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, जब कि कल माननीय सदस्य का भाषण जारी था तो आज पहले उन्हीं को बोलने का मौका दिया जाना चाहिए, यह नियम है।

श्री अध्यक्ष : अगर कल दस मिनिट से कम समय मिला होगा तो और दिया जायगा।

Page No.77

श्री गिरधारीलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा भाषण जारी है...

श्री अध्यक्ष : मैं अभी जांच कर रहा हूं कि आप कल कितने समय बोले थे, उसके बाद देखा जायगा कि आपका भाषण जारी था या नहीं।

श्री गिरधारीलाल : मैं यह कह रहा हूं, मेरा भाषण जारी था....

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइये, मैंने कहा आपसे। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप बैठ जावें।

श्री गिरधारीलाल : मेरा भाषण जारी था और....

श्री लच्छूराम : और यह चेयर की तरफ़ से कहा गया था।

श्री अध्यक्ष : आपको और समय दिया जावेगा, यह तो मैं कह रहा हूं।

श्री गिरधारीलाल : इसके बीच में दूसरा बोलता है, यह उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप अगर सदन की कार्यवाही नहीं चलने देना चाहते तो इसमें मुझे तो कोई आपत्ति नहीं। आपको कुछ बोलने को मौका दिया यदि उसका फायदा आप नहीं उठाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी।

श्री भैरोंसिंह : सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट पर दस दस मिनिट में कहेंगे क्या ? उसकी प्रस्तावना ही नहीं कह सकते, इतने समय में तो !

श्री अध्यक्ष : दो दिनों में आपको बोलने का मौका मिला तब तो नहीं कहा गया। आप अब बोलने की बहुत उत्सुकता ज़ाहिर करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : बोलना केवल बोलने के लिए नहीं है। हमें तथ्यों पर प्रकाश डालना है इसलिए बोलना चाहते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : जो आदमी पहले बोल लेता है उसको दूसरे दिन पहले बोलने का अवसर दिया जाता रहा है। इसलिए इन्हें भी अपना कल का भाषण जारी करने का मौका दिया जावे। यह साधारण नियम रहा है।

श्री अध्यक्ष : आप कल बोल गये थे। आप कहते हैं तीन—चार मिनिट तक ही बोले।

श्री गिरधारीलाल : तीन—चार मिनिट का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि मेरा भाषण कल जारी था और इसी बीच सदन का समय हो जाने पर मुझे पूछा गया कि कितना बोलोगे, मैंने कहा अभी और बोलूंगा, तब चेयर का डिसीज़न था कि मैं कल बोल सकता हूं। तो चेयर का डिसीज़न माना जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आप कृपया बैठ जाइये। (श्री तेजमल बापना से) आप बोले जावें।

श्री तेजमल बापना : माननीय अध्यक्ष महोदय....

(विरोधी पक्ष द्वारा मेज़ों पर थपथपाहट)

श्री अध्यक्ष (श्री भैरोंसिंह के खड़े होने पर) : आप बैठ जाइये।

Page No.78

(पुन: मेजों पर थपथपाहट)

श्री गिरधारीलाल : On a point of order Sir.

श्री तेजमल बापना : अध्यक्ष महोदय, ने मुझे आदेश दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

(मेजें थपथपाने पर व श्री गिरधारीलाल के बोलने के लिये खड़े रहने पर)

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइये, मैंने श्री तेजमल बापना को बोलने की इज़ाजत दी है।

श्री भैरोंसिंह : इजाज़त नहीं दी जा सकती।

श्री गिरधारीलाल : On a point of order, Sir.

(मेजें थपथपाना)

श्री तेजमल बापना : (अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल : On a point of order Sir, अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं....

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि कल जो बोल रहे थे उनका भाषण समाप्त कर दिया गया था। जो चेयरमैन थे उन्होंने कहा था कि इन्होंने अपना भाषण समाप्त कर दिया।

श्री तनसिंह : यह बिल्कुल गलत इन्फोर्मेशन दी जा रही है।

('झूठ है', 'झूठ है' की आवाजें)

(विरोधी पक्ष की ओर से मेजें थपथपाना और शोरगुल जारी)

कल हमारे सामने चेयर का निर्णय हुआ था कि ये कल भी जारी रखेंगे और अब आप कह रहे हैं समाप्त कर दिया था। चेयर का कल-रूलिंग था कि ये आज भी बोलेंगे और इनसे कितना बोलेंगे, यह पूछा गया था। इसके बाद में मन्त्री महोदय इस प्रकार की गलत सूचना सदन में देते हैं, यह उचित नहीं है।

(श्री तेजमल बापना बोलने लिये खड़े रहे एवं विरोधी पक्ष ने मेजें थपथपाना जारी रक्खा)

श्री गिरधारीलाल ; क्या मुझे इजाज़त है साहब बोलने की ?

श्री तेजमल बापना : मुझे आपत्ति नहीं है भाई। अध्यक्ष महोदय ....

(विरोधी पक्ष की ओर से मेजें थपथपाई गई)

श्री श्रीभानसिंह : मैं बोलना शुरू कर दूं अध्यक्ष महोदय, कोई नहीं बोलें तो ?

(विराम)

मैं बोल सकता हूं ?

श्री अध्यक्ष : आप कृपया बैठ जाइये।

श्री श्रीभानसिंह : ये कितना बोले थे कल ?

श्री तेजमल बापना : अध्यक्ष महोदय,

(विरोधी पक्ष की ओर से मेजें थपथपाई गई एवं 'आप नहीं बोल सकते' की आवाज़)

श्री गिरधारीलाल : आप (श्री तेजमल बापना) नहीं बोल सकते जब तक कि निर्णय नहीं हो जाता।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : ऑब्स्टक्शनिस्ट टैक्टिक्स यूज़ किये जा रहे हैं।

(विरोधी पक्ष की ओर से करतल ध्वनि व मेजों की थपथपाना एवं शोरगुल)

श्री दामोदरलाल व्यास : इस तरह से तो हाऊस डिस्पर्स कर दिया जावे तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय गिरधारीलाल कल दस मिनिट बोले थे, इसलिये आज उन्हें बोलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती।

श्री गिरधारीलाल : कल कोई टाइम लिमिट नहीं था।

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी है, आप कृपया बैठ जाइये।

श्री गिरधारीलाल : कल इसी चेयर की ओर से यह डिसीज़न हुआ था कि मैं अपना भाषण आज जारी रक्खूंगा, तो ऐसी सूरत में इस प्रकार का निर्णय उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैं और निवेदन करता हूं कि आप कृपया बैठ जाइये।

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में मेरा यह निवेदन है कि कल की सदन की कार्यवाही का विवरण देख लिया जावे कि ऐसा डिसीज़न दिया गया है या नहीं? उसे फिर देख लिया जावे, ताकि सही बात मालूम हो जाय।

श्री अध्यक्ष : नहीं कहा गया है इस तरह से इसमें, विवरण देख लिया है मैंने, आप दस मिनिट बोल भी गये हैं।

श्री तनसिंह : हमने खुद ने अपने कानों से सुना था, कल इनको जारी रखने को कहा गया था। अब आप यह कहते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि रिपोर्टरों की रिपोर्ट भी यहां बदली जाती है, उसमें से ऐसे निर्णय उड़ा दिये जाते हैं।

श्री श्रीभानसिंह : मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से एवं सम्बन्धित मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसके लिए एक दिन और बढ़ा दिया जावे और तब तक सभी बोल लें, तो इसमें क्या हर्ज़ है?

श्री गिरधारीलाल : ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर....

श्री तनसिंह : डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम भी ठीक तरह से नहीं किया जाता। हमने जब अपने बोलने वालों की लिस्ट दी है तो उसके अनुसार होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : यह जरूरी नहीं कि लिस्ट में से सभी को समय दिया ही जावे। समय सब को दिया गया है।

श्री गिरधारीलाल : बिल्कुल नहीं सबको बराबर टाइम नहीं बांटा गया। पहले उन्हीं उन्हीं (राज्य पक्ष) लोगों को समय मिल रहा है और फिर एक दिन रहा है इसमें क्या तो वे बोलेंगे और क्या हम बोल लेंगे और एक आदमी दस मिनिट में बोलेगा भी तो क्या? यह गवर्नमेंट के हाथ में है कि क्यों नहीं टाइम बढ़ा दिया

(श्री गिरधारीलाल)

जावे। इस विषय में मैं निवेदन करना चाहता हूं तो इसमें भी हमें नहीं बोलने दिया जाता, इस तरह से तो सभी ओर से हमारे उपर फोर्स किया जाता है कि हम कुछ न बोलें।

श्री अध्यक्ष : इसमें फोर्स का सवाल नहीं है। दो दिन का समय तय किया गया था।

श्री गिरधारीलाल : दो दिन का टाइम निश्चित नहीं था।

श्री अध्यक्ष : २६ तारीख का समय मिलेगा तो दिया जावेगा, यह भी कहा गया था।

श्री गिरधारीलाल : आपने एक दिन का पूरा कहा था।

श्री तनसिंह : आप गलत कहते हैं।

श्री अध्यक्ष : देखिये। कार्यवाही को आप शान्ति से चलने दें शोरगुल न करें। नहीं तो I will be forced to adjourn the House if the Hon'ble members disturb the proceedings.

श्री तेजमल बापना : माननीय अध्यक्ष महोदय,....

(करतल ध्वनि, मेजों की थपथपाहट एवं पुनः शोरगुल)

श्री गिरधारीलाल : On a......

श्री अध्यक्ष : चूंकि माननीय सदस्य गड़बड़ कर रहे हैं अतः अनिश्चित काल के लिये सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० पू० ११.२६ बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई)

———

संक्षिप्त-विवरण

(शनिवार २६ अप्रेल, १९५८)

स्कम्भ स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर ८८८६

पुरेजात द्वारा संरक्षित संपत्ति

गोचर भूमि, फतेहपुर

नगरपालिका, उनियारा

झूंपी व खरड़ा लाग

तहसीलों को दिये जाने वाले टीन और सीमेंट के कोटे का विक्रय

सालावास (जोधपुर) में कंकरीट व सीमेंट के सामान की नीलामी

पंचायतों का पुनर्गठन

चर्म उद्योग केन्द्र, सांगानेर

हरिजन किसानों की वेदखली

सस्ते अनाज की दुकाने

चरागाह ग्राम डीगोद, लालसोट

नगरपालिका, छोटी सादड़ी

कोर्ट्स व सरकारी अधिकारियों हेतु सीकर में भवन-निर्माण

बांगड हॉस्पिटल, पाली

अकाल ग्रस्त ग्राम, पाली

राजस्थान हरिजन बोर्ड

चिकित्सालय, सोजत

डूंगरपुर में डूंगरपु नरेश द्वारा अधिकृत भूमि

श्रम कल्याण केन्द्रों की स्थापना

वामनवास में नगरपालिका की स्थापना

पटेलों व नम्बरदारों को दिया जाने वाला मुआवज़ा

अकालग्रस्त क्षेत्र बांसवाड़ा

पेन्शनर्स, जिला टोंक

भील सेवा मंडल, बांसावड़ा

गांवों के बन्दोबस्त की मियाद, झूंझनू

जागीदारों में बकाया रकम

अल्पकाल सूचना प्रश्न

सांभरझील के नमक का उत्पादन एवं विवरण

सदन की मेज़ पर रखा गया पत्र ८८७४

सचिव, विधान सभा, ने सदन की मेज़ पर इस सत्र में विधान सभा द्वारा पारित उन विधेयकों का विवरण, जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी थी, रखे ।

विधेयक जिस पर राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त हुई:-

The Code of Civil Procedure (Rajasthan Amendment) Bill. 1958.

विधेयक जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हुई:-

1. The Rajasthan Panchayat (Amendment) Bill, 1958.

2. The University of Rajasthan (Amendment) Bill 1958.

3. The Rajasthan Finance (Agricultural Income-Tax) Bill. 1958.

सदन से अनुपस्थिति के लिये अनुमति ८८७५

श्री बालमकुन्द, सदस्य विधान सभा, को दिनांक ६-४-५८ से २३-४-५८ तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई।

विशेषाधिकार-प्रश्न ८८९९

१. श्री श्रीभानसिंह द्वारा दिये गये 'नवयुग-पत्र' से संबन्धित विशेषाधिकार-प्रश्न पर, वाद-विवाद के पश्चात्, अध्यक्ष महोदय ने अपना निर्णय स्थगित रखा।

२. मेजर फतेहसिंह, सदस्य विधान सभा, के मामले से संबन्धित विशेषाधिकार प्रश्न जिनकी सूचना श्री भैरोंसिंह (१४) द्वारा दी गई थी, उसे सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं प्रदान की गई। मेजर फतेहसिंह को उक्त मामले में स्पष्टीकरण का अवसर दिया गया।

स्थगन प्रस्ताव ८९३९

बीकानेर पॉवर हाउस की खराबी के संबन्ध में श्री मुरलीधर व्यास द्वारा दिये गये स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई। गृह मंत्री ने एक वक्तव्य द्वारा स्थिति का स्पष्टीकरण किया।

विधायी कार्य

पुरःस्थापित किये गये विधेयक ८९५१

निम्नांकित विधेयक, सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात्, पुरःस्थापित किये गयेः-

१. राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वेदारी उत्सादन विधेयक, १९५८

२. राजस्थान हिन्दू पब्लिक ट्रस्ट्स विधेयक, १९५८

परिशिष्ट १.

(कृपया प्रश्न संख्या ७४४ का उत्तर देखिये)

राजस्थान की प्रोपर्टी पुरेजात जहाँ कहीं हैं उनकी लिस्ट

(१) इलाहबाद:– १– ४ अदद मकान नं० ६६६, १७०, १७६ व १८६ मुहल्ला कटरा जिनमें से १७६ व १८६ के कब्ज़े का मुकदमा चल रहा है।

२– ४ मकान लीज़ के हैं जिसमें से १ तो ६६ साल का लीज़ है बाकी ३ मकान ५० साल के लीज़ पर हैं।

३– ३५ एकड़ कटरा जयसिंह सवाई जिसमें ८० मकानों के नीचे की जमीन सालाना किराया ग्राउन्ड रेन्ट पर है बाकी रेन्ट फ्री है और इसी ३५ एकड़ के अन्दर बाजार में तहबाजारी भी वसूल होती है।

४– मोहल्ला राजापुर, यह एग्रीकलचरल मौजा है २४ जमीदारान से लैण्ड रेवेन्यू राजस्थान को वसूल होती है।

५– मौजा फतेहपुर बिछुवा, नसीबपुर बख्तियारा, नसीबपुर बख्तियारी, मेंहदौरी उपरहार, कब्रस्थान राजापुर बंगलेजात राजापुर, ग्राउन्ड परेड यह सब प्रोपर्टी बकब्जे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है माफीदारी हक राजस्थान का है और लैण्ड रेवेन्यू उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से राजस्थान गवर्नमेंट को वसूल होती है।

बनारस:– १– मान मन्दिर मुहल्ला–

(क) ५ मकान नं० १५।२४, १५।२६, १५।२७, १५।२८ व १५।२६

(ख) ४ मकान लीज़ के हैं जो कि ५० साल लीज़ पर हैं।

(ग) मुहल्ला मान मन्दिर, इसमें ७५ मकानात रियाया के बनाए हुए हैं जिनके नीचे की जमीन का सालाना किराया राजस्थान सरकार को वसूल होता है।

(घ) घाट मान मन्दिर व घोड़ा घाट,

२– मुहल्ला आदि विशेश्वर–

(क) १ मकान नं० ३८।८

(ख) १ मकान लीज़ पर ६६ साल के लिए लीज़ है ।

३– मुहल्ला रानामहल–

(क) इसमें ३२ मकानात व २ मन्दिर राजस्थान सरकार के हैं ।

(ख) राणाघाट व चौसट्टी घाट–

आगरा:– १– जयपुर हाउस, मकान नं० ३ ए. से ३ ई.

२– कन्धारी कोठी, मकान नं० १६५

३– धौलपुर हाउस, मकान नं० ५० व ५० ए.

४– मकान नं० ७०६, ७१०, ६८४, व १६६८ कचेहरी घाट पर है ।

५– प्लॉट मौजा सूरजपुर,

६– घाट जमुना जी,

मथुरा:– १– मकान नं० ६५४ व ६५५ मुहल्ला हालनगंज,

२– धर्मशाला जसवन्तगंज,

गोवर्धन:– १– महल हंसिया रानी, २–सीढी य बुर्जी मानसी गंगा, ३–बुर्ज ब्रह्मकुण्ड, ४–कुंज मुहल्ला हज़ारियान, ५–परती जमीन करसाना रोड पर, ६–जुज हिस्सा कुंज रायसिंह,

वृन्दावन:– जयसिंह घेरा, मकान नं० ८६ से ८६ ई ।

देहली:– १–जन्तर मन्तर ऑब्जरवेटरी, २–प्लॉट निजामउद्दीन रेलवे स्टेशन जो लीज़ पर है ।

हरद्वार:– १–जयपुर की हवेली मकान नं० ३५६

इलिचपुर:– १–जयसिंहपुरा, इसमें २१ प्लॉट एग्रीकलचरल हैं । २–छतरी लेट हिज हाईनेस ३–बावड़ी । ४– कजगांव की बाड़ी, एग्रीकलचरल लैण्ड ।

बुरहानपुर:– १–सरकारी बाड़ा २–तातमडी मठ

पचोखर:– यह मौजा जमीदारी का यू. पी. में था जो कि जमीदारी अबोलीशन एक्ट के अन्दर निकल चुका है । मन्दिर श्री रामेश्वर जी बनारस में वक्फ होने के कारण यू. पी. स्टेट से २०१६ रु० ४० नया पैसा सालाना एनूटी मुकर्रर हो गई है ।

औरंगाबाद:-जयसिंहपुरा. २-शान्तीपुरा, ३-जसवन्तपुरा,

मौजा जयसिंहपुरा व शान्तीपुरा जागीरदारी अबोलिशन एक्ट के अन्तर्गत हैदराबाद स्टेट बाहद बम्बई स्टेट के कब्जे में है। जागीरदारी न होने का सबूत देकर वापसी मौजा की कार्यवाई बम्बई सरकार से चल रही है। मौजा जसवन्तपुरा जागीर माना जा चुका है। यह भी जागीर-दारी अबोलिशन एक्ट के कारण निकल चुका है इसके कम्पेन्सेशन की वसूली की कार्यवाई हो रही है। इनके अलावा सूची मन्दिरान निम्नलिखित हैं, जिनका इन्तज़ाम मुन्सरिम पुन्जेजात राजस्थान द्वारा होता है।

१- मन्दिर श्री आदि विशेश्वरनाथ जी बनारस, २- मन्दिर श्री सीतारामजी बनारस, ३- मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी बनारस, ४- मन्दिर श्री भैरोंनाथजी, जयपुर हाउस, आगरा ५.- मन्दिर श्री मनकामेश्वर जी रावली आगरा, ६-मन्दिर श्री भैरों ज़ी, जन्तर मन्तर न्यू देहली, ७- मन्दिर श्री हनुमान जी इलिचपुर, ८- मन्दिर श्री हनुमान जी औरंगाबाद, ९- मन्दिर शंकर जी दो अदद रानामहल बनारस, व सदावर्त बनारस।

१०- मन्दिर श्री जानरायजी वृन्दावन
११-मन्दिर श्री जानकी वल्लभजी वृन्दावन } केवल मुकदमे के लिए।

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ७६१ का उत्तर देखिये)

१. साजी २. ब्रोटिला ३. सावलता खुर्द ४. डिगाई ५. डोरी ६. सुटाजी ७. आरिण्डया ८. अरटिया ९. भांडावास १०. सोडावास ११. गैलावास १२. राणा १३. गुन्दकेल १४. गुडा प्रताप १५. बीजा १६. मीठू १७. दूदली १८. दानासणी।

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या ७७८ का उत्तर देखिये)

क्रम संख्या	हेड़ो के नाम	स्वीकृत रकम	बांसवाड़ा तहसील	घाटोल तहसील	गढ़ी तहसील	बागीडोरा तहसील	कुशलगढ़ तहसील
१.	टेस्ट रिलिफ वर्क्स	८०७५४रू.	२५५००रू.	१२०००रू.	८५००रू.	२२७५४रू.	२२०००रू.
२.	फेमिन तकावी	१३००००रू.	२२५००रू.	३६०००रू.	१००००रू.	२००००रू.	३३५००रू.
३.	गेटीटयुस रिलिफ	५००००रू.	६००रू.	६००रू.	६००रू.	६००रू.	६००रू.
	योग—	२१५७५४रू.	३८६००रू.	५१६००रू.	१९१००रू.	४३३५४रू.	५६१००रू.

इसके अलावा वन–विभाग व समाज कल्याण विभाग द्वारा निम्नलिखित धनराशी दी गई है ।

१. समाज कल्याण विभाग से तालाब व सड़कों के लिए—३०,२५२ रू०

२. वन विभाग द्वारा-सड़कों के निर्माण कार्यों के लिए—१५,००० रू०

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक २६ अप्रैल, १९५८)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
८८१०	८	भुकदमें	मुकदमें
८८११	४-५	मिनिस्टीटियल्स	मिनिस्टीरियल्स
८८२३	१८-१९	उस र	उस पर
८८४०	३	अस्पाल	अस्पताल
८८७५	अन्तिम से ८	विधान समा	विधान सभा
८८७३-८८७४	शीर्ष ,,	तारांकित प्रश्नोत्तर ,,	अल्पकाल सूचना प्रश्नोत्तर ,,
८९०७	अन्तिम से ७	ख्वमाख्वाह	ख़ामख्वाह
८९४४	१०	प्रस्तव	प्रस्ताव
८९५७	१३	श्र दामोदरलाल व्यास	श्री दामोदरलाल व्यास
,,	१५	ज डिसीजन	जो डिसीजन
८९६७	७	फेर्स	फोर्स